लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 2-8-92
Parliament Library

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23, बुधवार, 23 जून, 1971/2 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 23, Wednesday, June 23, 1971/Asadha 2, 1893 (Saka)

विषय	Subject	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सख्या S Q. Nos.		पृष्ठ/Pages
662 चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के साथ परामर्श	Consultation with Experts in connection with Fourth Plan	1-3
664. दूर संचार चैनलों को कलकत्ता से बम्बई ले जाया जाना और अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार के लिये दिल्ली के निकट दूसरे भू-उपग्रह केन्द्र की स्थापना	Shifting of Telecommunication Channels from Calcutta to Bombay and setting, up of Second Satellite Ground Station for International Telecommunication near Delhi	3-5
668. आनन्दपुर बांध परियोजना	Anandpur Barrage Project	5-6
669. तम्बाकू के निर्यात में कमी होना	Decline in Exportation of Tobacco	6-8
670. तिलहन तथा तिलहन के उत्पादों के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना	Setting up of Export Promotion Council for Oil seeds and Oil Seed Products	8-9
674. कच्ची फिल्म की अत्याधिक कमी के कारण चलचित्र उद्योग के सामने संकट	Crisis in Film Industry due to Scarcity of Raw Film	9-11
676. अखबारी कागज के आयात के बारे में भारत रूस करार	Indo-Soviet Agreement on import of Newsprint	11-12
677. श्री लंका की सरकार द्वारा भारतीय प्याज के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाना	Ban by Ceylon Government on Import of Indian Onions.	13-15

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
679. भूतपूर्व आई० बी० चीफ द्वारा 'दी चाइनीज बिट्रेयल' नामक पुस्तक का प्रकाशन	Publication of Book Entitled 'The Chinese Betrayal' by Former I. B. Chief	15-17
684. टैलीविजन सेटों में आयतित पुर्जे	Imported Components in T. V. Sets	17-18
685. खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अल्युमिनियम का आयात	Import of Aluminium through M.M.T.C.	18-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
661. छोटे समाचार पत्रों के अखबारी कागज के कोटे में वृद्धि	Increase in newsprint quota of small Newspapers	20
663. नारियल जटा के धागे पर से निर्यात शुल्क का हटाया जाना	Abolition of export duty on Coir Yarn	20
665. केरल में काजू के कारखानों का फिर से खोला जाना	Reopening of Cashew Factories in Kerala	21
666. युगोस्लाविया के साथ किये गये व्यापार की राशि का भुगतान रुपये में करने सम्बन्धी करार	Rupee Trade Agreement with Yugoslavia	21
671. रूई के आन्तरिक व्यापार और आयात व्यापार का अधिग्रहण	Taking over of Import and Internal Trade of Cotton	21-22
672. मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार	Trade with Middle East Countries	22-23
673. तम्बाकू निगम की स्थापना करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अमरीकी एजेंसी का प्रतिवेदन	Report of USAID to set up Tobacco Corporation	23
675. बम्बई-दिल्ली हवाई डाक सेवा का पुनः आरम्भ किया जाना	Restoration of Bombay-Delhi Air Mail	23-24
678. देवनागरी लिपि में तार भेजना	Telegrams in Devanagri Script	24-25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
680. हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात	Exports of Handicrafts	25
681. पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में पड़े डाके की जांच	Enquiry into Robbery committed in Punjab National Bank, New Delhi	25
682. राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद	Purchase of Rubber by STC	26
683. नेपाल से अल्युमिनियम के सामान का आयात	Import of Aluminium Goods from Nepal	26
686. कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Calcutta Metropolitan Development Authority	27
687. क्विलोन में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station at Quilon	27
688. एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to Develop Regional Co-operation in Asia	28
689. रबड़ का निर्यात	Export of Rubber	28-29
690. दस वर्षीय आणविक कार्यक्रम को कार्यान्वित करना	Implementation of Ten Year Nuclear Programme	29
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2848. इंजीनियरों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh for solving Problem of Unemployment among Engineers	29
2849. मध्य प्रदेश के लिये चौथी योजना का आकार	Size of Fourth Plan for Madhya Pradesh	29-30
2850. होशंगाबाद तथा पूर्वी निमाड़ जिलों (मध्य प्रदेश) में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ	Public Telephone booths in Hoshangabad and East Nimar Districts (Madhya Pradesh)	30
2852. टेलीफोन और तार सुविधाओं से सम्पन्न डाक घर	Post Offices with Telephone and Telegraph Facilities	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
2853. मध्य प्रदेश में डाक घर	Post Offices in Madhya Pradesh	30-31
2854. स्टेनों टायपिस्टों के पदों का स्टेनोग्राफरो के पदों में बदला जाना	Conversion of posts of Steno-Typists into those of Stenographers	31-32
2855. ब्रिटेन की सरकार के कपड़े पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव के प्रतिकार के लिये हांगकांग के साथ संधि	Pact with Hong Kong to counter U.K. Government's proposal to levy Duty on Textile	32
2856. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिल्ली नगर निगम के विरूद्ध आक्षेपात्मक टिप्पणी	Strictures passed by UPSC on Delhi Municipal Corporation	32-33
2857. दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalite activities in Delhi University	33
2858. महाराष्ट्र के एक उप-मंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम का कथित उल्लंघन	Alleged Violation of Foreign Exchange Regulations by a Deputy Minister of Maharashtra	33
2859. वास्को को निर्बाध पत्तन बनाने का प्रस्ताव	Proposal to make Vasco a Free port	34
2860. औद्योगिक विकास	Industrial Growth	34
2861. मनीपुर में आदिम जातीय लोगों के लिये अपर्याप्त राजस्व विधि और नियम	Inadequate Revenue Laws and Rules for Tribal People in Manipur	34
2862. न्यायालयों में हिन्दी भाषा का प्रयोग	Use of Hindi Language in Courts	35-36
2863. इंजीनियरी सामान के लिये विदेशों से निर्यात क्रयादेश	Export Orders for Engineering Goods from Abroad	36-37
2864. योजना की विभिन्न ऐजेंसियों के मध्य समन्वय	Co-ordination amongst various agencies of Planning	37-40
2865. तुर्की और ईरान के साथ व्यापार सम्बन्धों का पुर्नमूल्यांकन	Re-appraisal of trade relations with Turkey and Iran	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2866. बंगला देश से जूट की खरीद	Purchase of Jute from Bangla Desh	40-41
2867. भारतीय पटसन की नई मण्डियों में मांग	New Jute markets captured by India	41
2868. गुरमुखी लिपि में पंजाबी के प्रयोग के बारे में पंजाब सरकार का परिपत्र	Punjab Government circular re. use of Punjab in Gurmukhi script	41
2869. भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य संबंद्ध सेवाओं में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व	Representation to minorities in IAS and other Allied Services	42
2870. महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra-Mysore boundrey dispute	42
2871. पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सहायता	Assistant for development of backward Regions	43-44
2872. यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विस्तार का भारतीय व्यापार पर प्रभाव	Effect of EEC Extension on Indian Trade	44-45
2874. नीमच में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना	Posting of CRP at Neemuch	45-46
2875. कलकत्ता की स्थिति में सुधार करने के लिये कनाडा की लोकोपकारी संगठनों द्वारा धन एकत्र किया जाना	Canadian philanthropic organisations raising funds for improvement of Calcutta	46
2876. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नरगुण्डी स्टेशन पर लौह अयस्क का लदान करना तथा उतारना	Loading and Unloading of Iron Ore at Nergundi Station by MMTC	46-47
2877. पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गये भारतीय	Indians killed by Pak army	47
2878. पिछड़े क्षेत्रों के लिये रियायतें	Concessions for backward areas	47-49
2879. पोलीस्टर तन्तुओं के मूल्य घटाना	Reduction in prices of Polyester fibres	49-50
2880. अमरीका की सहायता से भारत-इण्डोनेशिया संयुक्त उद्योग उपक्रम	Indo-Indonesia Joint Industrial ventures with US help	50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2881. टेलीविजन सेटों का मूल्य नियोजित करना	Fixation of price of TV sets	51
2882. केरल के हथकरघा उद्योग में संकट	Crisis in Handloom Industry in Kerala	51-52
2883. दिल्ली में पंखारोड, जनकपुरी के फ्लेटों में हुई चोरियां	Thefts committed in flats in Janak Puri, Pankha Road, Delhi	52
2884. ऊनी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of woollen goods	53
2885. फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड को टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया जाना	Grant of licence to Philips India Ltd. for manufacture of T.V. receivers	53-54
2886. बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कोनागार (पश्चिम बंगाल) का नियंत्रण सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Bengal Fine Spinning and Weaving Mills, Konnagar (West Bengal)	54
2887. बंगोदिया काटन मिल्स, पश्चिम बंगाल का बन्द किया जाना	Closure of Bangodaya Cotton Mills West Bengal	54-55
2888. चम्पारन जिले में पटसन मिल की स्थापना	Setting up of Jute Mill in Champaran District	55
2889. त्रिपुरा के विभिन्न न्यायालयों में भूमिहीन जनजातीय लोगों तथा अनुसूचित जातियों के विरुद्ध विचाराधीन मामले	Pending cases against Landless Tribals and Scheduled Castes in various courts in Tripura	55
2890. पूर्वी राज्यों के विकास के लिये समन्वय समिति	Co-ordinating Committee for Development of Eastern States	55-56
2891. रतलाम में कताई मील स्थापित किया जाना	Setting up of a Spinning Mill at Ratlam	56
2892. नीलगिरि जिले में चाय पर उपकर वसूल किया जाना	Collection of Cess on Tea in Nilgiri District	56-57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2893. इरिनजलाखुडा, केरल में डाक तथा तार विभाग के प्रधान कार्यालय के लिये भवन	New Building for P & T Head Office at Irinjalakkuda (Kerala)	57
2894. मनीपुर से अगर का निर्यात	Export of Agar from Manipur	57-58
2895. प्रगीत तथा नाटक प्रभाग इम्फाल	Song and Drama Division, Unit Imphal	58
2896. प्रगीत तथा नाटक प्रभाग के कलाकारों की सेवा की सुरक्षा	Security of Service for Artists of Song and Drama Division	58
2897. त्रिपुरा के जिला प्रशासन के ढांचे में सुधार	Structural Reforms in District Administration of Tripura	59-60
2898. त्रिचूर में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Trichur	60
2899. स्मारक डाक टिकट	Commemorative Stamps	60-61
2900. रामपुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Rampur Automatic Telephone Exchange	61
2901. भारत में विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries in India	61-63
2902. विदेशी मिशनरियों की गतिविधियां	Activities of Foreign Missionaries	63
2903. केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में तामिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित समिति	Committee on Centre-State Relations set up by Tamil Nadu Government	64
2904. कानपुर में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station in Kanpur	64
2905. इलेक्ट्रानिक आयोग की स्थापना	Setting up of an Electronic Commission	64-65
2906. कलकत्ता स्टूडियो में वृत्त चित्रों का निर्माण	Production of Documentary Films at Calcutta Studios	65-66
2907. अश्लील इश्तहार और फिल्म	Obsence Posters and Films	66
2908. फिल्म विकास बोर्ड का गठन	Constitution of Film Development Board	66
2909. मानव कल्याण के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग	Utilization of Atomic Energy for Human Welfare	67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		
2910. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र पर व्यय	Expenses on Bhaba Atomic Research Centre	67
2912. मैसूर में मुंसिफों की भर्ती तथा सरकारी कर्मचारियों की वरीयता निर्धारित करने संबंधी नियम	Rules Governing recruitment of Munsiffs and seniority of Mysore Government employees	68
2913. मैसूर में कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना	Suspension of Employees in Mysore	68
2914. आकाशवाणी की कार्यक्रम सलाहकार समितियों का पुनर्गठन	Reconstitution of Programme Advisory Committee of AIR	68
2915. टेस्ट ब्रीडर रियेक्टर	Test Breeder Reactor	69
2916. भारतीय सीमा में आने वाले गोली लगने से घायल व्यक्तियों को भारतीय अस्पतालों में दाखिल करना	Admission of bullet injured persons in Indian Hospital who crossed into India	69-70
2917. कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) में उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of sub-post offices Cooch Behar (West Bengal)	70
2918. सिलिगुडी में "कुर्सियोंग" प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Station 'Kurseong' at Siliguri	70-71
2919. आकाशवाणी तथा टेलीविजन केन्द्र द्वारा राजनैतिक दलों के साथ व्यवहार में कथित असमानता	Alleged unequal treatment by AIR and TV to Political parties	71
2920. राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक	Meeting of National integration Council	71
2921. कोटा में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange at Kotah	71-72
2922. टिटेनियम धातु निकालने के लिये मोनजाइट रेत से इल्मेनाइट कण पृथक करने के लिये संयंत्र	Plant for separating ilmenite fraction from Monazite sands for extraction of Titanium Metal	72
2923. आकाशवाणी द्वारा खेती के सम्बन्ध में प्रसारण	Farm Broadcast over AIR	72-73
29 24. कपास ओंटने के कारखानों के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना	Establishment of National Extension Service for Ginning Factories	73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S Q. Nos.		
2925. इंडिया गेट के निकट दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों द्वारा एक दम्पत्ति का पीटा जाना	Beating of a Couple near India Gate by Delhi Policemen	73-74
2927. आनन्द असाही मीटरों का दक्षिण वियतनाम को निर्यात	Export of Anand Asahi Metres to South Vietnam	74
2928. वर्ष 1970-71 की विकास दर	Growth Rate for 1970-71	74-75
2929. रुई ओटने के कारखानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Cotton Gins	75-76
2930. तम्बाकू का मूल्य	Price of Tobacco	76
2931. मन्दसौर, मध्य प्रदेश में सीधी टेलीफोन व्यवस्था	Direct Dialing System in Mandsaur (Madhya Pradesh)	76
2932. मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Offices in Mandsaur District (Madhya Pradesh)	76-77
2933. क्रमबद्ध एजेंसी के माध्यम से अरण्डी और मूंगफली की खली का निर्यात	Export of Castor and Groundnut cakes through Canalised Agency	77-78
2934. काजू निगम में अशासकीय व्यक्तियों का नामांकन	Nomination of Non-Officials to Cashew Corporation	78-79
2935. पछेरीबाड़ी, राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोला जाना	Opening of Public Call Office In Packeri Bari, Rajasthan	79
2936. गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Offices in Rural Areas in Gujarat State	79-80
2937. गुलाबों के मूल्य के बारे में चण्डीगढ़ प्रशासन और राज्य व्यापार निगम के बीच विवाद	Dispute Between Chandigarh Administration and STC re. prices of roses	80
2938. बिहार के चम्पारन जिले में टेलीग्राफ सबडिवीजन	Telegraph Sub-Division in Champaran District Bihar	80-81
2939. आत्महत्या जांच आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Suicide Enquiry Committee	81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2940. जटनी, उड़ीसा स्थित इंजीनियरिंग और लाइन कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास	Government Quarters for Engineering and Line Staff at Jatni, Orissa	81
2941. जटनी टेलीफोन एक्सचेंज के लिये भवन	Building for Jatni Telephone Exchange	82
2942. सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में भर्तियां	Recruitment to BSF and CRP	82
2943. प्याज के निर्यात में कमी	Decline in Export of Onions	82-83
2944. झुमरी तलैया के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाएं	Medical Treatment for P & T Employees at Jhumari Talaiya	83
2945. बोकारो स्टील सिटी अस्पताल में डाक तथा तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देना	P & T Employees' Treatment Bokaro Steel City Hospital	84
2946. बरमों में डाक तार कर्मचारियों का डाक्टरी इलाज	Medical Treatment of P & T Employees at Bermo	84-85
2947. गढ़वाल जिले (उत्तर प्रदेश) में नये डाक घर	New Post Offices in Garhwal District (U.P.)	85
2948. गढ़वाल जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना	Declaration of Garhwal District as Backward Area	85
2949. आकाशवाणी से वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारित करना	Commercial Advertisements over AIR	85-86
2950. विदेश व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बारे में योजना मंत्री का वक्तव्य	Planning Minister's Statement re: Nationalisation of Foreign Trade	86-87
2951. संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पद	Unfilled Vacancies in Membership of UPSC	87
2952. परमाणु संयंत्रों के पर्यवेक्षण के लिये निगम	Corporation for Supervision of Atomic Plants	87-88

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.			
2953.	महाराष्ट्र कार्मिक संघ मान्यता विधेयक और आंध्र प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति देना	President's Assent to Maharashtra Trade Union Reorganisation Bill and Andhra Pradesh Industrial Relation Bill	88
2954.	वाराणसी में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Varanasi	88
2955.	वाराणसी क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ता की दशा	Telephone Subscribers' Plight in Varanasi Region	89
2956.	बढ़िया कपड़े और धागे की कीमत का निर्धारण	Price Fixation of Fine Cloth and Yarn	89
2957.	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर	Extra Departmental Branch Post Office	90-93
2958.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार करने में त्रुटियां	Drawbacks in Canalising Operations through MMTC	93
2959.	हथकरघों का बिना बिका माल	Unsold stocks of Handicrafts	93-94
2960.	मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में टेलीफोन के तार काटने की घटनाएं	Incidents of Telephone Wire Cutting in Morena District (Madhya Pradesh)	94
2961.	केरल में विकास कार्य के बारे में गठित की गई चन्द्रभानु समिति का प्रतिवेदन	Reports of Chandrabhanu Committee on Development in Kerala	94-95
2962.	केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या	Number of Central Government Employees	95
2963.	केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र व्यवहार करते समय हिन्दी का प्रयोग करने वाली राज्य सरकारें	State Governments using Hindi for Correspondence with Central Government	95
2965.	गुजरांलिया शंकर मिश्र गांव (गोरखपुर) में ब्रांच डाकखाने का निर्माण	Construction of a Branch Post Office in Gujranlia Shankar Misra	95-96
2966.	भारतीय माल का रूस को पुन: निर्यात	Indian Goods re-exported from Russia	96
2967.	राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in Rajasthan	96-97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2968. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मांगे गये एल्युमिनियम के अत्याधिक मूल्य के बारे में अभ्यावेदन	Representation against Exhorbitant Aluminium Price Demanded by M.M.T.C,	97-98
2969. मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में साम्प्रदायिक दंगे	Communal riots in Moradabad (U. P.)	98
2970. गुजरात राज्य के सचिवालय में कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	Proposed retrenchment of employees in Sachivalaya of Gujarat State	98
2971. चाय इन्सटांट टी का निर्यात	Export of Instant Tea	98-99
2972. राजस्थान के कोटा तथा झालावाड़ जिलों के बीच टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करना	Telephone links in Kotah and Jhalawar Districts of Rajasthan	99-100
2973. प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया भवन परियोजना से सम्बन्धित धनराशि का कथित दुरुपयोग	Alleged misuse of funds relating to PTI Building project	100
2975. केरल के नगरों में स्वचालित डायल प्रणाली का लागू किया जाना	Introduction of Automatic Dialling System in Kerala Cities	100
2976. आयात तथा निर्यात लाइसेंस देना	Issue of Import and Export Licences	101
2977. सरकार के हिन्दी सलाहकार की नियुक्ति	Appointment of Hindi Advisor to Government	101-102
2978. वैध पारपत्री पर भारत आए पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Visit by Pakistani Nationals to India on Valid passports	102
2979. समाचार एजेंसियों को सरकारी सहायता की राशि	Amount of Government Assistance to News Agencies	102-103
2980. पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को दी गई सजा	Punishment Awarded to Pak Nationals	103

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने के आधार में परिवर्तन करने की श्रीलंका सरकार की कथित एक पक्षीय कार्यवाही	Reported unilateral action of the Government of Ceylon in changing the basis for the grant of Ceylon citizenship	103-105
श्री एम० कल्याणसुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram	103-104
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	103-105
विदेश मंत्री की कुछ देशों की यात्रा के बारे में	Re: Visit of Minister of External Affairs to certain countries	105-106
शिलांग के यू० कायरवोह का रिलुम के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against the Editor of U. Kyrwoh Ka Rilum, Shillong	106-107
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	107-109
वाराणसी में हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re: Railway Accident at Varanasi	109-110
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	110
अनुदानों की मांगे—गृह मंत्रालय, 1971–72	Demands for Grants—Ministry of Home Affairs, 1971-72.	110-137
श्री शंकरराव सावन्त	Shri Shankarrao Savant	110-112
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	112-113
डा० कैलास	Dr. Kailas	113-114
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	115
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	115-117
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	117-118
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	118-119
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	119-120
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	120-122
श्री वेकारिया	Shri Vekaria	122
श्री मंगरू उइके	Shri M.G. Uikey	122-123

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birendra Singh Rao	124-125
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	125-126
श्री मोहम्मद ताहिर	Shri Mohammad Tahir	126-127
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	127
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	128-129
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	129-130
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri N. K. Sharma	130
श्री फ्रेंक अन्थनी	Shri Frank Anthony	131-132
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	132-133
श्री मूलचंद डागा	Shri M. C. Daga	133-134
श्री रामवतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	134-135
श्री रामधन	Shri Ram Dhan	135-136
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	136
श्री० डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	136-137
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	137

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 23 जून, 1971/2 आषाढ़, 1893 (शक)

Wednesday, June 23, 1971/Asadha 2, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Consultation with Experts in Connection with Fourth Plan

*662. **Shri Ram Chandra Vikal**: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the names of experts who have been consulted by him in connection with the Fourth Five Year Plan;

(b) the names of experts consulted in connection with agriculture; and

(c) the time by which the Fourth Five Year Plan would be finalised ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Two separate lists, one giving the names of experts who were consulted by the Planning Commission in connection with the finalisation of the Fourth Five Year Plan, and the other giving names of experts consulted so far, regarding appraisal of the Fourth Plan underway, are laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See No. L. T. 503/71*]

(b) The names of agricultural experts consulted in connection with finalization of the Fourth Five Year Plan are given in List I (a) and I (b). [*Placed in the Library. See No. L. T. 503/71*].

(c) The Fourth Five Year Plan was finalised in early 1970 and the published document was laid on the Table of the House in May, 1970. An appraisal of the Fourth Plan is in progress.

Shri R. C. Vikal : May I know when he will finalize the work regarding apprisal of the Plan ? First the Plan is prepared and then its apprisal is made. I want to know what is the specific difference between the two. May I know whether certain schemes are shelved while some new schemes are taken up.

Shri Mohan Dharia: The Fourth Five Year Plan, which has been laid on the table of the House, is a complete one. After the lapse of two years, we look into the completed and remaining Programmes, that were taken up in the Plan, and examine what changes should be brought about to fulfill the promises given to the people. When this work is completed, it will be called the apprisal of the Plan. This is the difference.

Shri R. C. Vikal : It has been observed that at the preliminary stage of the Planning many schemes are given up after conducting survey. Further, some other schemes are given up left after some work has been carried on them. The country suffers economically as a result of this. The reason for this is that the members of the Planning Commission and the economists are changed from time to time.

Mr. Speaker : Please ask question.

Shri R. C. Vikal : In the beginning members and experts of the Planning Commission were consulted. After some time they were changed and then their successors were consulted. They too were changed and new persons came who were consulted. It is because of these changes that changes in the Plan take place and the Plan as originally prepared is changed. I want to know whether you are thinking of setting up a permanent Planning Commission and having the Plan prepared by persons having practical knowledge ?

Shri Mohan Dharia : The work of Planning is a continuous one. It is based on certain recognised principles. Therefore some changes are effected in the beginning also. But when the Plan is ready, we should leave no stone unturned in implementing it. We did not do this fully and some obstacles came in the way. But I assure you that such programmes will be taken in hands which will solve problems confronting us.

Shri B. P. Maurya : Up till now the mode of Planning is such that it is urban oriented and nothing is left for rural development. May I know whether you will revers this process and make it rural oriented ? Even today there are lakhs of villages without water. I want to know whether you will start Planning from villages and then take it to the cities. Will you do this ?

श्री मोहन धारिया : सभा के सदस्यों ने देखा होगा कि जब चौथी योजना बनाई गई थी उस समय से पुराना तरीका बदल दिया गया है । अब हमने योजना जिला स्तर से बनाई है और चौथी योजना जिला स्तर पर आधारित है क्योंकि वह नीचे से आरम्भ होती है ।

Shri B. S. Bhaura : May I know whether you will make some special allocation in the Plan for agricultural labourers and landless peasants ? Will you make provisions for them so that they may progress in a better way. Attention has been given to agriculture but agricultural labourers and landless peasants have been neglected.

श्री मोहन धारिया : यह सच है कि खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा की गई है और अब समय आ गया है कि बहुत पहले योजना आयोग द्वारा सुझाये गये भूमि संबंधी सुधारों को क्रियान्वित किया जाये। चौथी योजना का मूल्यांकन करते समय हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि भूमिहीन मजदूरों और काम करने वाले लाखों व्यक्तियों को योजना में उचित स्थान मिले।

Dr. Govind Richhariya: The population of Uttar Pradesh constitutes 17 percent of the whole population of the country. May I know whether before finalising the Fourth Plan the principle that the allocation of amounts will be based on the population was accepted ?

श्री मोहन धारिया : राष्ट्रीय विकास परिषद ने सरकार तथा योजना आयोग को कतिपय मार्गनिर्देशक सिद्धान्त दिये है। सरकार ने इनको स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार राजस्व का 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है।

दूरसंचार चैनलों को कलकत्ता से बम्बई ले जाया जाना और अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार के लिए दिल्ली के निकट दूसरे भू-उपग्रह केन्द्र की स्थापना

*664. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर कलकत्ता तथा दूसरी ओर आस्ट्रेलिया, हांगकांग और जापान के मध्य इस समय चल रहे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार चैनलों को हाल ही में कलकत्ता से बम्बई अन्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार सेवा के लिए दूसरा भू-उपग्रह केन्द्र दिल्ली के निकट स्थापित किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो कलकत्ता के वाणिज्यिक, राजनीतिक, भौगोलिक, मौसम विज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य पहलुओं से बड़ा होने के बावजूद उस नगर की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना) : (क) से (घ). सभा पटल पर अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण-पत्र रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). आर्वी के उपग्रह-संचार-भूमि-केन्द्र के जरिये प्रचालित, केवल विदेश परियात को ही अब बम्बई से होकर प्रचालित किया जा रहा है। कलकत्ता क्षेत्र से अन्य विदेश परियात, विदेश संचार सेवा के कलकत्ता केन्द्र द्वारा ही निपटाया जा रहा है। जनता को विश्वसनीय और बेहतर किस्म की सेवा उपलब्ध कराने के लिये ही परियात को, उपग्रह प्रणाली को स्थानांतरित किया गया है।

(ग) और (घ). जी हां, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरी क्षेत्र में दूसरे उपग्रह भूमि केन्द्र के स्थापित करने का निश्चय किया गया है। यह निश्चय परियात के विचारों पर आधारित है क्योंकि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार परियात के समग्र क्षेत्र में दिल्ली क्षेत्र का स्थान बम्बई क्षेत्र के बाद दूसरा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उपग्रह संचार सेवा के संबंध में क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान लाइन बहुत पुरानी होने तथा भारी वर्षा और तूफान आने की स्थिति में बार-बार खराब होने के कारण कलकत्ता को तथा वहां से होने वाले ट्रैफिक को अब बम्बई से चलाना पड़ा है और इसमें बार-बार विघ्न पड़ता है जिसके कारण जनता, व्यवसाय व्यापार तथा वाणिज्य आदि को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतएव क्या यह वांछनीय नहीं है कि उपग्रह संचार व्यवस्था के साथ संबंध केवल आरवी स्थित केन्द्र से नहीं होना चाहिए और क्षेत्रीय भूमि केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए और कलकत्ता में एक स्वतंत्र भूमि केन्द्र बनाया जाना चाहिए ?

श्री हेमवतीनंदन बहुगुना : कलकत्ता के समीप एक भूमि केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं। दिल्ली और कलकत्ता का नाम भी सूची में हैं। कलकत्ता की अपेक्षा बम्बई में अधिक ट्रैफिक होने के कारण वहां पहला भूमि केन्द्र स्थापित किया जायेगा तथा दूसरा भूमि केन्द्र दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। बम्बई का ट्रैफिक सबसे अधिक है अतएव इसका चयन पहले किया गया था। इसके पश्चात दिल्ली की बारी आती है। धन के उपलब्ध होने की स्थिति में कलकत्ता के किसी स्थान पर तीसरा भूमि केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि बम्बई केन्द्र की स्थापना के पूर्व ही विदेशी विशेषज्ञों ने, जिनके साथ इस मामले पर सलाह-मशविरा किया गया था, पश्चिम बंगाल में आसनसोल के समीप के स्थान को पहला भूमिकेन्द्र स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया था और क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने यह सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि कलकत्ता देश कोई निर्यात व्यापार केन्द्र का प्रधान केन्द्र है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों से व्यापार चलता है और पूर्वी क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण पूर्वी एशियाई और जापानी ट्रैफिक वहीं से होता है। ऐसा क्यों है कि विशेषज्ञों की सलाह की उपेक्षा की गई और बम्बई को पहला स्थान दिया गया और अभी भी, जबकि दूसरा केन्द्र स्थापित किया जाता है, कलकत्ता के दावों की उपेक्षा की जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना : जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने विशेषज्ञों की सलाह का उल्लेख किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस विशेष सलाह के बारे में अनभिज्ञ हूँ परन्तु रिकार्ड में तथ्य बताते हैं कि संपूर्ण दूर संचार क्षेत्र–टेलीफोन, टेलीक्स, तार आदि का अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैफिक के रूप में जहां तक संबंध हैं उसमें बम्बई का स्थान सर्वोपरी है। उसके बाद दिल्ली का और फिर तीसरा स्थान कलकत्ता का है। अतएव हमने दूसरी योजना में दो केन्द्र स्थापित करने के लिए दो स्थानों का चयन किया है। परन्तु धन की कमी के कारण दोनों का चयन करना संभव नहीं था, दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां दूतावास है और ट्रैफिक बड़ी मात्रा में होता है, हमने पहले दिल्ली को प्राथमिकता दी। यह प्रश्न प्राथमिकता का है न कि उपेक्षा का।

श्री संजीवी राव : क्या सरकार दूर संचार व्यवस्था के लिए भू-उपग्रह केन्द्र की उन्नत टेक्नौलौजी का लाभ उठा रही है। टेलीविजन के लिए उपग्रह चैनलों का लाभ उठाने के लिए सरकार क्या प्रभावी कार्य कर रही है जैसा कि अमरीका, रुस और स्वीडन में किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशिष्ट प्रश्न कलकत्ता के बारे में है। हम इस पर आम बहस नहीं कर सकते है, वे संबंधित मांग उठने पर ही इस पर बहस कर सकते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय कृपया यह बतायेंगे कि क्या उन्हें कलकत्ता स्थित विदेश संचार सेवा के सेवा कर्मचारियों से एक विस्तृत ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने भारत में दूर संचार सेवा के स्थान के लिए तकनीकी संबंधी अपने विचार दिये हैं और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना : कलकत्ता के निकट उपग्रह केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अतएव सरकार के समक्ष उसके बारे में सभी प्रकार की समितियां हैं । मेरे माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु की सम्मति सहित इन सभी राज्यों के बारे में उचित समय विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या उन्होंने विदेश संचार सेवा के कर्मचारियों से विस्तृत ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

श्री हेमवतीनंदन बहुगुना : मुझे ऐसे ज्ञापन के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

आनन्दपुर बांध परियोजना

*668. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आनन्दपुर बांध परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में योजना आयोग को क्या कठीनाई अनुभव हो रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : आनन्दपुर बांध परियोजना को राज्य की चौथी योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करना सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि इस समय कार्य प्रारम्भ करने के लिये अपेक्षित संसाधन दृष्टिगत नहीं हैं ।

श्री अर्जुन सेठी : क्या सलांदी परियोजना को आनन्दपुर बांध परियोजना के साथ-साथ एक एकीकृत परियोजना समझा गया था ?

श्री मोहन धारिया : उड़ीसा में कई परियोजनायें हैं । योजना आयोग ने इस समस्या पर विचार किया था। यद्यपि यह परियोजना तकनीकी दृष्टी से स्वीकृत है, दुर्भाग्य से वित्त व्यवस्था के अभाव में इसे आरम्भ नहीं कराया जा सका।

श्री अर्जुन सेठी : क्या सलांदी परियोजना जिस पर 1.24 करोड़ रुपया नहरों और जाँच तथा सर्वेक्षण कार्यों के लिये व्यय किया जा चुका है, का पूरा लाभ उठाने के लिए आनन्दपुर बांध परियोजना को तुरन्त स्वीकृति देना उचित नहीं है ?

श्री मोहन धारिया : आनन्दपुर बांध परियोजना को जिस पर 21.94 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है, तकनीकि परामर्श समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी । परन्तु जब उन्हें धन उपलब्धता की स्थीति का पता लगा तब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उड़ीसा राज्य की योजना में सिंचाई परियोजनाओं के लिये केवल 1. 75 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। अत: योजना आयोग ने पिछड़े हुये क्षेत्रों में बीच के स्तर की तीन योजनाओं को स्वीकृति दी थी और उन पर कार्य आरम्भ किया

जा चुका है । यद्यपि यह परियोजना तकनीकि दृष्टि से अनुमोदित है और इसे आरम्भ करना आवश्यक भी है, मुझे खेद है की धनाभाव के कारण इसे स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

श्री एस० एस० महापात्र : यह आनन्दपुर बांध परियोजना सलांदी परियोजना से सम्बद्ध है। जब तक इस परियोजना को कार्यरूप नहीं दिया जाता सलांदी परियोजना निरर्थक है।

अध्यक्ष महोदय : संभवतया मंत्री को इस बात का पता है । आप प्रश्न पूछिये ।

श्री एस० एस० महापात्र : क्या इस परियोजना को कार्यरूप देने के लिये कुछ अधिक वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि यह एक सम्बद्ध परियोजना है और इस से तीन लाख एकड़ से अधिक भमि की सिंचाई होगी ।

श्री मोहन धारिया : मैं माननीय सदस्यों कि भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं। इस मामले का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है । वर्ष 1971-72 के लिये योजना तैयार करते समय भी इस प्रश्न पर विचार किया गया था। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि राज्य कोष से ही इस परियोजना के लिये और अधिक वित्त व्यवस्था कर पाना संभव हुआ तो हमें इससे बहुत प्रसन्नता होगी।

तम्बाकू के निर्यात में कमी होना

*669. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कच्चे तम्बाकू के निर्यात में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके लिये निर्यात में विशिष्ट रूप से कमी हो गई है;

(ग) क्या विश्व मंडी में भारतीय तम्बाकू की स्पर्धा शक्ति निरन्तर कम हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारतीय तम्बाकू के लिये अनुकूल स्थिति उत्पन्न करने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन ० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या सरकारने, 'फल्यू क्योर्ड' तम्बाकू, जिसकी संसार के बाजारों में प्रतिस्पर्धा निरन्तर कम होती जा रही है, को भारत में सिगरेट बनाने के लिये उपयोग करने की वांच्छनीयता पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री का उत्तर नकारात्मक है तो अनुपूरक प्रश्न नहीं उठते।

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या सरकार ने चाय बोर्ड की तरह तम्बाकू बोर्ड बनाने का विचार अन्तिम रूप से छोड़ दिया है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं?

श्री एल० एन० मिश्र : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं, एक तम्बाकू की किस्म के बारे में दूसरा तम्बाकू बोर्ड के गठन के विषय में। इस समय तम्वाकू बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि मंत्रालय इस समय तम्बाकू बोर्ड का गठन करना आवश्यक नहीं समझता है। ऐसी शंका नहीं होनी चाहिये कि किस्म के कारण हमारी तम्बाकू निर्यात कम हो रहा है। वास्तव में हमारा तम्बाकू का निर्यात बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। गत वर्ष हमारा निर्यात 22 करोड़ का था और इस वर्ष 23 करोड़ का है। अतः इस विषय में कोई शंका नहीं होनी चाहिये। हमारी तम्बाकू अच्छी किस्म की रही है और निर्यात में कोई कमी नहीं आई है।

श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा उठीं।

अध्यक्ष महोदय : तम्बाकू में इनकी रूची क्यों है?

श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा : आपने यह कैसे सोच लिया कि स्त्रियां तम्बाकू नहीं पीती हैं?

क्या विदेशों को तम्बाकू का और अधिक निर्यात करना संभव है? क्योंकि आंध्रप्रदेश अधिक तम्बाकू पैदा करने वाले राज्यों में से एक है, अतः उसने आंध्र में एक तम्बाकू बोर्ड स्थापित करने की मांग की है। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि मैं पहले वता चुका हूं तम्वाकू बोर्ड के गठन की संभावना नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : तम्बाकू के सम्बन्ध में यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या कच्चे तम्बाकू के निर्यात में कमी होने की संभावना है, और मंत्री ने उत्तर दे दिया है, 'नहीं।'

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अमृत नाहाटा : तम्बाकू के निर्यात पर एक महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने कहा है, 'नहीं।'

श्री अमृत नाहाटा : इसका एक और पहलू है। इस क्षेत्र में एकाधिकार है।

श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा : यदि इस से लाभ होता है, तो सरकार बोर्ड का गठन क्यों नहीं करती?

श्री प्रबोधचंद्र : मंत्री महोदय ने अपने बचाव में कहा है कि निर्यात 22 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ हो गया है। क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि भारत की अपेक्षा दूसरे देशों के निर्यात में

वहुत अधिक वृद्धि हुयी है। तम्बाकू पीने वालों की संख्या में 5 प्रतिशत वृद्धि हुयी है जबकि हमारे निर्यात में 5 प्रतिशत वृद्धि नहीं हुयी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी जाती के लोगों को छोड़कर।

श्री एल० एन ० मिश्र : प्रश्न यह है कि हमारे निर्यात की स्थिति क्या है। गत वर्ष के 22 करोड़ रुपये के निर्यात की तुलना में इस वर्ष के चार, पाँच महीनों में हमारा निर्यात 23 करोड़ रुपये का हुआ है। जहां तक दूसरे देशों की निर्यात वृद्धि का प्रश्न है यह सच है कि हमें थाईलैंड, फिलीपीन, इन्डोनेशिया और पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। परन्तु इस समय तक बाजारों में हमारी स्थिति अच्छी है और उसमें सुधार हो रहा है। अतः इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai: May I know whether government is going to make any arrangement to provide just profit to Tobacco producers since they are not getting that because the purchase for exports is made by trades who can profits out of it ?

Mr. Speaker : You have asked this question, but it does not arise out of it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच नहीं है कि कच्चे तम्बाकू के निर्यात आँकड़े अधिकांशतः पहले जैसे ही है जिसका अर्थ यह है कि सरकार तम्बाकू से तैयार की जाने वाली वस्तुओं का निर्यात करने में असफल रही है। क्या यह भी सच नहीं है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की तम्बाकू, जैसे गोल्डन वरजीनिय फल्यू-क्योर्ड, पर इम्पीरियल टोबेको कम्पनी की उपशाखा इन्डियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी का एकाधिकार है, यदि हां, तो सरकारने एकाधिकार को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है।

श्री एल० एन ० मिश्र : अब तक तम्बाकू का निर्यात ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में होता रहा है और इसे सरकारी क्षेत्र में लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। माननीय सदस्य ने परामर्श दात्री समिति में भी यह सुझाव दिया था और हमने इस विषय पर काफी लम्बा वाद विवाद किया था। हम तम्बाकू के निर्यात की वर्तमान प्रणाली को बदलना नहीं चाहते।

तिलहन तथा तिलहन के उत्पादों के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना

*670. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहन तथा तिलहन-उत्पादों के लिये एक स्वतंत्र निर्यात संवर्धन परिषद् स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है जैसा कि बम्बई विश्वविद्यालय तथा साराभाई प्रबन्ध निगम, बडौदा के आपरेशंस रिसर्च ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से किये गये वस्तु सम्बन्धी सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का स्वरूप क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन मिश्र) : (क) तथा (ख). जी हां। सरकार ने तिलहन, तेल तथा खली हेतु एक निर्यात संवर्धन परिषद् गठित करने का विनिश्चय किया है और इस दिशा में कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री के० लकप्पा : क्या निर्यात संवर्धन परिषद् में देश के तिलहन तथा तिलहन उत्पादों के निर्यात संवर्धन सम्बन्धी मामलों के सभी विशेषज्ञ हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : इस परिषद् में केवल विशेषज्ञ ही नहीं होंगे अपितु इसमें व्यापारियों, आयातकर्ताओं, मुख्य उत्पादकों के तथा सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे ।

श्री के० लकप्पा : क्या भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में देश की स्थिति को भी ध्यान में रखा है ।

श्री एल० एन० मिश्र : यह समिति हाल ही में बनाई गई है। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, वह बढ़ रहा है । परन्तु जिस प्रकार की खली हम चाहते हैं उस प्रकार की खली उपलब्ध नहीं है । महाराष्ट्र, जहां से यह बहुतायत में उपलब्ध होती थी, में भी खली की कमी है । परन्तु इस स्थित में भी निर्यात में वृद्धि हो रही है ।

कच्ची फिल्म की अत्यधिक कमी के कारण चलचित्र उद्योग के सामने संकट

*674. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अपर्याप्त संस्थात्मक वित्तपोषण और कच्ची फिल्म की कमी के कारण भारत के चलचित्र उद्योग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) हमारे फिल्म उद्योग की समस्याओं में अपर्याप्त संस्थात्मक वित्त पोषण तथा समय-समय पर कच्ची फिल्मों की कमी होना शामिल है ।

(ख) सरकार ने ब्याज की उचित दरों पर संस्थात्मक वित्त पोषण की कमी को पूरा करने के लिए फिल्म वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना की है । यह एक सरकारी उपक्रम है जो कुछ समय से तुलनात्मक दृष्टि से छोटे बजट वाली तथा उच्च कलात्मक सोउद्देश्य फिल्मों को धन दे रही है । सरकार ने हाल ही में निगम के स्रोतों में वृद्धि की है तथा वह चालू वर्ष और आने वाले वर्षों के दौरान इसको और धन राशि देने का विचार रखती है ।

कच्ची सादी फिल्मों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया गया है । जब भी ऐसी फिल्मों की अस्थायी तौर पर कमी हुई है, सरकार ने राज्य व्यापार निगम की मार्फत ऐसी फिल्मों का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गत वर्ष आवेदकों ने फिल्मों के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता की मांग की थी और सरकार ने कुल कितनी राशि दी ।

श्रीमती नंदिनी सतपथी : वास्तव में हमारे पास 1.32 करोड़ रुपया उपलब्ध था । यह फिल्म वित्त निगम का बजट है। यह सच है कि हमारे पास बहुत से आवेदनपत्र आते हैं परन्तु धन के लिये

आवेदनपत्र देने वालों की उन मांगों को पूरा करना संभव नहीं है। परन्तु फिर भी जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, फिल्म वित्त निगम का उद्देश्य उन फिल्मों को सहायता प्रदान करना है जो कला की दृष्टि से उच्च स्तर की हों। अत: फिल्म वित्त निगम के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह प्रत्येक फिल्म को अथवा अन्य किसी भी निर्माता को जो फिल्म बनाना चाहता है, वित्तीय सहायता दे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितनी राशि के लिये आवेदन दिये गये तथा सरकार ने कितनी राशि दी।

श्रीमती नंदिनी सतपथी : मेरे पास इस समय ये आंकड़े नहीं हैं परन्तु मैं बाद में बतादूंगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कच्चे माल के उत्पादन के विषय में जहां तक मैं समझता हूँ, वर्ष में निगेटिव फिल्मों की आवश्यकता 1 करोड़ 80 लाख फुट तथा पाजिटिव फिल्मों की 4. 57 लाख फुट है। उटकमांड स्थित सरकारी क्षेत्र की परियोजना द्वारा फिल्म उद्योग को आवश्यक मात्रा में कच्चा माल सप्लाई करने में उसकी असफलता को ध्यान में रखते हुये, सरकार का विचार इस उद्योग को विनाश से बचाने के लिये कौन से विशिष्ट कदम उठाने का है।

दूसरे, श्री सिन्हा ने आश्वासन दिया था कि सरकारी क्षेत्र में बहुत से सिनेमा घर बनाये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आपने क्या किया है।

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : श्रीमन् यह ठीक है कि कच्ची-फिल्मों अर्थात ब्लैक एण्ड व्हाइट पाजिटिव फिल्मों की कमी भी स्वदेशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुये सामान्यतया ब्लैक एन्ड व्हाइट पाजेटिव फिल्मों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। परन्तु फिल्मों की कमी होने के कारण हमने ब्लैक एन्ड व्हाईट पाजेटिव फिल्मों का आयात किया और फिल्म उद्योग की आवश्यकता पूरी की।

श्री डी० एन० तिवारी : उच्चस्तरीय फिल्म की कसौटी क्या है अथवा फिल्म में किन-किन बातों का होना आवश्यक है, क्योंकि आवेदकों को इसी कारण परेशान किया जाता है? क्या आप बतायेंगी कि इसका निर्धारित मापदंड क्या है और इसके लिये कि लोगों को परेशान न किया जाय क्या कार्यवाही की गई है।

श्रीमती नंदिनी सतपथी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि फिल्म वित्त निगम द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है जैसा के मैं बता चुकी हूं, फिल्म वित्त निगम के संसाधन सीमित हैं। सहायता के लिये आवेदक प्रत्येक व्यक्ति की मांग को पूरा करना संभव नहीं है। फिल्म का कलात्मक स्तर निश्चय करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति है तथा अन्य कई समितियाँ हैं जो फिल्म की कथा, उसके निर्वाह आदि के विषय में जांच करती हैं। सब कुछ आंकने के पश्चात निर्णय दिया जाता है।

Shri S. D. Singh : I would like to know, whether Government have such a list through which the number of films incomplete due to finance and other requirements like raw-material may be ascertained ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रश्न विषय से असम्बद्ध है।

श्री जी०विश्वनाथन : देश में फिल्मों की कमी तथा विदेशों से कच्ची फिल्मों के आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुये क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जायेगी जिससे हम कच्ची फिल्मों में आत्मनिर्भर हो सकें और हम यह आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त कर सकेंगे।

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : यह हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। वास्तव में उत्पादन की यह कमी अस्थायी है और इसे पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। फिल्म की किस्म में सुधार करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अमृत नाहाटा : हमारे देश में ब्लैक एन्ड व्हाईट फिल्मों का उत्पादन बहुत कम हो गया है। देश में जो फिल्में बनायी जाती हैं उनमें 85 प्रतिशत रंगीन हैं। हमारे देश में कच्ची रंगीन फिल्में नहीं बनायी जातीं और कच्ची रंगीन फिल्मों के आयात पर अत्याधिक विदेशी मुद्रा व्यय हो रही है। हमारे देश में ब्लैक एण्ड व्हाईट पाजेटिव फिल्में तो अच्छी बनती हैं परन्तु निगेटिव फिल्में घटिया स्तर की हैं। क्या सरकार देश में ब्लैक एन्ड व्हाईट निगेटिव फिल्मों की किस्म में सुधार करने पर विचार करेगी और क्या सरकार देश में रंगीन फिल्में बनाने के लिये एक संयत्र स्थापित करने पर भी विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न वित्तीय सहायता के विषय में है।

श्री नरेन्द्रकुमार सांघी : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि फिल्म उद्योग में गम्भीर संकट है। 300 से अधिक फिल्में वित्तीय व्यवस्था के तथा अन्य कच्चे माल के अभाव में अधूरी पड़ी हैं। मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि फिल्म वित्त निगम फिल्म निर्माण के लिये शीघ्र सहायता देने की स्थिति में नहीं है।

क्या वह चलचित्र उद्योग को एक उद्योग के रूप में सरकार द्वारा मान्यता दिलाने के लिए कार्यवाही करेगी और चलचित्र उद्योग को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिलाने के लिए भी वह कार्यवाही करवायेंगी जिससे कि यह उद्योग जीवित रह सके और वे लोग यह महसूस कर सकें कि वे भी इस देश के अंग हैं और वे इस संकट की स्थिति से बाहर निकल सकें। हिदुस्तान फोटो फिल्म्स छः महीने से अधिक समय से बन्द पड़ा है। यही कारण है कि देश में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है, बल्की एक सुझाव है।

Indo-Soviet Agreement on Import of Newsprint

*676. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether India has entered into an agreement with the Soviet Union in regard to the import of newsprint ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The State Trading Corporation of India have concluded a contract with M/s. Exportless, Moscow, on 21st May, 1971, for the import of 40,000 tonnes of Newsprint from USSR into India. The goods will be delivered during the period July, 1971 to April, 1972.

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether there are any terms and conditions in this agreement for the import of 40,000 tons of Newsprint ; if so, the details thereof?

Shri L. N. Mishra : The terms and conditions are similar to the terms and conditions contained in such types of agreements, *e. g.*, payment would he made in rupee. This agreement is a part of the trading treaty with Russia for the year 1971-72. The terms and conditions are similar to that of such type of agreements there should be deferred payment. The hon'ble Member would recall that we had placed that agreement on the Table of the House.

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether we import newsprint from certain other countries in addition to the Soviet Union ; if so, how much and the names of such countries ? Is there any difference between, the prices of newesprint of various countries and if so what are the details ?

Shri L. N. Mishra : There are many countries from which we import newsprint such as Canada, Zechoslovakia, Finland, West Germany, Norway, Poland, Sweden, U. K., U. S. A. and U. S. S. R. So far as Russia is concerned, we import 31% of total newsprint from them. It would not be proper to disclose here the information regarding prices, because we import from various countries and much an information would not be in the public interest.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सोवियत संघ से अखबारी कागज के आयात की एक शर्त यह है कि यह अखबारी कागज उन अखबारों को नहीं दिया जायगा जो साम्प्रदायिकता अथवा प्रान्तीयता का प्रचार प्रसार करते हैं। क्या यह एक शर्त है ?

श्री ललीत नारायण मिश्र : इस प्रकार की कोई शर्तें नहीं हैं और किसी भी व्यापार समझौते में ऐसी कोई भी शर्तें हम स्वीकार नहीं करेंगे।

Shri Phool Chand Verma : May I know whether it is a fact that the newsprint imported from Russia is costlier than that of the other countries ?

I would also like to know whether it is a fact that the greater quota of newsprint is giving to much newspapers who preach unpatriotic ideas.

Mr. Speaker : This question is regarding the agreement.

Shri L. N. Mishra : So far as price is concerned, I have already told that it would not be in the public interest to disclose the prices of newsprint imported from various countries, because it would affect on bargaining capacity. So far as distribution of newsprint to various papers is concerned, the whole newsprint is pooled together and thereafrer the Ministry of Information and Broadcasting distributes it among the papers. There is no condition as to newsprint of a particular country should go to a specified paper.

श्री लंका की सरकार द्वारा भारतीय प्याज के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाना

*677. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तन् :**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संगठन के माध्यम से किए जाने वाले प्याज के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो श्री लंका की सरकार ने किस आधार पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ग) श्री लंका को प्याज का निर्विधन निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) श्रीलंका सरकार ने वम्बईया प्याज के आयात पर रोक लगा दी है और लाल प्याज के आयात पर प्रति टन की कीमत की अधिकतम सीमा रख दी है ।

(ख) रोक लगाने के सही कारण हमें ज्ञात नहीं हैं ।

(ग) सरकार का इस मामले पर श्रीलंका सरकार से आगे बातचीत करने का विचार है ।

श्री कल्याणसुन्दरम् : मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिबन्ध को लगे अब तीन महीने से अधिक की अवधि हो चुकी है । मेरी इच्छा थी कि हमारे युवा उप-मंत्री पूरी सूचना प्राप्त करने में अधिक रुचि दिखाते । कोलम्बो स्थित हमारा उच्च आयोग काम कर रहा है अथवा नहीं ? क्या सरकार को यह पता है कि कोलम्बो में विदेश व्यापार मंत्री ने हमारी सरकार के विरुद्ध आरोप लगाये कि भारत सरकार अधिक कीमतें थोपने के लिए भारत से प्याज के निर्यात को अपनी इच्छानुसार दिशा प्रदान कर रही है और वहाँ की सरकार द्वारा रोक लगाने का यही कारण था ? क्या यह सच है ? और इस बारे में हमारी सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ए० सी० जार्ज : श्रीमान जी, हमें प्राप्त सूचना इस प्रकार है । श्रीलंका की सरकार ने 1 जून को रोक लगाई । हमें यही सूचना प्रेषित की गई ।

एक माननीय सदस्य : आपकी सूचना गलत है ।

श्री कल्याणसुन्दरम् : आपकी व्यक्तिगत सूचना क्या है ?

श्री ए० सी० जार्ज : प्याज के निर्यात के बारे में मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि श्रीलंका को प्याज के आयात को वस्तुतः 4 वर्ष से पहले एक निश्चित दिशा प्रदान की गई थी परन्तु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और हमारे अपने लघु निर्यातकर्ताओं के विरुद्ध लगाये गये अवरोधों के कारण यह अनुभव किया गया कि, हम अपने निर्यात व्यापार को एक निर्दिष्ट दिशा प्रदान करें और उसी भावना के अनुरूप हमने 10 मार्च को इच्छित दिशा प्रदान करने का निश्चय किया । श्रीलंका के उच्चायुक्त

ने हमसे भेंट की और इस मामले पर चर्चा की । उनको यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि, किन्ही भी अनिर्णित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हम अब भी तैयार हैं और अगर हम अपनी ओर से किन्ही समस्याओं को हल कर सकते हैं, तो हमें ऐसा करने में अत्याधिक प्रसन्नता होगी ।

श्री कल्याणसुन्दरम् : श्रीलंका की सरकार ऊपर से कुछ भी कारण बता रही हो, परन्तु क्या यह सच है, अथवा, सरकार के पास कोई सूचना है कि यह तथाकथित प्रतिबन्ध उनकी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण है और यदि हाँ, तो क्या सरकार कुछ अन्य रियायत देकर उनकी सहायता करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस मामले में श्रीलंका की सरकार यदि चाहे तो हमसे विचार विमर्श कर सकती है । हमने दो से भी अधिक बार स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि इस मामले के बारे में किन्हीं भी समस्याओं पर चर्चा करने में हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी ।

श्री के० लकप्पा : भारतीय विपणन संघ ने प्याजों का भारी मात्रा में संग्रह किया है । श्रीलंका द्वारा प्याजों के सभी प्रकार के आयात पर यह प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण देश में वसूल की गई प्याजों को भारी क्षति पहुंची है । मैं यह जानना जाहता हूं कि प्याजों के इस निर्यात व्यापार के बारे में इस देश के सहकारी संघ को कितना घाटा हुआ है । इस बारे में स्थिति में सुधार करने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ए० सी० जार्ज : छोटे व्यापारियों ने स्वयं यह सुझाव दिया है कि निर्यात को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने पर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उन्होंने जो एक साथ सुझाव दिया है वह यह है कि इस बारे में, अगर कोटा पद्धति को क्रियान्वित किया जाता है, तो राष्ट्रीय संघ के माध्यम से कार्य करने में उन्हें प्रसन्नता होगी ।

श्री के० लकप्पा : इस भारतीय विपणन संघ ने श्रीलंका को निर्यात करने के लिये प्याजों का संग्रह किया है । इस प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप भारी क्षति पहूंची है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितनी क्षति हुई इस सरकार द्वारा सहकारी आधार पर निर्यात को बढ़ावा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : लकप्पा जी, यह प्रश्न श्री लंका को निर्यात के बारे में है, प्याज के परिरक्षण के बारे में नहीं । आप दूसरे मन्त्रालय से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री के० लकप्पा : श्रीलंका की सरकार द्वारा यह रोक लगा दिये जाने के कारण भारतीय विपणन संघ द्वारा वसूल की गई प्याज में क्षति हुई है । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितनी क्षति हुई है । कतिपय छोटे निर्यातकर्ताओं ने श्रीलंका की सरकार के साथ साँठगाँठ कर रखी है और इसलिए वे इस सहकारी संघ को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्यात के बारे में है । जहाँ तक क्षति का प्रश्न है, वह एक अलग मामला है । कृपया बैठ जाइये ।

श्री के० लकप्पा : हमें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली ।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि प्याज का किस प्रकार परिरक्षण किया जाता है ।

Shri Kale : Mr. Speaker, I want to know from the hon. Minister as to how much demurrage has been caused as a result of this ban and whether any scheme to convert onions into powder is under consideration of the Government ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री जी० विश्वनाथन : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रीलंका को प्याजों के निर्यात के मामले में हमारी सरकार ने कोई भी पहल नहीं की है । श्रीलंका के उच्चायुक्त ने ही पहल की । मैं जानना चाहता हूं क्या कुछ भारतीय व्यापारियों ने श्रीलंका सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर बेचने का प्रस्ताव किया है । इस मामले में सरकार क्या पहल करने जा रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह कहना सही नहीं है कि हमने इस मामले में पहल नहीं की है । जब श्री लंका के उच्चायुक्त ने हमसे भेंट की, तो उन्हें यह स्पष्ट बता दिया गया था कि अगर वे अपने खाद्य आयुक्त को यहाँ भेज दें तो सभी अनिर्णीत समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है और उनका समाधान किया जा सकता है।

भूतपूर्व आई० बी० चीफ द्वारा "दी चायनीज बिट्रेयल" नई पुस्तक का प्रकाशन

*679. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व आई० बी० चीफ श्री बी० एन० मल्लिक द्वारा लिखित "दी चायनीज बिट्रेयल" नामक पुस्तक की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या श्री बी० एन० मल्लिक ने सरकार की आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा गुप्तचर्या और रक्षा गुप्तचर्या सेवाओं के सम्बन्ध में पुस्तक प्रकाशित करने के लिये सरकार की अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त की थी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री त्रिदिब चौधरी : मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (क) का उत्तर 'हाँ' में दिया है, जिसका अर्थ यह है कि उनका ध्यान इस पुस्तक की ओर आकर्षित किया गया है; भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' में दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि किसी प्रकार की पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृति नहीं माँगी गई थी ।

भारत सरकार के आसूचना ब्यूरों के भूतपूर्व प्रधान द्वारा लिखित इस पुस्तक के पहले ही वाक्य को मैं माननीय मन्त्री जी को पढ़कर सुनाना चाहूंगा । यह इस प्रकार है :—

"इस पुस्तक को लिखने के लिए सबसे पहले भारत के तत्कालीन रक्षा मन्त्री श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रोत्साहन मिला। श्री चव्हाण को कुछ अनुचित तथा अनभिज्ञ आलोचनाओं से चिन्ता थी, जिनका सम्बन्ध सरकार द्वारा कार्यवाही करने से था ....।"

यह ठीक है कि श्री यशवन्तराव चव्हाण को सैन्य गुप्तचर विभाग तथा आसूचना ब्यूरो के प्रधान को इस पुस्तक को लिखने के लिए कहने की आजादी थी। परन्तु मेरा विचार था कि जब श्री यशवन्तराव चव्हाण जैसा व्यक्ति, जो उस समय भारत के रक्षा मन्त्री थे, जो गृह मन्त्री भी रहे थे और जो अब वित्त मंत्री हैं, आसूचना ब्यूरो जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अवकाश प्राप्त अधिकारी को पुस्तक लिखने की प्रेरणा देते हैं, तो मान लेना चाहिए कि इस पुस्तक को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त थी। मेरे ऐसा कहने का कारण इस प्रकार है। यह पुस्तक पहले ही विवादास्पद बन चुकी है। सरकार द्वारा किसी बुराई को न सुनने, न कहने और न देखने का विचार सही हो सकता है। 'जी, हां' तथा 'जी, नहीं' जैसा एक शब्दीय उत्तर बहुत विवेकपूर्ण प्रतीत होता है। परन्तु यह पुस्तक पहले ही विवादास्पद बन चुकी है। श्री यशवन्तराव चव्हाण के उद्देश्य को पूरा करने की बजाय इस पुस्तक ने मेरे विचार में तथा बहुत से योग्य पाठकों के विचार में सम्पूर्ण भारत सरकार, हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, समग्र सरकार के कार्य करण और उसकी गुप्त चर्या पद्धति का मखौल उड़ाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस पुस्तक को पहले क्यों नहीं पढ़ा गया और अनुमती क्यों नहीं माँगी गई?

श्री मोहसिन : यह सच है कि इस पुस्तक में श्री मलिक ने उन सब घटनाओं का उल्लेख किया है जिनके कारण चीन के साथ संघर्ष हुआ और उन्होंने संघर्ष का विवरण भी दिया है। साथ ही उन्होंने उन कारणों का भी विश्लेषण किया है जिनके कारण भारत की इस संघर्ष में हार हुई। इस पुस्तक में देश की गुप्तचर सेवाओं और संगठन का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के कुछ अंशों के कारण यह सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि क्या सरकारी रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जा सकती है या नहीं। यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है। परन्तु वर्तमान नियमों के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्यियों को जो कि सरकारी सेवा में हैं, किन्हीं भी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। परन्तु ऐसे कोई नियम नहीं है कि जो व्यक्ति सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी पुस्तकें प्रकाशित कराने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़े।

श्री त्रिदिब चौधरी : जैसा कि लेखक ने कहा है कि उन्होंने यह किताब मंत्री मंडल के एक महत्वपूर्ण तथा वरिष्ठ सदस्य के प्रोत्साहन देने पर लिखी थी तो क्या इस मामले पर कभी उच्च स्तर पर विचार किया गया था कि आसूचना ब्यूरो के कार्य के अतिरिक्त इससे अन्य कई बातों का पता चलता है। मैं नहीं जानता कि इस व्यक्ति को आसूचना ब्यूरो के संरक्षण में कैसे और क्यों रखा गया?

श्री मोहसिन : हाँ, सरकार को किताब में दी हुई विषय सामग्री के विषय में पता है। मैं पहले ही इस किताब की मुख्य बातें बता चुका हूँ। यह विचार किया जा रहा है कि इस भूतपूर्व अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की जाय अथवा नहीं।

श्री राम गोपाल रेड्डी : क्या इस पुस्तक का हमारी रक्षा तथा विदेश नीतियों पर कोई दुष्प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत बड़ा है इस पर राय नहीं मांगी जा सकती।

श्री मोहसिन : इसी बात पर तो विचार हो रहा है ।

श्री डी० एन० तिवारी : 1962 के भारत-चीन संघर्ष पर कितनी पुस्तकें लिखी गयी हैं और क्या सैन्य अधिकारियों तथा रक्षामंत्रालय के एक भूतपूर्व सचिव ने क्या इस विषय पर पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विभिन्न बातों को अलग अलग ढंग से लिखा है । तथा क्या श्री मलिक ने इस बात की कोशिश की कि सारे मामले का एक ठीक चित्र पेश करके जनता के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत की जाय ताकि किन्हीं अन्य लेखों द्वारा जनता गुमराह न हो सके ?

श्री मोहसिन : पहले ही कुछ किताबें लिखी जा चुकी हैं। पहली पुस्तक लेफ्टिनेन्ट जनरल कौल द्वारा लिखित "अनटोल्ड स्टोरी" थी, उसके पश्चात् ब्रिगेडियर दल्वी की "हिमालयन ब्लण्डर", डी० आर० मनकेकर द्वारा लिखित "गिल्टी मैंन आफ 1962", डा० राजेन्द्र प्रसाद और डा० राधाकृष्णन के ए० डी० सी० मेजर सी० एल० दत्ता द्वारा लिखित "विद् टू प्रेसीडेन्ट्स" तथा अन्तिम पुस्तक श्री मेक्सवैल द्वारा लिखित "इण्डियाज चाइना वार" थी ।

टेलिविजन सेटों में आयातित पुर्जे

*684. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत में टेलिविजन किन-किन स्रोतों से उपलब्ध होते हैं;

(ख) भारत में बनने वाले प्रत्येक किस्म के टेलीविजन सेट में प्रयुक्त विदेशों से आयातित पुर्जों का क्या भाग है; और

(ग) विदेशी मुद्रा के भाग को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंस्टीट्यूट पिलानी द्वारा विकसित पद्धति के आधार पर चार भारतीय फर्मों द्वारा निर्मित टेलीविजन सेट बाजार में मिल रहे हैं ।

(ख) 23"/24" टेलीविजन रिसीवर के आयतित मात्रा का मूल्य 260 रुपये तथा 19" का 150 रुपये हैं । इस का मुख्य भाग टी० वी० पिक्चर ट्यूब है ।

(ग) टी० वी० पिक्चर ट्यूब बनाने के लिये भारत इलेक्ट्रानिक्स द्वारा स्थापना पहले ही की जा चुकी है । फिर भी बी० ई० एल० को पिक्चर ट्यूब के बनाने के लिये शीशे के बल्ब के लिये 60 रुपये की विदेशी मुद्रा की जरुरत है । अन्य जो विशेष मात्रायें जो विदेश से आयात की जाती हैं, शीघ्र ही देश में बनाई जायेंगी । पिक्चर ट्यूब के लिये शीशे की ट्यूब का भारतीय निर्माण भी अवेक्षित है, जिससे आयतित हिस्सों का मूल्य टी० वी० सेट के मूल्य का 1 से 2% रह जायेगा ।

Shri K. C. Pandey : I would like to know from the hon. Minister whether the T. V. sets are also necessary for the propagation of agricultural and educational knowledge and if so, how long it would take to introduce this scheme in rural areas instead of in big cities like Bombay, Calcutta, Delhi and Ahmedabad ?

श्री मोहसिन : सरकार जानती है कि देहाती इलाकों में भी टेलीविजन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अब सरकार ने यह निश्चय किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जाँय। बम्बई केन्द्र का सहायक केन्द्र पूना और लखनऊ का सहायक केन्द्र कानपुर होगा। श्रीनगर और बम्बई स्टेशन वर्ष 1972 के मध्य तक चालू हो जायेंगे।

Shri K. C. Pandey : Mr. Speaker, Varanasi has been a cultural centre of U. P. and it is so even now. I would like to know as to why Varanasi and Allahabad are being neglected. Is there any scheme to establish T. V. Centre there as well and if so, when ?

श्री मोहसिन : यह कार्यवाही हेतु सुझाव है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि इन टी० वी० रिसीवरों के लिए पिलानी स्थित सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट ने तकनीकी जानकारी विकसित की थी जब हमारी अपनी देशी जानकारी पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुकी है, तो फिर आयातित विदेशी तकनीकी जानकारी द्वारा टी० वी० रिसीवरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फिलिप्स (इण्डिया) जैसी विदेशी फर्मों को सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहसिन : जब तक देशी जानकारी पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाती, हम कुछ समय के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी का प्रयोग जारी रख सकते हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से एल्युमिनियम का आयात

*685. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०, ने सरकार द्वारा किये गये निश्चित नियतनों के विरूद्ध अभी हाल में कुछ ई०सी० ग्रेड के एल्युमिनियम का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम को उक्त एल्युमिनियम की प्रति मीट्रिक टन 'उतरने पर लागत' क्या पड़ी और इस लागत पर इन्डेन्ट कमीशन कितनी लगती है ;

(ग) निगम द्वारा प्रति टन कितना मूल्य मांगा गया है; और

(घ) उद्योग को यह सामग्री कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल०एन० मिश्र) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम भिन्न-भिन्न स्रोतों से विभिन्न कीमतों पर एल्युमिनियम खरीदता है और तदनुसार कीमतें भिन्न-भिन्न होती हैं। निगम के व्यावसायिक कार्यकलापों, तथा उनकी कीमतों के आंकड़ों का ब्यौरा प्रचारित करना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) चालू तिमाही (अप्रैल से जून, 1971) के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा घोषित प्रति मे. टन बिक्री कीमतें निम्नोक्त प्रकार है :--

रुपये प्रति मे० टन

	निर्यात एककों के लिए	अन्य वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिये
(क) पिण्ड :		
(1) सीमाशुल्क की रियायती दर पर आधारित	6370	6460
(2) सीमाशुल्क की बिना-रियायती दर पर आधारित	6640	6740
(ख) तार-सरिये :		
(1) सीमाशुल्क की रियायती दर पर आधारित	6420	6515
(2) सीमाशुल्क की बिना-रियायती दर पर आधारित	6695	6795

(घ) उपरोक्त कीमतों पर, जो कि जून, 1971 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वैध है, वास्तविक प्रयोक्ताओं को बिक्री नोट आवंटन पत्र, जिनमें लाइसेंस देने वाले प्राधिकारियों/उद्योग निदेशकों द्वारा दिए गए बंटन शामिल हैं, पहले ही दिए जा चुके हैं।

श्री डी० डी० देसाई : मन्त्री महोदय ने एल्युमिनियम की आयातित कीमत को नहीं बताया है। क्या यह सच नहीं हैं कि एल्युमिनियम का आयात सम्पूर्ण विश्व टैण्डर द्वारा किया गया था और क्रय संविदाओं के स्वरूप को छिपाने के लिये आयातित लागत को सदन के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है।

श्री एल० एन० मिश्र : खनिज तथा धातु व्यापार निगम विभिन्न स्रोतों से विभिन्न मूल्यों पर अल्युमिनियम की खरीद करता है और विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच कोई भेदभाव न हो, इसे दृष्टि में रखते हुए विभिन्न देशों से खरीद के आंकड़ों को बताना लोकहित में नहीं होगा।

श्री डी० डी० देसाई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार आयोग तकनीकी विकास महानिदेशालय के माध्यम से इलेक्ट्रिक पावर कन्डक्टरों और केवल निर्माताओं पर आर्थिक दबाव डाल रहा है और यह धमकी दे रहा है कि अगर अब मांगी जा रही भारी कीमत पर उद्योगों ने अल्युमीनियम नहीं उठाया, तो देशी अल्युमीनियम के आवंटन में कटौति कर दी जायगी और अल्युमीनियम का अन्य कार्यों के लिये उपयोग प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमारा यह प्रयास रहा है कि उपभोक्ता सामग्री की कीमत को उचित स्तर पर रखा जाय और इसलिये कम दरों पर निर्माताओं को कच्चा माल सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Increase in Newsprint Quota of Small Newspapers

*661. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision to increase the quota of newsprint for small newspapers; and

(b) since when this increase in newsprint quota has been allowed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy): (a) and (b). Yes, Sir. Government's policy has been to provide for liberal increases in newsprint quota for small newspapers. The increases allowed to small newspapers since the licensing period October, 1963 to March, 1964 are shown in the statement laid on the Table of the House. (*Placed in the Library. See No. L. T—504/71*).

नारियल जटा के धागे पर से निर्यात शुल्क का हटाया जाना

*663. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल जटा के धागे पर से निर्यात शुल्क हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) कयर धागे पर निर्यात शुल्क समाप्त करने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

केरल में काजू के कारखानों का फिर से खोला जाना

*665. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1971 में सरकार और काजू फैक्टरी मालिकों के बीच कोई करार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप सभी फैक्टरियां पुनः खुल गई हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन फैक्टरियों को शीघ्र ही खुलवाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). काजू कारखानों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श हुए थे जिनके फलस्वरूप अधिकांश कारखाने पुनः चालू कर दिये गये हैं ।

युगोस्लाविया के साथ किये गये व्यापार की राशि का भुगतान रुपये में करने सम्बन्धी करार

*666. **श्री समर गुह** :
श्री पी० ए० सामिनाथन् :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगोस्लाविया के बीच व्यापार की राशि के भुगतान के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है;

(ख) क्या युगोस्लाविया रुपये में भुगतान स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो आपसी व्यापार सौदों के सम्बन्ध में दोनों देश अदायगी के किस आधार पर सहमत हुए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). अभी तक कोई करार नहीं हो सका है क्योंकि इस विषय पर दोनों सरकारों के बीच इस समय बातचीत चल रही है ।

रुई के आन्तरिक व्यापार और आयात व्यापार का अधिग्रहण

*671. **श्री नुग्घल्ली शिवप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के आन्तरिक व्यापार और आयात-व्यापार का अधिग्रहण करने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र). (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

रुई का आयात 15-9-70 से भारतीय रुई निगम लि० के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है। उस तारीख से रुई के लिये आयात लाइसेंस निगम के नाम पर दिये जाते हैं और उनका पृष्ठांकन उपभोक्ता मिलों के नाम पर किया जाता है। मिलों को रुई के आयात के लिये अब तक जो सेवाएं दी जाती हैं, उनके लिये उन्हें अभिकर्ता चुनने की छूट दी गयी है। इस प्रकार की सेवाएं निगम भी प्रदान करेगा, जहां उसे ऐसा करने के लिए कहा जायेगा।

जहां तक आन्तरिक व्यापार का सम्बन्ध है, निगम कीमतों के समर्थन के उद्देश्य से खरीदारी करेगा, अतिरिक्त लम्बे स्टेपल वाली रुई की नई किस्में उगाने वाले कृषकों को तत्काल बिक्री की व्यवस्था प्रदान करेगा और सरकारी प्रबन्ध के अधीन तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों के लिए स्वदेशी रुई प्राप्त करने में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सहायता करेगा।

मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार

*672. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए जोरदार प्रयास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सामान, उदाहरणार्थ इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी और कपड़े की मध्य-पूर्व के देशों में भारी मांग है और उन्हें रुई और कच्चे तेल की बिक्री के लिए, जिनकी भारत को बहुत जरूरत है, मंडियों की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो यथा संभव अधिकतम मात्रा में व्यापार विस्तार के इस अवसर का उपयोग करने के लिए किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ग) भारत पहले ही उस क्षेत्र के देशों से आवश्यक कच्चे माल का, जैसे कि संयुक्त अरब गणराज्य तथा सूडान से रुई और जोर्डन से राक फास्फेट का काफी मात्रा में आयात कर रहा है। अन्य वस्तुओं जैसे कच्चा तेल तथा गंधक के आयात करने की संभाव्यताओं का पता सक्रिय रूप से लगाया जा रहा है।

(ख) तथा (घ). हमारे परम्परागत उत्पादों जैसे कि चाय, पटसन की वस्तुओं, सूती वस्त्र, मसाले जिसमें इलायची शामिल है और अपरम्परागत उत्पादों, जैसे कि इंजीनियरी सामान, रासायनिक

पदार्थों तथा प्लास्टिक, दोनों प्रकार के माल के लिये अच्छी मांग है । इन देशों के साथ व्यापार की मात्रा में वृद्धि करने और विशेषत: अपरम्परागत मदों के निर्यातों के संवर्धन के लिए निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :

(1) **व्यापार करार** : संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, जोर्डन, इराक एवं सीरिया के साथ व्यापार करार किए गए हैं और प्रथम चार देशों के साथ प्रति वर्ष विशेष प्रबंध किये जाते हैं जिनमें हमारे निर्यातों में वृद्धि करने के लिए व्यवस्था होती है ।

(2) **व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियां** : हम प्रत्येक वर्ष बहुत से मेलों में भाग लेते हैं जहां हमारे अपरम्परागत निर्यातों के प्रदर्शन पर विशेष जोर दिया जाता है । हाल में, खारतूम तथा जद्दा में दो पूर्णत: भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं ।

(3) **अधिक मूल्य की निविदाओं और आद्योपांत परियोजनाओं में भाग लेना** : निर्यातकों को निविदाओं को प्राप्त करने में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा सहायता दी जाती है। टेक्सटाइल मशीनरी के लिए क्षेत्र में दो देशों में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए, पारेषण लाइनों का निर्यात करने और रेलवे उपस्करों की सप्लाई के लिए अधिक मूल्य की सुविधाएं प्राप्त की गई है । इसके अतिरिक्त, इन देशों की विकास योजनाओं से लाभ उठा कर परामर्श संबंधी सुविदाएं प्राप्त करने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

तम्बाकू निगम की स्थापना करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अमरीकी एजेन्सी का प्रतिवेदन

*673. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजेन्सी का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है जिसमें भारत के तम्बाकू के आयात की वृद्धि करने हेतु सरकारी क्षेत्र में एक तम्बाकू निगम की स्थापना करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई-दिल्ली हवाई डाक सेवा का पुन: आरम्भ किया जाना

*675. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली के मध्य नियमित डाक सेवा को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने में 48 घंटे लगते हैं और शनिवार को डाक के डिब्बे में डाली गई डाक दिल्ली पहुंचने में 5 दिन लेती है; और

(ख) यदि हां, तो हवाई डाक द्वारा रातों रात डाक की डिलीवरी करने की व्यवस्था, जैसा कि पहले होता था, पुनः बहाल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) पहले रात्रि हवाई डाक सेवा में एक छोटे आकार के विमान का प्रयोग किए जाने के कारण समूची डाक विमान द्वारा नहीं ले-जाई जाती थी और उसमें से बाकी बची डाक प्रातः की हवाई सेवा के जरिये ले-जाई जाती थी । इसके परिणाम-स्वरूप बम्बई में डाक का वितरण तीसरे दिन होता था । अब 15-5-1971 से सामान्य हवाई सेवाएं पुनः चालू कर दी गई है और रात्रि की हवाई डाक सेवा से कोई डाक रुकी नहीं पड़ी रहती । अब डाक में डाली जाने वाली वस्तुओं का सामान्यतः दूसरे दिन बम्बई और दिल्ली दोनों स्थानों पर वितरण कर दिया जाता है ।

जहां तक बंबई में शनिवार को आर० एम० एस० के डाक के डिब्बे में डाली जाने वाली डाक का प्रश्न है, वह रविवार शाम को दिल्ली पहुंचती है और इसका वितरण सोमवार प्रातः किया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देवनागरी लिपि में तार भेजना

*678. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में तार अब देवनागरी लिपि में भेजे जा सकते हैं;

(ख) उन प्रदेशों के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं जिनमें देवनागरी लिपि प्रचलित नहीं हैं ?

(ग) प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में देवनागरी के प्रति इस झुकाव के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रादेशिक भाषाओं की अपनी लिपियों में तार स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां सामने आयेंगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा): (क) जी हां ।

(ख) कुछ तारघरों में देवनागरी लिपि में तार स्वीकार करने के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों के सभी तारघरों में रोमन लिपि, में तार स्वीकार करने की व्यवस्था मौजूद है ।

(ग) हिन्दी के संघ की राजभाषा होने के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में तार इस लिए भी स्वीकार किए जा सकते हैं क्योंकि इस लिपि में तार भेजने और प्राप्त करने के लिए टेलीप्रिंटरों का विकास और निर्माण भी संभव हो गया है ।

(घ) चूंकि क्षेत्रीय भाषाओं की लिपियों की ध्वनियों को ठीक-ठीक पुनः प्रस्तुत करने के लिए मोर्स कोड के अलग-अलग सेटों और टेलीप्रिंटर मशीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक भाषा में तार सुविधाएं प्रदान करने के लिए असाधारण धन विनियोग करना पड़ेगा । इसके अलावा

कर्मचारियों का अभ्यास और गति बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण के अलावा कौर्स की व्यवस्था और अवसर प्रदान करने की भी आवश्यकता है । सभी या कई क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अलग-अलग कूट शब्दों के सेटों और टेलीप्रिंटर मशीनों का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है ।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

*680. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 और उससे पूर्व के दो वर्षों के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं का कितना निर्यात हुआ ;

(ख) निर्यात की मुख्य वस्तुयें क्या हैं और ऐसे देश कौन से हैं जिनमें बड़ी मात्रा में माल भेजने के लिये स्थायी बाजार उपलब्ध हैं ; और

(ग) हस्तशिल्प निर्यात निगम ने भारत से बाहर प्रदर्शनियों में कितनी बार भाग लिया और उनके परिणामस्वरूप किन नये बाजारों पर अधिकार किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) अप्रेल 1970 से नवम्बर 1970 की अवधि (जिसके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान कुल 55.10 करोड़ रु० मूल्य की हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात हुए । विगत दो वर्षों, अर्थात् 1968–69 तथा 1969–70 के लिए निर्यात, क्रमशः 75.24 करोड़ रु० तथा 83.29 करोड़ रु० मूल्य के रहे ।

(ख) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातों की प्रमुख मदों की एक सूची तथा महत्वपूर्ण बाजारों के नाम अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 505/71)

(ग) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० ने जिन महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया उनके नाम अनुबन्ध 2 में दिये गये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में निगम के भाग लेने के फलस्वरूप भारत को जापान में नया बाजार विकसित करने में तथा संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा को हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातों में वृद्धि की गति बनाए रखने में सफलता मिली है।

पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में पड़े डांके की जांच

*681. **श्री रामचन्द्र कडनापल्ली :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1971 को पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में पड़े डाके की जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्श निकले और अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) मामले की जांच-पड़ताल अभी की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

*682. **श्री सी० एम० स्टीफन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने केरल स्थित अपनी एजेन्सियों के माध्यम से वर्ष 1970–71 में कुल कितनी मात्रा में रबड़ की खरीद की तथा बिक्री के लिये पेश की गई कुल मात्रा की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम सीधे उत्पादकों से रबड़ खरीदेगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय को मालूम है कि निर्माता लोग रबड़ उत्पादकों से रबड़ निर्धारित मूल्यों पर नहीं खरीद रहे हैं तथा क्या मंत्रालय बाजार मूल्यों का निर्धारित स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से रबड़ का निर्यात करने की अनुमति देना चाहता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) और (ख) . कच्चे रबड़ आर० एम० ए० ग्रेड I से V की खरीद शुरू करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने 1 अक्टूबर, 1970 में रबड़ बाजार में प्रवेश किया तथा 1970–71 के दौरान लघु उपज कर्त्ताओं की सहकारी समितियों तथा सेवा सहकारी समितियों से 6000 मे० टन रबड़ खरीदा। बाजार में अक्टूबर 1970 से 31 मार्च, 1971 की अवधि के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध कुल मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है।

(ग) सरकार को अधिसूचित कीमतों से कम पर रबड़ खरीदने के बारे में निर्माताओं के विरूद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। रबड़ के निर्यात की संभाव्यताओं का भी पता लगाया जा रहा है।

नेपाल से अल्युमिनियम के सामान का आयात

*683. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में निर्मित एल्युमिनियम का कोई सामान भारत में आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष में कितना आयात किया जाता है ; और

(ग) क्या भारत से नेपाल को एल्युमिनियम का निर्यात किया जा रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) 31 दिसम्बर, 1970 तक, नेपाल से भारत में एल्युमिनियम से बने माल के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। फिर भी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1968-69, 1969-70 तथा अप्रेल-दिसम्बर, 1970 के दौरान नेपाल से एल्युमिनियम से बने माल का कोई आयात नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को केन्द्रीय सहायता

*686. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को देने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यह सहायता किन योजनाओं के लिए दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय विकास परिषद् की मुख्यमंत्री समिति द्वारा निर्मित वस्तुपरक फार्मूले के अनुसरण में एकमुश्त ऋण तथा एकमुश्त अनुदानों के रूप में दी जाती है । इसका आवंटन, राज्य सरकार द्वारा, योजना में अपने ग्रामीण, नगरीय अथवा महानगरीय क्षेत्रों के लिए अपनाई गई किन्हीं विशेष योजनाओं अथवा कार्यक्रमों से सम्बद्ध नहीं है । पश्चिम बंगाल को इसकी चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए जो कि 322.50 करोड़ रुपये की थी, 221 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया जा चुका है ।

पश्चिम बंगाल की चौथी पंचवर्षीय योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त कलकत्ता महानगर क्षेत्र में बस्ती विकास योजनाओं के लिए चौथी योजना अवधि के दौरान योजना के बाहर करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ।

क्विलोन में आकाशवाणी केन्द्र

*687. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी योजनावधि के दौरान क्विलोन में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) क्विलोन का केन्द्र जिस क्षेत्र में सेवा प्रदान कर सकता है, वह अल्लेप्पी के उच्चशक्ति वाले ट्रांसमिटर, जो शीघ्र ही चालू किया जाएगा, से कवर हो जायगा ।

एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विकास करने का प्रस्ताव

*688. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी भारतीय वस्तुओं के व्यापार पर आर० सी० डी० एशियन और सीमिक जैसे ग्रुपों के गठन से और कतिपय विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन ग्रुपों को मिलने वाले समर्थन से प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उसी आधार पर एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का आयोजन और विकास करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में कौन-कौन से कदम उठाये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आर० सी० डी०, ए० सी० ई० ए० एन० तथा सीमिक, जो कि उप-क्षेत्रीय ग्रुप हैं, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से विकसित देशों में मुख्यत: आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति व सांस्कृतिक विकास के संवर्धन हेतु गठित किये गये थे। ये उप-क्षेत्रीय ग्रुप अपने सम्बन्धित सदस्यों के सम्बन्ध में व्यापार उदारीकरण तथा विस्तार के उपायों के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं, पर अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना तैयार नहीं की गई है । इन उप-क्षेत्रीय ग्रुपों से सम्बन्धित देशों को भारत के निर्यात बढ़ रहे हैं । भारत सरकार ने इकापे की विभिन्न बैठकों में सदा यह कहा है कि इन उप-क्षेत्रीय ग्रुपों का स्वरूप संकुचित अथवा 'अन्तर्मुखी दृष्टिकोण' वाला नहीं होना चाहिए और इनका अंतिम लक्ष्य मंत्रि-परिवार द्वारा पहले दिसम्बर, 1968 में बैंकाक में और उसके बाद दिसम्बर, 1970 में काबुल में हुई अपनी बैठकों में निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार यथा सम्भव व्यापक रूप में क्षेत्रीय सहयोग का विकास करना चाहिए । दिसम्बर, 1968 में एशियाई मंत्रियों द्वारा स्वीकृत एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के समेकित विकास के लिए नीति संबंधी संकल्प एशिया में इकापे क्षेत्र के अन्तर्गत सभी देशों में क्षेत्रीय सहयोग का संवर्धन करने हेतु विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के विकास हेतु नीति को क्रियान्वित करने में भारत सरकार इकापे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

रबड़ का निर्यात

*899. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का विचार तत्काल कार्यवाही करने का है ; और

(ख) क्या रबड़ के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट को देखते हुए रबड़ उत्पादकों के लिए समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कोई अन्य पद्धति अपनाने का विचार है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) रबड़ के निर्यात की संभाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम का कच्चे रबड़ की अपनी खरीदारियां बढ़ाने का विचार है और इससे रबर उगाने वालों को उचित कीमतें मिलने की आशा है ।

दस-वर्षीय आणविक कार्यक्रम को कार्यान्वित करना

*690. **श्री श्यामनंदन मिश्र** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० साराभाई के दस-वर्षीय आणविक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने डा० साराभाई के कार्यक्रम पर आपत्तियां उठाई हैं ; और

(ग) डा० साराभाई के आणविक कार्यक्रम के त्वरित और समय पर कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तिका में 1970—80 के दशाब्द के लिए परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष अनुसंधान संबन्धी विशिष्ट कार्यक्रम के जो लक्ष्य रखे गये हैं उन्हें भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है । पुस्तिका में सुझाये गये कार्यक्रम पर अभी योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है । इस बीच, पुस्तिका में दिये गये सुझावों को लागू करने की दिशा में जो आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये उनकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

Financial assistance to Madhya Pradesh for solving problem of Unemployment among Engineers

2848. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have sought financial assistance from the Central Government with a view to solve the problem of unemployment among engineers in the State ; and

(b) if so, the amount given by the Central Government to the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Size of the Fourth Plan for Madhya Pradesh

2849. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether a proposal was sent to the Central Government to enlarge the Fourth Five Year Plan of Madhya Pradesh ;

(b) if so, its salient features thereof ; and

(c) the decision taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) As against an outlay of Rs. 393 crores approved by the Planning Commission, the Government of Madhya Pradesh have proposed an outlay of Rs. 450 crores over the Fourth Plan period.

(c) The revised estimate of resources furnished by the Government of Madhya Pradesh in support of the proposal for augmenting the Fourth Plan outlay by Rs. 57 crores, has been discussed recently in the Planning Commission with the concerned officers of the Government of Madhya Pradesh. A final view in this regard will be taken after the examination of the estimates and other related matters.

Public Telephone Booths in Hoshangabad and East Nimar Districts (Madhya Pradesh)

2850. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether new public telephone booths have been set up in Hoshangabad and East Nimar Districts in Madhya Pradesh during 1970-71 ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : One long distance public call office was opened in Hoshangabad and East Nimar District in Madhya Pradesh during the year 1970-71. No public telephone booth has been set up during this period.

Post Offices with Telephone and Telegraph facilities

2852. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices in urban and rural areas on 30th April, 1971, where telephone and telegraph facilities have been provided ; and

(b) the number out of these in Madhya Pradesh and their percentage to the total number of Post Offices in Madhya Pradesh ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) and (b). The information is being collected and shall be placed on the table of the Lok Sabha within the shortest possible time.

Post Offices in Madhya Pradesh

2853. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices functioning in urban and rural areas in Madhya Pradesh; separately, as on the 30th April, 1971 ;

(b) the number of those, out of them, which were running at a loss as also the number of those which were earning profit as on the 30th April, 1971 ;

(c) the number of new Post Offices opened in urban and rural areas in Madhya Pradesh, separately, during the last three years ; and

(d) the number of new Post Offices proposed to be set up in urban areas in Madhya Pradesh during the financial year 1971-72 ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The number of Post Offices functioning in Madhya Pradesh as on 30th April, 1971 :—

Urban		648
Rural	..	5357

(b) The number of Post Offices functioning in Madhya Pradesh as on 30th April, 1971 :—

Running at loss	3241
Running on profit or with no loss	2764

(c) The number of new Post Offices opened in Madhya Pradesh during the last three years :—

1968-69	Urban	20
	Rural	94
1969-70	Urban	54
	Rural	126
1970-71	Urban	29
	Rural	211

(d) The number of new Post Offices to be set up in urban areas in Madhya Pradesh during 1971-72 ....16.

स्टेनो टाइपिस्टों के पदों का स्टेनोग्राफरों के पदों में बदला जाना

2854. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कार्यालयों में स्टेनों-टाइपिस्टों के पदों को स्टेनोग्राफरों (ग्रेड III) के पदों में बदल दिया गया है और उनका वेतनमान 130—300 रु० कर दिया गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में भी वेतनमान 130—300 रु० कर दिया गया है ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन स्टेनोटाइपिस्टों के पदों को भी स्टेनोग्राफरों (ग्रेड III) के पदों में बदल दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) . 24 जुलाई, 1969 को आदेश जारी किये गये थे, (प्रतिलिपि संलग्न है) [ग्रन्थालय में रखी गई ।

देखिए संख्या एल० टी०–506/71] कि निम्न श्रेणी लिपिकों और उच्च श्रेणी लिपिकों में स्टेनोग्रेफिक कार्य करने के लिए 20 रुपये अथवा 30 रुपये के विशेष वेतन पाने वाले सभी विद्यमान पद स्टेनोग्राफर के पदों में परिवर्तित होंगे (क) मंत्रालयों, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा में सम्मिलित कार्यालयों और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों। विभागों में 130–5–160–8–200 द० रो०–256–द० रो०–8–280 रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा ग्रेड III कहलायेंगे, और (ख) भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में 130–5–160–8–200–द० रो०–8–256 द० रो०–8–280–10–300 रुपये के वेतनमान में (वही जो उच्च श्रेणी लिपिकों के लिए लागू हैं)।

(ग) तथा (घ). मामला विचाराधीन है।

ब्रिटेन की सरकार के कपड़े पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव के प्रतिकार के लिये हांगकांग के साथ संधि

2855. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में कपड़े के आयात पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाने के ब्रिटेन की सरकार के प्रस्ताव का प्रतिकार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने हाँगकांग की सरकार अथवा वहां के व्यापारियों के साथ हाल ही में कोई समझौता अथवा संधि की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ब्रिटेन द्वारा आगामी वर्ष से प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिये सरकार ने अब तक कौन से अन्य प्रयास किये हैं अथवा करने का विचार है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत के व्यापार का विविधीकरण करने तथा संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्युजीलैण्ड, पश्चिम यूरोप, सूडान, सोवियत संघ तथा अन्य रुपया भुगतान देशों में विद्यमान वस्त्र व्यापार को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध आक्षेपात्मक टिप्पणी

2856. **श्री रणपद दास** :
श्री पी० गंगा देव :
श्री निहार लास्कर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियुक्तियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह की अवहेलना करने के कारण दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध आयोग द्वारा की गई आक्षेपात्मक टिप्पणी के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) सरकार इस विषय में जांच कर रही है।

Naxalite Activities in Delhi University

2857. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Nav Bharat Times dated the 17th May, 1971 that the activities of Naxalites. which sprang up in West Bengal, have assumed alarming proportions in the Delhi University during the last one year ;

(b) if so, whether the propaganda material received from Calcutta and China is distributed at the meetings of Naxalites ; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by Government to curb the said Naxalite activities ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Government have seen the news item in the Nav Bharat Times dated 17th May 1971. There has been no significant increase in the activities of Naxalites and allied Extremists in the Delhi University during the last one year although limited circulation of some propaganda literature has come to notice. Necessary vigilance is being maintained and appropriate action taken according to law, wherever possible.

महाराष्ट्र के एक उपमंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम का कथित उल्लंघन

2858. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण महाराष्ट्र के कृषि और नगरीय विकास उपमंत्री, श्री बी० बी० हिराय को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) केवल प्रश्न तभी उठ सकता है, अगर किसी कानून के उल्लंघन साबित हो जांय ।

वास्को को निर्वाध पत्तन बनाने का प्रस्ताव

2859. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ सरकार ने केन्द्र सरकार से वास्को को निर्वाध पत्तन बनाने का अनुरोध किया है जिससे पर्यटक केन्द्र के रूप में इसका विकास किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Industrial Growth

2860. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared an annual plan for the industrial growth of the country during the Fourth Plan period;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the action taken by Government to implement the plan ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c). The industrial programme in the Central sector for the annual plan for 1971-72 has been finalised. The annual plan document, which will provide the necessary details, will be placed on the Table of the House as soon as it is ready.

मनीपुर में आदिम जातीय लोगों के लिए अपर्याप्त राजस्व विधि और नियम

2861. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्व, कानून और नियमों के अपर्याप्त होने के कारण मनीपुर के आदिवासी क्षेत्रों में साधारण जनता का मुखियों द्वारा शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में साधारण जनता के हित की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि गांव के मुखियों द्वारा आदिवासी जनता का शोषण किये जाने की कोई शिकायत उनको प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Use of Hindi Language in Courts

2862. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of States where courts have switched over to Hindi ;

(b) whether some of the State Governments have expressed their inability in this regard ; and

(c) if so, the names thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The required information is given in the statement annexed.

(b) and (c). It is for a State to decide the language which is to be used in the High Court, District and Subordinate courts functioning in the State. Central Government comes in the picture only when the question of obtaining consent of the President under Article 348 of the Constitution or Section 7 of the Official Languages Act, 1963, arises in respect of Hign Courts.

Statement

The position in regard to the use of Hindi in Courts in the country is as follows :—

High Courts :

2. In Allahabad High Court, the use of Hindi has been permitted for arguments in civil and criminal cases, for affidavits to be filled in the court and statements and documents to be included in the paper books for use in proceedings before the High Court subject to the following conditions :

(1) that affidavits, statements and documents in Hindi should specifically be ordered to be translated into English if a Bench so desires ; and

(2) if any extract from pleadings, statements and documents etc. in Hindi is included in a judgment, an English translation thereof should immediately follow.

The optional use of Hindi in addition to English has also been authorised in the Allahabad High Court for purposes of any judgments, decrees or orders passed or made by the High Court. However, any such order shall be accompanied by a translation in English language issued under the authority of the Allahabad High Court.

3. In Rajasthan High Court, the use of Hindi has been authorised in proceedings before the High Court and also for judgment, decree or order passed or made by the High Court. However, such judgment, decree or order shall be accompanied by a translation in English language issued under the authority of the Rajasthan High Court.

4. In Madhya Pradesh High Court, the use of Hindi has been authorised in all proceedings except for judgments, decrees and orders passed or made by the High Court, subject to the two conditions given in para 2 above.

Direct and Subordinate Courts :

5. In Bihar, the courts have switched over to Hindi in recording evidences. Besides, officers who have knowledge of Hindi are required to write judgments and orders in Hindi. In Rajasthan, the use of Hindi in the Courts at various levels is compulsory. In Union Territory of Delhi, Hindi is one of the three languages used for proceedings in the courts. However, judgments, decrees, orders etc. are written only in English. In Uttar Pradesh, Hindi has been recognised as Court language except for judgments, decrees etc. However, judgments, in civil cases involving valuation upto Rs. 2,000/- and in criminal cases involving imprisonment of one year or less, are passed or made in Hindi in Madhya Pradesh and Haryana also subordinate courts have generally switched over to Hindi.

इंजीनियरी सामान के लिये विदेशों से निर्यात क्रयादेश

2863. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष इंजीनियरिंग सामान के लिये अनेक निर्यात क्रयादेश मिलने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ क्रयादेश प्राप्त हो चुके हैं और उनका निष्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन मदों का निष्पादन किया जा रहा है; और

(घ) जिन देशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं या प्राप्त होने की आशा है उनके नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत कुछ वर्षों में इंजीनियरी सामान के निर्यातों में वृद्धि होती रही है। वर्ष 1970-71 के दौरान 115 करोड़ रु० के निर्यात हुए हैं और वर्ष 1971-72 के लिये इंजीनियरी माल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 165 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) तथा (ग). क्रयादेश लगातार प्राप्त हो रहे हैं और उनपर कार्यवाही की जा रही है। इस समय रेल के माल डिब्बों, सवारी डिब्बों तथा उपस्करों, संयंत्र तथा मशीनों, पारेषण लाइन टावरों, संरचनाओं आदि की पूर्ति के लिये फिलहाल लगभग 150 करोड़ रु० के भारी मूल्य की तथा टर्नकी परियोजनाएं हमारे पास आई हुई हैं। अन्य इंजीनियरी सामान, जिनकी विदेशों में मांग हैं, की नमूना सूची संलग्न है।

(घ) सारे विश्व से क्रयादेश प्राप्त होते हैं जिनमें एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की मांग अधिकतम होती है।

विवरण

1. मोटर गाड़ियां तथा मोटर गाड़ियों के पुर्जे ।
2. बिजली के तार तथा केबल ।
3. बाइसीकल तथा उनके पुर्जे ।
4. एम० एस० पाइप, ट्यूबें तथा जुड़नार ।
5. पटसन, वस्त्र तथा बुनाई मशीनें ।
6. लोहे तथा इस्पात का ढलाई का माल (सब किस्म का) ।
7. दस्ती औजार, कटाई तथा छोटे औजार ।
8. विद्युत मोटर, स्विच-गियर, ट्रांसफार्मर्स आदि ।
9. मशीनी औजार ।
10. डीजल इंजन तथा पुर्जे ।
11. बैटरियां शुष्क तथा स्टोरेज ।
12. कार्यालय सम्बन्धी मशीनें, डाटा प्रोसैसिंग मशीनें, टाईपराइटर आदि ।
13. तार के रस्से ।
14. रेडियो तथा संघटक ।
15. रेलपथ सामग्री ।
16. बिजली के पंखे तथा पुर्जे ।
17. पीतल, तांबे की चादरें, चक्के, छड़ें बेलन तथा ट्यूबें ।
18. एल्युमिनियम पिण्ड ।
19. तार के कील तथा अन्य तार उत्पाद (तार रस्से छोड़कर) ।
20. चमकीले इस्पात की छड़े तथा सैफिटंग ।

योजना की विभिन्न एजेन्सियों के मध्य समन्वय

2864. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनाओं को तैयार करने और क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री सचिवालय क्या क्या कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या संगठनों की संख्या अधिक होने के कारण विलम्ब, परस्पर व्याप्त और भ्रान्ति होती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समन्वय करने के लिए विभिन्न एजेंसियों का एकीकरण करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(1) **योजना आयोग**

योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:--

1. देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करना जिनमें तकनीकी कर्मचारी तथा उल्लिखित संसाधनों में से अपर्याप्त संसाधनों की वृद्धि हेतु प्रस्ताव तैयार करना भी शामिल है।

2. देश के संसाधनों का अत्यधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग करने हेतु योजनाएं तैयार करना।

3. उन चरणों की परिभाषा करना जिनमें निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर योजना का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए संसाधनों का आवंटन।

4. योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए यथा-आवश्यक तन्त्र का स्वरूप निर्धारण।

5. योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन।

6. राष्ट्रीय विकास में जन-सहयोग।

7. भावी आयोजना।

टिप्पणी :—योजना आयोग का सम्बन्ध मुख्य रूप से योजना तथा योजना संगठन से सम्बन्धित तकनीकी प्रश्नों से होगा। योजना में सम्मिलित विशेष स्कीमों से सम्बन्धित नीति तथा अन्य बातों का सम्बन्ध केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से है।

(संदर्भ :--राष्ट्रपति भवन अधिसूचना संख्या डौक० संख्या सी० डी०-310/71, दिनांक 17 जून, 1971)।

(2) राष्ट्रीय विकास परिषद्

राष्ट्रीय विकास परिषद् के कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण करना जिसमें योजना के लिए संसाधनों का मूल्यांकन भी शामिल है।

2. योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना;

3. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना;

4. योजना की कार्यप्रणाली का समय समय पर पुनरीक्षण करना तथा ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए आवश्यक हों। इनमें सक्रिय सहभागिता एवं जन-सहयोग, प्रशासनिक सेवाओं की कुशलता में सुधार, कम विकसित क्षेत्रों और कम विकसित वर्गों के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित उपाय तथा सभी नागरिकों के समान त्याग के जरिये राष्ट्रीय विकास हेतु साधन जुटाने से सम्बन्धित उपाय भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद् केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें पेश करेगी। इस परिषद् में प्रधान मंत्री, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सभी मंत्री, सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित होंगे। परिषद् में दिल्ली प्रशासन की ओर से उप-राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा बाकी संघ शासित क्षेत्रों की ओर से उनके सम्बन्धित प्रशासक होंगे। परिषद् के विचार विमर्शों में भाग लेने के लिए अन्य केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को भी आमन्त्रित किया जा सकता है।

परिषद् समय समय पर यथोचित उप-समितियां अथवा पेनल नियुक्त कर सकती है।

परिषद् अपनी यथावश्यक बैठकें बुलाएगी तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बैठकें करेगी।

योजना आयोग के सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद् के सचिव का कार्य करेंगे और योजना आयोग, परिषद् के कार्य के लिए यथावश्यक प्रशासनिक अथवा अन्य सहायता की व्यवस्था करेगा।

(संदर्भ :—भारत सरकार, मंत्रिमण्डल-सचिवालय, मंत्रिमण्डल कार्य विभाग-संकल्प संख्या 65/15/सी० एफ०-67, दिनांक 7 अक्टूबर, 1967)।

(3) योजना मंत्रालय

योजना मंत्रालय राष्ट्रीय योजना के विषय में संसद के प्रति उत्तरदायी है।

(संदर्भ :—राष्ट्रपति भवन अधिसूचना संख्या डौक० संख्या सी० डी० 310/71, दिनांक 17 जून 1971)।

(4) **प्रधानमंत्री सचिवालय**

प्रधान मंत्री सचिवालय का कार्य प्रधान मंत्री को सचिवालय सम्बन्धी सहायता प्रदान करना है ।

(संदर्भ :—–भारत सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय, अलोकेशन आफ बिजनेस रूल्स, 1961—20 सितम्बर, 1970 तक संशोधित) ।

तुर्की और ईरान के साथ व्यापार सम्बन्धों का पुनर्मूल्यांकन

2865. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और तुर्की तथा भारत और ईरान के बीच कितने व्यापार के वचन दिये जा चुके हैं और उस माल का ब्यौरा क्या है तथा वह कितनी राशि का है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन देशों के साथ हमारे व्यापार संबंधों का पुर्नमूल्यांकन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तुर्की के साथ भारत की कोई व्यापार वचनबद्धता नहीं है । ईरान से विनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक भारत द्वारा मेवे, खजूर आदि का आयात करने के संबंध में ईरान के साथ एक व्यापार करार है । इस करार का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) भारत और ईरान ने आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग हेतु एक संयुक्त भारत-ईरान आयोग की स्थापना की है । इस आयोग ने बहुत सी संयुक्त समितियां स्थापित की हैं जिनमें एक व्यापार संबंधी समिति भी शामिल है । इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का पुनरीक्षण भारत-ईरान संयुक्त आयोग द्वारा किया जाता है जो कि अब तक अपनी तीन बैठकें कर चुका है।

बंगला देश से जूट की खरीद

2866. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के "इकानामिक टाइम्स" के दिनांक 15 अप्रेल, 1971 के संस्करण में "जूट ट्रेडर्स प्राफिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या भारत के वे व्यापारी जिनके पूर्व पाकिस्तान के साथ पहले से ही सम्बन्ध थे, निर्यात-किस्म के जूट और विनिमय लेन-देन के माध्यम से भारी मुनाफा कमा रहे हैं;

(ग) क्या जेस्सोर, खुलना और कुष्टिया के जूट उत्पादकों का बंगला देश के उन व्यापारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है जो जूट-भण्डार को 12 रु० प्रति मन की दर से खरीदकर भारत के व्यापारियों को 45 रु० प्रति मन की दर से बेचते हैं जबकि भारत में वर्तमान कीमत 81 रु० है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). इन तथ्यों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ड) इस मामले में राज्य व्यापार निगम उद्योग तथा व्यापारी वर्ग के साथ बराबर सम्पर्क बनाये हुए है ।

भारतीय पटसन की नई मंडियों में मांग

2867. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में भारत ने पाकिस्तान के पटसन की अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी पर अधिकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी मात्रा में जूट का निर्यात किया गया है;

(ग) किन-किन देशों की जूट मण्डी में भारतीय पटसन की मांग बढ़ी है; और

(घ) इससे प्रति वर्ष कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). पटसन के माल के उत्पादन तथा निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। इससे होने वाली अतिरिक्त आय का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता ।

Punjab Government Circular Re. Use of Punjab in Gurumukhi Script

2868. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a circular issued by the Punjab Government to the effect that only files containing notes in Punjabi in Gurmukhi script should be attended to ; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) Under the Punjab Official Language Act, 1967, the Government of Punjab have adopted Punjabi in Gurumukhi script as the sole official language for transaction of the business of the State Government. According to the information made available by the State Government the above circular has been issued to secure proper implementation of the language policy of the State Government.

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व

2869. **श्री के० लकप्पा :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घोषित किये गये भारतीय प्रशासनिक संघ तथा अन्य संबद्ध सेवाओं के परिणाम से पता चलता है कि इस सेवा में अल्प संख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं में अल्प संख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). 1970 में हुई सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य संबध्द सेवाओं में भरी जाने वाली रिक्तियों में ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य हैं, निर्धारित प्रतिशत आरक्षित थे।

संघ लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों को इस प्रकार की सभी आरक्षित रिक्तियों से भरने के लिए सिफारिश की है।

धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर अन्य किन्हीं अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में कोई आरक्षण नहीं किए गए हैं ।

महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद

2870. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री टी० एस० लक्ष्मणन :

क्या **गृह** मंत्री 26 मई, 1971 के अनारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर के सम्वन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के बीच सीमा-विवाद का कोई समाधान निकाला गया है;

(ख) यदि नहीं तो इसका समाधान निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या इस विवाद का समाधान करने में कुछ रुकावटें हैं और यदि हाँ, तो वे रुकावटें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). इस मामले के समाधान के प्रश्न पर अभी सरकार विचार कर रही है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सहायता

2871. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विभिन्न राज्यों में कुछ पिछड़े क्षेत्र होते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और महाराष्ट्र में कोंकण हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार केन्द्रीय सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी मात्रा में उक्त सहायता दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में किस प्रकार तीव्र गति लाने का सरकार का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). (1) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नियुक्त मुख्य मंत्री समिति ने राज्य सरकारों को अपने विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु केन्द्रीय सहायता देने के लिए एक सूत्र निर्धारित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष समस्याओं वाले प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है । मुख्य मंत्री समिति द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुरूप राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता तथा इस हेतु स्वयं राज्य द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधनों के आधार पर प्रत्येक राज्य के विकास कार्यक्रम के लिए परिव्यय निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् यह राज्य सरकार का काम है कि वह राज्य के अन्तर्गत पिछड़े हुए क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए समुचित परिव्यय की व्यवस्था करे । परिव्ययों की मात्रा तथा उनके क्षेत्रीय वितरण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सलाह देते समय तथा इस प्रकार के परिव्ययों को अन्तिम रूप से अनुमोदित करते समय योजना आयोग इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि प्रत्येक राज्य के पिछडे हुए क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने विकास कार्यक्रमों के लिए यथासम्भव अधिकतम निवेश की व्यवस्था हो ।

(2) इसके अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा सीमान्त जिलों तथा कुछ राज्यों के पर्वतीय जिलों जैसे कुछ चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के लिए सहायता की विशेष कसौटी बनाई गई है।

(3) साथ ही, औद्योगिक विकास के मामले में जिन जिलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका पांडे तथा वांचू समिति की रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकारों के सहयोग से अभिनिर्धारण किया गया है तथा उनको अधिसूचित भी कर दिया गया है । सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में इन जिलों को तरजीह दी जा रही है बशर्ते ये जिले तकनीकी आर्थिक सहायता की दृष्टि से ठीक समझे जायं । लाइसेंस समिति भी पिछड़े क्षेत्रों के आवेदन पत्रों को ही तरजीह देती है । कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरि तथा कोलाबा जिले भी उन जिलों में शामिल हैं जिनको उल्लिखित लाभों के लिए अधिसूचित किया गया है ।

(4) इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के वित्तीय तथा ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से इन पिछड़े जिलों में स्थापित होने वाले नए उद्योगों के लिए रियायती दरों पर धन की व्यवस्था की जा

रही है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 9 अभिनिर्धारित राज्यों में से प्रत्येक के दो चुने हुए जिलों में तथा शेष राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के एक चुने हुए जिले में ऐसी नई इकाइयों के स्थिर पूंजी निवेश के दसवें अंश के बराबर सीधी राज सहायता (सबसिडी) देती है जिनका कुल स्थिर निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इस प्रयोजन के लिए कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरि जिले को चुना गया है।

(5) ग्राम बिजलीकरण निगम जिसकी स्थापना हाल ही में हुई है, पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम विजलीकरण कार्यक्रमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को रियायती दरों पर धन देता है।

(6) ग्राम जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लाभ तथा शुष्क एवं अल्पजलिक क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े आकार के विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 46 लघु कृषक विकास, अभिकरण परियोजनाएं, उप-सीमान्त कृषकों तथा खेतीहर मजदूरों की 41 परियोजनाएं तथा शुष्क क्षेत्रों के कृषकों की 24 परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं। सतत् रूप से सूखाग्रस्त रहने वाले 54 क्षेत्रों के समेकित ग्राम निर्माण कार्यक्रम के लिए भी 100 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

(7) ग्राम रोजगार के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा एक तूफानी (क्रैश) स्कीम भी प्रारम्भ की गई है जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक व्यवस्था की गई है।

(8) उड़ीसा के पिछड़े जिलों पंजाब के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों, मध्य प्रदेश की आदिम जातियों एवं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। एक अध्ययन दल ने आदिम जाति क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों का सर्वेक्षण किया है। साथ ही एक केन्द्रीय दल ने आंध्र प्रदेश के आदिम जाति के लोगों की समस्याओं का भी अध्ययन किया।

(9) योजना आयोग ने जिला योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता करने की पेशकश की है जिसके परिणामस्वरूप उनके पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का अभिनिर्धारण हो सकेगा तथा उनको अपनी समस्याएं हल करने के लिए उपाय ढूंढने में सहायता मिलेगी।

(10) आंध्र प्रदेश सरकार को तेलंगाना क्षेत्र के लिए निर्धारित योजना परिव्यय के अतिरिक्त 45 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी जा रही है ताकि वह इस राशि को 31-8-1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तेलंगाना क्षेत्र से संबंधित विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पर खर्च कर सके। तेलंगाना क्षेत्र में 45 करोड़ रुपये के विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम सहित विकास कार्यक्रमों की प्रगति में शीघ्रता करने की दृष्टि से एक तेलंगाना विकास समिति तथा एक योजना कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विस्तार का भारतीय व्यापार पर प्रभाव

2872. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव किया गया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विस्तार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में स्वाधीन एशियाई देशों विशेष कर भारत के साथ विचार-विमर्श किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उन्होंने भारत से इस विषय में बातचीत की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन प्रवेश से सम्बन्धित वार्ताओं में, जो ब्रिटेन तथा समुदाय के बीच हुई थी, विस्तारित समुदाय और एशिया तथा सुदूरपूर्व के राष्ट्रमंडलीय देशों के बीचे के संबन्धों के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। वार्ताकार पक्षों द्वारा यह मंजूर कर लिया गया है कि इन देशों के सम्बन्ध में, समुदाय, विस्तार होने के बाद, अधिमानों की व्यापक योजना के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, व्यापार क्षेत्र में उठने-वाली समस्याओं का उपयुक्त हल खोजने के लिये उनके साथ विचार करने के लिये तत्पर रहेगा। यह विनिश्चय लेते समय हमारी सलाह नहीं ली गई । हमने उन्हें बता दिया है कि अधिमानों की व्यापक योजना से, समुदाय के विस्तार के परिणामस्वरूप उठने वाली हमारे व्यापार से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

मामले पर कूटनीतिक स्तर माध्यमों से आगे कार्यवाही की जा रही है।

Posting of C. R. P. at Neemuch

2874. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of battalions of the Central Reserve Police posted at Neemuch (Madhya Pradesh) ;

(b) the number out of them posted outside Neemuch and the number of those posted at Neemuch ;

(c) whether adequate residential accommodation facilities have not been provided to jawans and other Officers of the Central Reserve Police there ; and

(d) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Seven battalions of the Central Reserve Police including one signals battalion have their headquarters at Neemuch. 6114 persons from these battalions are on duty in various parts of the country. The remaining 1188 persons who are at the headquarters, consist of the Group Centre staff, instructional staff and recruits under training.

This is excluding the staff of the other CRP institutions at Neemuch, like the Base Hospital, Central Training College etc.

(c) and (d). Residential accommodation for the CRP personnel is being put up in accordance with the blue-print worked out three years ago. In Neemuch about

50 per cent of the authorised married accommodation has already been constructed and work on the remaining 20 per cent is likely to be started next year. Adequate barrack accommodation for single man is available.

कलकत्ता की स्थिति में सुधार करने के लिये कनाडा की लोकोपकारी संगठनों द्वारा धन एकत्र किया जाना

2875. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1971 को कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले स्टेट्समैन में छपे समाचार के अनुसार कनाडा के कुछ लोकोपकारी संगठन कलकत्ता की समस्याओं का समाधान करने के लिये धन एकत्र कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संगठनों के साथ यह जानने के लिये सम्पर्क स्थापित किया है कि इस साधन से कितनी सहायता उपलब्ध होगी ; और

(ग) धन एकत्र करने का यदि कोई विशेष प्रयोजन है तो वह क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जैसा कि दिनांक 22 मई, 1971 के स्टेट्समैन में प्रकाशित हुआ है कि कलकत्ते की समस्या को हल करने के लिए कनाडा के लोकोपकारी संगठन (कनाडियन पिलनथ्रोपिक आर्गनाइजेशन) धन एकत्रित कर रहा है, इसकी योजना आयोग को कोई जानकारी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नरगुंडी स्टेशन पर लोह अयस्क का लदान करना तथा उतारना

2876. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम दक्षिण रेलवे में नरगुंडी स्टेशन पर लौह अयस्क उतारने चढ़ाने के लिये संविद श्रमिक सहकारी समितियों को उत्साहित करने की बजाय यह कार्य ऐसे गैर-सरकारी ठेकेदार की सहायता से कर रही है जिसका ठेका पहले ही 31 मार्च, 1971 को समाप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तुलसीपुर कटक उड़ीसा के क्षेत्रीय प्रबन्धक को बार बार यह स्मरण कराया गया है कि यह कार्य अपनी और ट्रांसपोर्ट एण्ड हेंडलिंग वर्कर्स युनियन नरगुंडी को सौंपा जाए ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निदेशक द्वारा कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). प्रश्न, निगम के आन्तरिक कार्यचालन से सम्बन्धित मामले के बारे में है । सरकार की ऐसी नीति है कि इस प्रकार के मामलों पर कार्यवाही करना निगम के सुविवेक पर छोड़ दिया जाता है ।

पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गये भारतीय

2877. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च से 30 मई, 1971 तक पाकिस्तानियों ने कुल कितने सैनिक तथा असैनिक भारतीयों की हत्या की ;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अवधि में 49 भारतीय नागरिक मारे गये थे। कोई सैनिक नहीं मारा गया।

(ख) सीमा सुरक्षा बल सम्पूर्ण सीमा पर दृढ़ता से तैनात है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। सीमा बाह्य चौकियों को सुदृढ़ करने तथा सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त तेज करने के अतिरिक्त, भारतीय भूमि में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अतिक्रमण करने की दशा में उन्हें बाहर निकालने के लिए सेना को भी तैयार रहने के लिए सावधान कर दिया गया है ।

(ग) इन सभी मामलों में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा है और पाकिस्तान द्वारा सम्पति की क्षति-पूर्ति और भारतीय भूमि में पाकिस्तानी अतिक्रमण और / अथवा गोलीबारी करने के परिणामस्वरूप, जो घायल हुए व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को जो मारे गये हैं, मुआवजे की मांग की है। सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी जो ऐसी घटनाओं में मारे गये उनके आश्रितों को असाधारण पेन्शन तथा अन्य अनुग्रह-पूर्वक सहायता दी जा रही है । असैनिकों के मामलों में जहां सम्भव हो सहायता दी जाती है ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिये रियायतें

2878. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय असन्तुलनों पर विचार करने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त दो अध्ययन दलों ने सुझाव दिया था कि पिछड़े क्षेत्र को रियायतें दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). योजना आयोग ने दो कार्यकारी दल स्थापित किये थे जिन्हें ये सिफारिशें करनी थीं—(1) पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिर्धारण की कसौटी, और (2) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन । इन कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की मुख्यमंत्री समिति ने सितम्बर, 1969 की बैठक में विचार किया था। निम्नलिखित निर्णय किये गये थे :—

(1) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय और ऋण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली रियायतें सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

(2) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पिछड़े जिलों को चुनने के लिए अपनायी जाने वाली कसौटी योजना आयोग द्वारा वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों के परामर्श से तय की जायेगी तथा ऐसा करते समय पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिर्धारण सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किये गये दोनों कसौटी समूहों को ध्यान में रखा जायेगा।

(3) कार्यकारी दल द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े अभिनिर्धारित किये गये नौ राज्यों (अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में से प्रत्येक राज्य के दो-दो जिलों में तथा अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के एक-एक जिले में स्थापित किये जाने वाले ऐसे नये औद्योगिक एककों के लिए जिनका स्थिर पूंजी निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके स्थिर पूंजी निवेश के एक बटा दस के बराबर सीधे अनुदान या आर्थिक सहायता दी जा सकती है; जिन नये एककों की स्कीमों या परियोजनाओं में स्थिर पूंजी निवेश 50 लाख रुपये से अधिक है उन पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग यह हिसाब भी लगायेगा कि जिले की इकाई क्या होनी चाहिए।

2. उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार और जिलों के चुनाव के बारे में वित्तीय संस्थाओं से परामर्श करके राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में उनके औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची के बारे में प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये थे साथ ही उन जिलों के सांख्यिकीय आंकड़े भी आमन्त्रित किये गये थे जिससे वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्तीय व्यवस्था की जा सके। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से यह भी निवेदन किया था कि उपर्युक्त सूची में से उन जिलों के नामों का अलग से निर्देश कर दें जिन्हें केन्द्र से 10 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान या आर्थिक सहायता दी जानी है।

3. इस समय तक जो जिले/क्षेत्र (क) वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त और (ख) केन्द्र द्वारा एकमुश्त 10 प्रतिशत अनुदान या आर्थिक सहायता के लिए स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची संलग्न अनुबन्ध 1 और अनुबन्ध 2 में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—507/71)

4. दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया, दी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया ने चुने हुए पिछड़े जिलों, स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिए रियायती वित्त की शर्तों की घोषणा कर दी है। संक्षेपतः रियायतों में निम्नलिखित शामिल हैं (1) 7 प्रतिशत व्याज की नीची दर; (2) ऋण की मूल राशि की पहली किश्त की अदायगी की अवधि वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना; (3) ऋण की अदायगी के लिए अवधि जो कि सामान्यतया 10 से 12 वर्ष तक रखी जाती है उसे बढ़ाकर 15-20 वर्ष करना; सामान्य सेवा व्यय (नार्मल सर्विस चार्ज) में 50 प्रतिशत

कमी; और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया तथा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा जमानत की सीमा में 30/35 प्रतिशत कमी।

5. केन्द्र द्वारा एकमुश्त 10 प्रतिशत अनुदान या आर्थिक सहायता की स्कीम के ब्यौरे को जिसमें वितरण की प्रक्रिया भी शामिल है, औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

पालीस्टर तन्तुओं के मूल्य घटाना

2879. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेरिफ आयोग की इस सिफारिश पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है कि स्वदेशी पोलिस्टर तन्तुओं का मूल्यों में भारी कटौती की जाये, और

(ख) स्वदेशी पोलीस्टर तन्तुओं के मूल्य की विदेशों में इसके मूल्य से किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संश्लिष्ट रेशे तथा धागे की उचित कीमत पर टैरिफ आयोग की सिफारिशें अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मेसर्स केमिकल्स एण्ड फाइवर्स के पोलिस्टर रेशे की प्रति कि. ग्रा. रुपये में कीमत, १-३-१९७० से प्रभावी, निम्नोक्त प्रकार है :—

	2 डेनियर से ऊपर	2 डेनियर और उससे नीचे
कारखाने से निकलते समय प्रति कि०ग्रा०निवल दर	25.08	25.08
घटाएं : उत्पादन शुल्क के कारण सी०ए०एफ० आई० द्वारा संविलीन की गई कीमत में कम की गई राशि	4.50	4.50
संशोधित कीमत	20.58	20.58
पोलिमर पर अनुमानित उत्पादन शुल्क	1.90	1.90
रेशे पर उत्पादन शुल्क और उस पर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत का अधिभार	28.00	33.33
कुल कीमत (उत्पादन शुल्क सहित)	50.48	55.81

उपरोक्त कीमतों में वस्त्र समिति की फीस, विक्रय कर, चुंगी, परिवहन प्रभार शामिल नहीं हैं।

विदेशों में पोलिस्टर धागे की कीमत के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। तथापि भारत में आफर किये गये विदेशी पोलिस्टर रेशे की कीमतें निम्नोक्त हैं :

(1) ब्रिटेन में 3 डेनियर और 1.5 डेनियर के लिये आई०सी०आई० पोलिस्टर रेशे की कीमतें आजकल 40 पैंस प्रति पौंड या 36.7 न्यू पैनी प्रति कि०ग्रा० बोली जाती हैं। भारत में आफर किये गये जापानी पोलिस्टर रेशे की कीमत 36 से 37 पेंस प्रति पौण्ड है और पश्चिम जर्मनी के पोलिस्टर रेशे की कीमत 38 पेंस है।

(2) राज्य व्यापार निगम ने सूचित किया है कि विदेशी पूर्तिकर्ताओं द्वारा उद्धृत पोलिस्टर रेशे की कीमतें 36 और 37 पेंस प्रति पौण्ड के बीच घटती-बढ़ती रहती है जिसका रुपये में मूल्य 6 रु. प्रति कि०ग्रा० के आसपास होता है इसमें निम्नोक्त जोड़ा जावे :—

प्रति शुल्क	6.00 रु.
सीमा शुल्क	33.33 रु.
चढ़ाने-उतारने का खर्च	1.00 रु.
योग	40.33 रु.

इस प्रकार, 2 डेनियर और उससे ऊपर के आयातित पोलिस्टर रेशे की उतरने पर लागत 46 रु. के लगभग आयेगी।

अमरीका की सहायता से भारत इण्डोनेशिया संयुक्त उद्योग उपक्रम

2880. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इन्डोनेशिया अमरीका की सहायता से संयुक्त उद्योग उपक्रम स्थापित करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) किन क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जाएंगे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

टेलीविजन सेटों का मूल्य नियोजित करना

2881. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन सेटों का मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग की गति तेज करने के लिये टेलीविजन सेटों के निर्माताओं को कोई वित्तीय सहायता देने का भी सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). वर्तमान में सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है : (I) टेलीविजन सेटों का मूल्य-निर्धारण; (II) टेलीविजन सेटों के निर्माताओं को विशेष वित्तीय सहायता देना। देशी निर्माताओं ने टेलीविजन सेटों के मूल्य वर्तमान में इस प्रकार निर्धारित किये हैं; स्क्रीन-साईज के 23" का मुल्य 1600/– रुपये तथा 19" का मूल्य 1700/– रुपये है, जिसमें किसी प्रकार का कर सम्मिलित नहीं है। सरकार निम्नलिखित कदम उठाने जा रही है जिसके फलस्वरूप टेलीविजन सेटों की कीमत सम्भवत: कम हो जायेगी।

(I) उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेंट्स के मूल्यों में कृत्रिम कमी; टेलीविजन सेटों के मूल्य कम्पोनेंट्स के कारण अधिक प्रभावित होते हैं;

(II) प्रत्येक यूनिट में टेलीविजन सेटों की उत्पादन-मात्रा में अभिवृद्धि;

(III) ऐसे टेलीविजन सेटों का उत्पादन जिसमें ट्रांसजिटर्स लगे हों और जिसकी छोटी स्क्रीन का आकार 12" से 16" तक हो।

केरल के हथकरघा उद्योग में संकट

2882. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हथकरघा उद्योग के सम्मुख आ रहे गम्भीर संकट और हथकरघा फैक्टरियों के बड़ी संख्या में बन्द होने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) हथकरघा फैक्टरियों के इस प्रकार बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने श्रमिक बेकार हुए हैं;

(घ) क्या हथकरघा फैक्टरियों को फिर से खोलने और इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ङ). सूत की कीमतों में वृध्दि के बारे में जिससे विकेन्द्रित क्षेत्र के उपभोक्ताओं, यथा हथकरघा, शक्तिचालित करघा आदि के सामने अनेक कठिनाइयां आई हैं, देश के विभिन्न भागों से, जिनमें केरल राज्य भी शामिल है, अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वास्तव में सूत की पूर्ति में ऐसी कोई कमी नहीं थी। समस्या मुख्यतः कीमतों में हुई बढ़ोतरी से सम्बन्धित थी।

2. इसके फलस्वरूप हो सकता है कि केरल तथा अन्य राज्यों की कुछ हथकरघा फैक्टरियां बंद हो गई हों। इस सम्बन्ध में सही ब्यौरे प्राप्त नहीं हैं। फिर भी भारी संख्या में हथकरघा फैक्टरियों के बन्द होने का कोई समाचार नहीं मिला है।

3. सूत की कीमतें कम करने और विकेन्द्रित दरों क्षेत्र को समीचीन कीमतों पर इसकी पूर्ति उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(एक) स्वदेशी उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त विदेशी रुई तथा स्टेपल रेशे के भारी परिमाण में आयात की व्यवस्था की गई है ताकि रुई की पूर्ति बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त भंडारों, ऋण नियंत्रण और व्यापार सम्बन्धी अन्य सुविधाओं के अपेक्षाकृत अधिक कड़े विनियमन के लिए अनेक उपाय किये गये हैं।

(दो) सूती हथकरघा, पावरलूम तथा हौजरी क्षेत्रों की सहायता के लिए साफ किये गये सूत का एक पूल तैयार किया गया है। पूल से सप्लाई सम्बध्द राज्य के उद्योग/हथकरघा निदेशकों के माध्यम से की जाती है।

दिल्ली में पंखा रोड, जनकपुरी के फ्लेटों में हुई चोरियां

2883. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली में पंखा रोड़, जनकपुरी के फ्लेटों में हाल ही में चोरी की कई घटनाएं घटी हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में गैर सामाजिक तत्वों के उभरने का मुख्य कारण यह है कि उस क्षेत्र में तीन से चार मील तक कोई थाना नहीं है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में थाने के अभाव में उस क्षेत्र के निवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या वहां शीघ्र ही पुलिस चौकी खोलने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1 मई, 1970 से 30 अप्रेल 1971 की अवधि में चोरी के 20 मामले दर्ज किये गये थे।

(ख), (ग) और (घ). यह कालोनी तिलक नगर पुलिस थाने से दो मील की दूरी पर स्थित है। दिल्ली पुलिस द्वारा क्षेत्र में दिन-रात गश्त लगाई जाती है। यह कालोनी हाल में ही बनी है जिसका पूर्ण विकास अभी होना है। क्षेत्र से पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

ऊनी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

2884. **श्री नरेन्द्र सिंह बिस्ट** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी वस्तुओं के मूल्यों में प्रतिवर्ष भारी वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). कीमतों में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार ऊनी माल के मूल्यों में भी कुछ वृद्धि हुई है। जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) कीमतों में आगे और वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने कच्चे माल के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि की व्यवस्था की है और ऊनी उद्योग का आधुनिकीकरण तथा विस्तार करने के लिये और उन साफ करने की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

वर्ष 1968 के बाद ऊनी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को दर्शाने वाला विवरण

थोक मूल्य के सूचकांक का आधार वर्ष 1961–62=100

	1968	1969	1970	1971	प्र० श० वृद्धि
सभी वस्तुएं	165.2	168.7	179.2	182.1	10.8
कच्ची उन	96.7	101.4	107.8	105.5	9.1
ऊन निर्मित वस्तुएं	160.6	167.6	180.8	183.2	14.1

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को टेलीविजन सेटों से निर्माण के लिए लाइसेंस दिया जाना

2885. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को टेलीविजन सेट बनाने के लिये लाइसेंस देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या पिलानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड और फिजीकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद में टेलीविजन सेट बनाने के लिये पर्याप्त देशी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी कम्पनियों को भारत में अपनी आयातित टेक्नालाजी के साथ टेलीविजन सेट बनाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) तथा (ग). चौथी योजना अवधि में टेलीविजन सेटों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये, प्रत्येक श्रेणी के निर्माताओं से आवेदन पत्र मांगे गये थे; जो विचाराधीन हैं और प्रचलित औद्योगिक नीति तथा अन्य संगत तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जायेगा। सरकार ने टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये मैसर्ज फिलिप इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस देने का कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) सेंट्रल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी द्वारा विकसित तकनीकी ज्ञान पर आधारित निर्मित टेलीविजन पहले से ही बिक्री के लिये बाजार में आ चुके हैं। इस प्रकार की सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं कि कुछ विशेष व्यक्ति प्रयोगशालायें तथा अधीनस्थों ने भी टेलीविजन सेटों का विकास किया है।

बंगाल फाईन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कौनागार (पश्चिम बंगाल) का नियंत्रण सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

2886. **श्री बी० के० मोदक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कौनागार, पश्चिम बंगाल के भारतीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में जांच समिति का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) से (ग). बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० कौनागार के मामले की जांच के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन नियुक्त की गयी जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और राज्य सरकार आदि के परामर्श से इस पर विचार किया जा रहा है। प्रतिवेदन गोपनीय है अतः इसमें दी गयी सामग्री को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

बंगोदया काटन मिल्स पश्चिम बंगाल का बंद किया जाना

2887. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में पनीहाथ स्थित बंगोदया काटन मिल्स के बन्द किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त मिल के बन्द होने सम्बन्धी मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक नियुक्त की जाएगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) से (ग). जो मिल वित्तीय कठिनाइयों की वजह से 9--4--1971 को बन्द हो गयी थी, वह 12-5-71 से पुनः चालू हो गई है ।

Setting up of Jute Mill in Champaran District

2888. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have sent any proposal for setting up a new jute Mill at Chakia in Champaran District in Bihar ; and

(b) if so, the action taken by the Central Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No such proposal has been received.

(b) Does not arise.

त्रिपुरा के विभिन्न न्यायालयों में भूमिहीन जनजातीय लोगों तथा अनुसूचित जातियों के विरुद्ध विचाराधीन मामले

2889. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 से मार्च, 1971 तक त्रिपुरा के विभिन्न न्यायालयों में भूमिहीन जनजातीय लोगों और भूमिहीन अनुसूचित जातीय लोगों के विरुद्ध अनेक पुलिस मामले विचाराधीन है ;

(ख) क्या त्रिपुरा के उप-राज्यपाल ने यह आश्वासन दिया था कि इन मामलों को वापस ले लिया जायगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) (क) से (ग). त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है । प्राप्त होने पर वह सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

पूर्वी राज्यों के विकास के लिये समन्वय समिति

2890. **श्री वीरेन दत्त** :
श्री एम० एम० जोजेफ :
श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा :
क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा, मनीपुर और मेघालय क्षेत्रों के विकास के लिये समन्वय समिति बनाने की योजना को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समिति के गठन और निर्देश-पदों का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या त्रिपुरा और मनीपुर को राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक के पुरःस्थापन से पूर्व यह समिति बन जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ). मनीपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के सम्बन्ध में सरकार सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक समन्वय एजेन्सी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है । व्यौरे तैयार किये जा रहे हैं । इस अवस्था में इस उद्देश्य के लिए बनाये जा रहे विधान का सही स्वरूप बताना सम्भव नहीं है ।

Setting up of a Spinning Mill at Ratlam

2891. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh had applied to the Central Government for the grant of a licence for setting up a spinning mill at Ratlam ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b). An application for a licence to set up a spinning mill at Ratlam was received in 1965 from M/s. Ratlam Cooperative Jawahar Memorial Spinning Mills, Ratlam. It was rejected due to non-availability of funds.

नीलगिरि जिले में चाय पर उपकर वसूल किया जाना

2892. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में चाय पर कितना उपकर वसूल किया गया है ;

(ख) वसूल किये गये उपकर का उपयोग किस प्रकार किया गया है ;

(ग) क्या वसूली वाले क्षेत्र में सामान्यतः उद्योग के लाभ के लिये और विशेषतः श्रम कल्याण के लिए उपकर की राशि का उपयोग करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तमिलनाडु में नीलगिरि जिले में वसूल किए गए उपकर की राशि नीचे दी जाती है :

1968–69	..	..	12,24,566 रु०
1969–70		..	13,72,713 रु०
1970–71	..	..	13,84,752 रु०

(ख) चाय पर उपकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा वसूल किया जाता है और उससे प्राप्त राशियां, 112 प्रतिशत की दर से वसूली प्रभार को घटाकर भारत की संचित निधि में जमा कर दी जाती है । तत्पश्चात, केन्द्रीय सरकार ऐसी धनराशियों का बंटन करती है जिसे वह चाय बोर्ड द्वारा चाय अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए उनके द्वारा उठाए जाने व्ययों को पूरा करने के लिए उचित समझती है ।

(ग) तथा (घ). चाय अधिनियम में उल्लिखित बोर्ड के कार्यों के अनुरूप, व्यय के विभिन्न शीर्षों जैसे कि चाय विकास, विदेशों तथा भारत में चाय का संवर्धन, गवेषणा, श्रम कल्याण आदि, के अन्तर्गत बजट प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के विषय में चाय नियम, 1954 में प्रतिक्रियाएं विहित की गई हैं । चाय उद्योग के विभिन्न पहलुओं की प्राथमिकताओं, जिनपर तत्काल ध्यान देना आवश्यक होता है, जिसमें बागान श्रम अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले श्रम कल्याण उपाय शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए चाय बोर्ड की समस्त आवश्यकताओं के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं ।

इरिनजलाखुडा, केरल में डाक तथा तार विभाग के प्रधान कार्यालय के लिए नया भवन

2893. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि इरिनजलाखुडा, केरल में वर्तमान डाक तार प्रधान कार्यालय में स्थान बहुत ही सीमित है ;

(ख) क्या केन्द्रीय वास्तुशिल्पी ने वर्षों पहले नए भवन के निर्माण की योजना को अन्तिम रूप दिया था ; और

(ग) इस नये भवन का निर्माण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां । इस समस्या का हल करने के प्रयास में 1969 में इसके समीप एक इमारत किराये पर ली गई थी और डाकघर के एक भाग को इसमें स्थानान्तरित कर दिया गया है । मौजूदा कमी लगभग 1100 वर्ग फुट की है ।

(ख) त्रिवेन्द्रम के पोस्टमास्टर जनरल को जनवरी, 1970 में आर्किटेक्ट से नक्शे की एक मोटी रूपरेखा प्राप्त हुई थी जिसमें स्थल पर इस इमारत का प्रस्तावित विस्तार खंड दिखाया गया है । विस्तृत नक्शा और प्राथमिक रेखा-चित्र अभी तैयार किया जा रहा है ।

(ग) इसमें विलम्ब का कारण यह है कि एक साथ कई परियोजनाओं पर काम करना पड़ रहा है । इसलिए इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता देकर इसे जल्दी किया जा रहा है ।

मनीपुर से अगर का निर्यात

2894. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को मनीपुर की अगर का निर्यात करने से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ;

(ख) मनीपुर की अगर खरीदने वाले कौन-कौन से देश हैं ; और

(ग) ऐसे व्यापार के लिए किन एजेंसियों को नियुक्त किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते ।

प्रगीत तथा नाटक प्रभाग, इम्फाल

2895. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रगीत तथा नाटक प्रभाग की इम्फाल यूनिट पूर्ण नाटक दल से सुसज्जित है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से है तथा उसमें कितने कलाकार हैं और उसका क्या साज सामान है; और

(ग) यदि नहीं, तो कलाकारों के ऐसे दल की व्यवस्था कब की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग). गीत तथा नाटक प्रभाग की इम्फाल यूनिट सीमावर्ती प्रचार योजना के अन्तर्गत स्थापित है, जो स्थानीय बोलियों तथा स्थानीय कला रूपों में कार्यक्रम देती हैं। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण, उन्हें दुश्वार स्थानों से गुजरना पड़ता है तथा क्षेत्र में थोड़ी-थोड़ी संख्या में बिखरे हुए लोगों के लिए कार्यक्रम देने होते हैं। इसी योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की और यूनिटें स्थापित हैं। इन क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की यूनिटें अधिक उपयुक्त हैं। इन यूनिटों को पूर्णरूपेण दलों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रगीत तथा नाटक प्रभाग के कलाकारों की सेवा की सुरक्षा

2896. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रगीत तथा नाटक प्रभाग में कार्य कर रहे कलाकारों की विभिन्न श्रेणियों को सेवा में सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). ऐसे कलाकारों, जो थोड़ी अवधि के विशेष कार्यों के लिए रखे जाते हैं, को छोड़कर गीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों को करारों पर रखा जाता है । इन करारों का समय-समय पर नवीकरण किया जाता है बशर्ते कि उनकी शारीरिक योग्यता, कार्य कुशलता तथा आचरण ठीक रहे । कोई भी करार तब तक रद्द नहीं किया जाता जब तक मामले पर जांच समिति द्वारा विचार न कर लिया गया हो और उस समिति के निष्कर्षों/सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश न दे दिए गए हों । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदेश जारी किये गये हैं:—

(1) जांच समिति के लिखित निष्कर्षों/सिफारिशों पर लिखित आदेश हुए बिना कोई भी करार रद्द नहीं किया जायगा।

(2) करारों के नवीकरण/रद्द करने की सिफारिश करते हुए जांच समिति के निष्कर्षों में विशिष्ट कारण बताए जाएंगे।

(3) जांच समिति के निष्कर्षों पर निदेशक लिखित रूप से अपनी सहमति या असहमति देंगे।

(4) निदेशक के आदेश प्राप्त करने के बाद यदि यह स्वीकृति हो जाए कि करार को रद्द करना है तो निर्धारित पूर्व नोटिस देने की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

त्रिपुरा के जिला प्रशासन के ढांचे में सुधार

2897. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा को पांच जिलों में विभाजित करने के पश्चात् जिला प्रशासन के ढांचे में क्या सुधार किये गये हैं ;

(ख) क्या ये सुधार उस उद्देश्य के लिये नियुक्त आयोग अथवा समिति की सिफारिशों पर किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस समिति अथवा आयोग में कौन-कौन सदस्य हैं, इसके निर्देश पद क्या हैं तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उक्त सुधार किस आधार पर किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र को 1-9-1970 से निम्नलिखित तीन जिलों में विभाजित कर दिया गया था:—

जिले का नाम (1)	सब-डिविजने (2)	जिले का मुख्यालय (3)	क्षेत्रों की संख्या (4)	तहसीलों की संख्या (5)
1. पश्चिम त्रिपुरा जिला	1. खोवई 2. सदर 3. सोनामूरा	अगरतल्ला	6	79
2. उत्तर त्रिपुरा जिला	1. धर्मनगर 2. कैलाशहर 3. कमालपुर	अगरतल्ला (अस्थाई, कुमारघाट में स्थाई मुख्यालय का निर्माण होने तक)	5	48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. दक्षिण त्रिपुरा जिला	1. उदयपुर 2. बेलोनिया 3. अमरपुर 4. सबरूम	अगरतल्ला (अस्थाई, उदयपुर में स्थाई मुख्यालय का निर्माण होने तक)	6	50

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन किया गया :—

(1) सीमान्त क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की योजना के शीघ्र निष्पादन के लिये प्रत्यक्ष तथा एकीकृत तरीकों को सुनिश्चित करना ।

(2) कानून तथा व्यवस्था की समस्याओं पर विशेषकर दूरवर्ती बस्तियों में पर्याप्त रूप से कार्यवाही करना ।

(3) भू-राजस्व की अधिक वसूली और भूमि-अभिलेखों के रखरखाव में सहायता देना ।

त्रिचूर में रेडियो स्टेशन

2998. **श्री सी० जनार्दनन** :
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें त्रिचूर में वर्तमान रेडियो स्टेशन का दर्जा एक स्वतंत्र रेडियो स्टेशन तक बढ़ाने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) स्थायी स्टुडियो की स्थापना और स्टुडियो सुविधाओं में सुधार का काम चालू है ।

स्मारक डाक टिकट

2899. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से मार्च 1971 तक प्रमुख घटनाओं तथा व्यक्तियों की स्मृति में कितने डाक टिकट प्रकाशित किये गये थे; और

(ख) क्या सरकार 1946 में हुए रायल इंडिया नेवी के साहसपूर्ण विद्रोह की स्मृति में डाक टिकटें प्रकाशित करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 55.

(ख) डाक-तार विभाग से सम्बद्ध डाक-टिकट सलाहकार समिति ने इस प्रस्ताव की जांच की थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश नहीं की ।

रामपुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

2900. **श्री ज़ुल्फिकार अली खां** :
श्री रुद्र प्रताप सिंह :

क्या **सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर टेलीफोन (स्वचालित) केन्द्र के बारे में कोई तकनीकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उसके सभी दोषों को दूर करने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) (क) जी हां ।

(ख) सीधे एक अधिकारी की निगरानी में एक्सचेंज के उपस्कर को ओवरहाल किया गया है और उसके जो पुर्जे खराब थे उनकी मरम्मत कराई गई है। गड़बड़ियों की संख्या कम करने के लिए टेलीफोन उपभोक्ताओं के कार्यालयों के एहतियाती रख-रखाव के लिए भी कारंवाई की गई है।

(ग) कुछ खराबियों को दूर करने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि कुछ फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं। आवश्यक फालतू पुर्जों की सप्लाई की यथाशीघ्र व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में विदेशी धर्म प्रचारक

2901. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में, राज्यवार, कितने विदेशी धर्म प्रचारक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन धर्म प्रचारकों ने गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन किया; और

(ग) ऐसे कितने धर्म प्रचारकों को कतिपय क्षेत्र छोड़ कर चले जाने को कहा गया था तथा जो अपना कार्य करने के लिये पुनः वहां आ गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) भारत में पंजीकृत विदेशी (राष्ट्र मंडल सहित) धर्म प्रचारकों की संख्या का राज्यवार एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 को छोड़कर जो 20 अक्टूबर, 1968 से लागू किया गया था, एक धर्म से दूसरे धर्म परिवर्तन करने के लिए सूचना देने या पंजीकरण करने का कोई कानून नहीं है । अतः पूछी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) विदेशी धर्म प्रचारक जिनको एक क्षेत्र छोड़ कर चले जाने को कहा जाता है साधारणतया उन्हें उसी क्षेत्र में दुबारा कार्य नहीं करने दिया जाता है ।

विवरण

भारत में पंजीकृत वर्तमान विदेशी धर्म प्रचारकों की राज्यवार संख्या

क्रमांक	राज्य	राष्ट्र मंडलीय धर्म प्रचारकों के अतिरिक्त अन्य की संख्या	राष्ट्र मंडलीय धर्म प्रचारक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	263	175@
2.	असम	136	73*
3.	बिहार	328	179*
4.	गुजरात	177	16@
5.	हरयाणा	4	12@
6.	हिमाचल प्रदेश	6	40@
7.	जम्मू व कश्मीर	9	36@
8.	केरल	150	35@
9.	मध्य प्रदेश	134	83*
10.	महाराष्ट्र	433	344*
11.	मैसूर	308	193@
12.	नागालैण्ड	4	--@
13.	उड़ीसा	90	54@
14.	पंजाब	62	58*
15.	राजस्थान	20	18@
16.	तमिल नाडु	497	366@
17.	उत्तर प्रदेश	264	198@
18.	पश्चिम बंगाल	205	286@

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	अन्दमान व नीकोबार दीप समूह	–	–
20.	चण्डीगढ़	–	–
21.	दादरा व नागर हवेली	–	–
22.	दिल्ली	55	74@
23.	गोवा, दमन व दीव	27	21*
24.	लक्का दीव मिनकाय व अमिनदीव द्वीप समूह	–	–
25.	मनीपुर	–	–
26.	पाण्डिचेरी	10	1@
27.	त्रिपुरा	–	18@

*1-1-71 को @1-1-70 को

विदेशी मिशनरियों की गतिविधियां

2902. **श्री वृजराज सिंह कोटा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी मिशनरियों की धर्मान्तिरित करने की बड़ती हुई गतिविधियों के विरूद्ध जनता में रोष व्याप्त है;

(ख) क्या बम्बई में कुछ मिशनरी 'कमीशन के आधार पर' धर्म-परिवर्तन करने के प्रयास कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें दिये गये पर्यटक वीजा और विशेषाधिकारों का स्वरूप क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह प्रतीत हो कि विदेशी मिशनरियों की धर्म परिवर्तन करने की गतिविधियां बढ़ी हैं। अथवा बम्बई में कुछ मिशनरियां कमीशन के आधार पर धर्म परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रही हैं।

(ग) विदेशी मिशनरी जो पर्यटन के लिए भारत में आते हैं उन्हें अन्य विदेशियों के समान तीन महीने ठहरने के लिए पर्यटक वीजा दिया जाता है, जिसको छः महीने तक बढ़ाया जा सकता है। उनसे भारत में रहते हुये कोई व्यापार अथवा वैतनिक या अवैतनिक कार्य करने की आशा नहीं की जाती। उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाते।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में तामिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित समिति

2903. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री नुग्घेहल्ली शिवप्पा :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में तामिल नाडु सरकार द्वारा स्थापित समिति ने कतिपय सांवैधानिक संशोधनों हेतु ऐसी सिफारिशें की थीं जिनसे आयोजना, वित्त, करारोपण और न्याय-पालिका के मामलों में राज्यों को अधिक शक्ति मिल जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार ने इस संबंधमें प्रेस रिपोर्ट देखी है। किन्तु अब तक सरकार को तामिल नाडु सरकार से प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासनिक सुधार आयोग और आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र राज्य संबंधो से संबंधित प्रश्नों का गहन अध्ययन किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केन्द्र-राज्य संबंधों को निर्धारित करने वाले संविधान के उपबन्ध प्रत्येक स्थिति का सामना करने के प्रयोजन के लिए अथवा इस क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्येक समस्या में समाधान के लिये पर्याप्त हैं। केन्द्र-राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

कानपुर में आकाशवाणी केन्द्र

2904. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित आकाशवाणी केन्द्र का उद्देश्य केवल विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित करना है; और

(ख) यदि हां, तो उसको नियमित प्रसारण केन्द्र में परिवर्तित न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस क्षेत्र में आकाशवाणी, लखनऊ के प्रसारण अच्छी तरह सुने जाते हैं।

इलेक्ट्रानिक्स आयोग की स्थापना

2905. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वह इलेक्ट्रानिक्स आयोग स्थापित कर दिया गया है जिसकी परिकल्पना गत मार्च के राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई थी;

(ख) क्या इसके सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उनके नाम और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त आयोग द्वारा आरम्भ में अनुसंधान और विकास संबंधी कौन सा कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत): (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग). प्रोफेसर एम० जी० के० मेनन इलोक्ट्रानिक्स आयोग के अध्यक्ष हैं और इलाक्ट्रानिक विभाग में भारत सरकार के सचिव हैं। निम्नलिखित महानुभावों को इलक्ट्रानिक्स आयोग के सदस्य मनोनीत किया गया है :—

1. श्री टी० स्वामिनाथन्
   मंत्रीमंडल सचिव।

2. श्री बी० डी० पांडे,
   सचिव, भारत सरकार,,
   वित्त मंत्रालय।

3. श्री ए० एस० राव,
   प्रबंध-निदेशक,
   इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
   हैदराबाद।

4. श्री एम० एस० पाठक
   अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक,
   इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड,
   नई दिल्ली।

आयोग के सदस्यों का कार्य-काल दो वर्ष रहेगा।

(घ) इलेक्ट्रानिक्स आयोग स्वयं अनुसंधान तथा विकास-कार्य नहीं करेगा। इस संबंध में इसके सन्मुख एक आवश्यक कार्य यह है कि आयोग अपने देश में उपयुक्त ढंग का अनुसंधान तथा विकास कार्य आश्वस्त करे और आर्थिक तथा अन्य प्रकार की पूर्ण सहायता प्रदान करे। इलेक्ट्रानिक्स कमीशन योजनाओं को ऐसे खास क्षेत्रों का चयन करना है जहां अनुसंधान तथा विकास कार्य के घोर प्रयत्न किये जा सकें।

कलकत्ता स्टूडियो में वृत्त चित्रों का निर्माण

2906. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्टूडियो में केन्द्रीय सरकार के वृत्त चित्र नहीं बनाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कलकत्ता के फिल्म निर्माताओं को फिल्म प्रभाग की कुछ डाकुमेंट्री फिल्म बनाने का काम सौंपा जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अश्लील इश्तहार और फिल्म

2907. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मंत्रालय द्वारा फिल्म सेंसर बोर्ड को अश्लील इश्तहार और फिल्मों के सम्बन्ध में क्या विशिष्ट सुझाव अथवा योजनाएं दी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है । पोस्टरों का सेंसर किया जाना इस अधिनियम के क्षेत्र में नहीं आता । तथापि, राज्य सरकारों और नगरपालिका अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 तथा अन्य स्थानीय कानूनों के अंतर्गत अश्लील फिल्म पोस्टरों के विरूद्ध कार्रवाई करने के पर्याप्त अधिकार हैं । सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अश्लील फिल्म पोस्टरों के प्रदर्शन पर कड़ी निगरानी रखें ।

फिल्म विकास बोर्ड का गठन

2908. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली, तमिल, आसामी, उड़िया तथा हिन्दी फिल्मों के सामान्य विकास के लिये एक फिल्म विकास बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब गठित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). बंगला, तमिल, असमिया, उड़िया तथा हिन्दी फिल्मों के सामान्य विकास के लिये एक फिल्म विकास बोर्ड स्थापित करने के किसी प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है । तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने जून, 1969 में एक राज्य फिल्म सलाहकार समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य के फिल्म उद्योग में सुधार लाने के लिये एक सांविधिक फिल्म विकास बोर्ड गठित करने की सिफारिश की थी । यह सिफारिश इस समय पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है ।

मानव कल्याण के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग

2909. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव कल्याण के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिये सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना "परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष अनु-संधान–1970-80 के दशाब्द के कार्यक्रम की रूपरेखा" नामक पुस्तिका (अंग्रेजी) में जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं दी गई है।

(ख) चालू दशाब्द के लिये जो योजना तैयार की गई हैं उसके अनुसार निर्माणाधीन परमाणु बिजलीघरों तथा देश के विभिन्न भागों में भविष्य में स्थापित किये जाने वाले परमाणु बिजलीघरों से 2300 मैगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने की योजना है।

खेतीबाड़ी तथा उद्योग-धंधों में रेडियो आइसोटोपों तथा विकिरण का उपयोग करने की जो योजना बनाई गई है उसके अनुसार जिन कामों के लिए किरणायक लगाये जाने का विचार हैं वे हैं; (क) खाद्यान्नों का कीटाणुनाशक (ख) प्याज, आलू, मछली आदि जैसी खाद्य सामग्रियों को अधिक लम्बे समय तक ताजा बनाये रखने के लिए उनका संशोधन (ग) डाक्टरी कामकाज में आने वाले सामान का निर्जर्मीकरण तथा (घ) लकड़ी/प्लास्टिक की चीजें तैयार करने में विकिरण/रेडियो आइ-सोटोपों को काम में लाना। आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, अधिक से अधिक लोगों को न्यूक्लीय औषधियों से लाभान्वित करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में विकिरण औषध केन्द्र तथा छोटे आकार की आइसोटोप प्रयोगशालायें स्थापित करने की योजना है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र पर व्यय

2910. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र पर वास्तविक व्यय कितना होता है; और

(ख) उक्त केन्द्र में भारत के विभिन्न राज्यों के लिये स्थानों के आवंटन की व्यवस्था क्या है ;

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र पर 1970-71 के वर्ष में 11.83 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय हुआ है।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शोध एवं विकास-कार्य करने वाला राष्ट्रीय केन्द्र है। इस केन्द्र में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। इस कारण, स्थानों के आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर में मुंसिफों की भर्ती तथा सरकारी कर्मचारियों की वरीयता निर्धारित करने सम्बन्धी नियम

2912. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या मैसूर में मुंसिफों की भरती तथा सरकारी कर्मचारियों की वरीयता निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई नियम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). मैसूर सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई और यथा शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर में कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना

2913. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में मैसूर राज्य कर्मचारियों के आचार नियमों के नियम (5) का उल्लंघन करने के कारण वर्ष 1965 में कितने सरकारी कर्मचारी निलम्बित किये गये;

(ख) क्या उक्त नियम (5) को मैसूर न्यायालय में चुनौती दी गई थी तथा बाद में सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी;

(ग) इन दो न्यायालयों के निर्णयों सम्बन्धी प्रमुख बातें क्या हैं; और

(घ) उन निर्णयों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). मैसूर सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आकाशवाणी कार्यक्रम सलाहकार समितियों का पुनर्गठन

2914. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के आकाशवाणी केन्द्रों से संलग्न कार्यक्रम सलाहकार समितियों को पुनर्गठित करने के प्रश्न पर निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इनमें आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रमों में प्रतिबिम्बित होने वाले विभिन्न हितों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ।

टेस्ट ब्रीडर रियेक्टर

2915. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग टेस्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण करने में सफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ग) क्या ऐसे रिएक्टर द्वारा विस्फोटक सामग्री को और अधिक एकत्र करने में सहायता मिलेगी;

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने नाभिकीय ऊर्जा को इंजीनियरी सम्बन्धी उद्देश्यों में प्रयुक्त करने के लिये नाभिकीय विस्फोट परीक्षण करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का विवरणयुक्त डिजायन तैयार करने का काम; जो फ्रान्स के सहयोग से किया जा रहा है, समाप्त होने वाला है। इस रिएक्टर का निर्माण-कार्य इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व शुरू किए जाने की आशा है।

(ख) रिएक्टर में प्लूटोनियम तथा यूरेनियम को ईंधन के रूप में तथा पिघले हुए सोडियम को शीतक के रूप में काम में लाया जायेगा। इसकी क्षमता 42.5 मैगावाट ताप विद्युत का उत्पादन करने की होगी। उच्च दाव की अवस्था में काम करने वाला एक टर्बोजनित्र बिजली पैदा करेगा।

(ग) रिएक्टर में नया विदल्य पदार्थ पैदा होगा, किन्तु क्योंकि इस रिएक्टर का आकार छोटा होगा अतः इसमें जितना विदल्य पदार्थ खपेगा उससे ज्यादा पैदा नहीं हो सकेगा।

(घ) तथा (ङ). परमाणु उर्जा आयोग आजकल उन अवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है जिनके अन्तर्गत शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिए भूमिगत परमाणु विस्फोटों को मिलाना पर्यावरण सम्बन्धी संकटों को उत्पन्न किये बिना भी भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से हितकर सिध्द हो सकता है।

भारतीय सीमा में आने वाले गोली लगने से घायल व्यक्तियों को भारतीय अस्पतालों में दाखिल करना

2916. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले गोली लगने से घायल हुये व्यक्तियों को पूर्वी राज्यों में स्थित भारतीय अस्पतालों में दाखिल कर लिया गया है;

(ख) अस्पतालों में दाखिल किये गये ऐसे घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने व्यक्ति अस्पतालों में मर गये हैं ?

(ग) ऐसे रोगियों में बच्चों तथा महिलाओं की संख्या कितनी है ; और

(घ) इनमें से कितने व्यक्ति राजनैतिक दलों से संबंधित हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ). त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वी बंगाल के गोली से घायल 468 शरणार्थियों को अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती किया गया था। उनमें 96 महिला और बच्चे थे। 468 शरणार्थियों में से 31 अस्पताल में मर गये। मणिपुर अस्पतालों में किसी भी घायल शरणार्थी की चिकित्सा नहीं की गई है। पश्चिमी बंगाल, मेघालय तथा असम सरकारों से सूचना की प्रतिक्षा की जा रही है।

कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) में उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

2917. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार जिले में सिताई के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया अतिरिक्त विभागीय डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उप-डाकघर कर देने का अनुरोध गत तीन वर्षों से अनिर्णीत पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त डाकघर का दर्जा कब तक बढ़ाया जायेगा; और

(ग) कूच-बिहार जिले की ओर से आये ऐसे कितने अनुरोध विभाग के विचाराधीन पड़े हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख). सिवाईहाट अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ा कर विभागीय उप डाकघर बनाए जाने की प्रार्थना पर इससे पहले 1953, 1958, 1961 और 1963 में विचार किया गया था, लेकिन हरबार यही पाया गया कि इसका दर्जा बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं है। इसके बाद मई, 1968 और सितम्बर 1970 में इसका दर्जा बढ़ाने के लिए फिर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, लेकिन इन दोनों अवसरों पर भी इसका दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं पाया गया। इस डाकघर में केवल 3 घंटे और 21 मिनट का काम होगा, जबकि कम से कम 5 घंटे का काम होना चाहिए। कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल को इस बात की जांच करने के लिए कहा गया है कि क्या इस डाकघर का दर्जा बढ़ाकर इसे अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर बनाया जा सकता है।

(ग) विभाग इस समय अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने की चार प्रार्थनाओं और विभागीय नगर उप-डाकघर खोलने की एक प्रार्थना की जांच कर रहा है। कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल को इन प्रस्तावों की शीघ्र जांच करने के लिए कहा गया है।

सिलीगुड़ी में "कुर्सियोग" प्रसारण केन्द्र

2918. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलिगुड़ी में "कुर्सियोग" नामक प्रसारण केन्द्र भारत का सबसे कमजोर प्रसारण केन्द्र है।

(ख) क्या इस केन्द्र की प्रमारण सेवा में प्राय: निरन्तर बाधा पड़ती रहती है;

(ग) क्या इस केन्द्र से सम्बद्ध कोई सलाहकार समिति है; और

(घ) यदि हां, तो उस सलाहकार समिति का सदस्य बनने के लिए क्या मानदण्ड रखे गये हैं तथा वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग), जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Alleged unequal treatment by A. I. R. and T. V. to political parties

2919. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether many political parties have complained that the All India Radio and Television did not accord equal treatment to all the parties and that the ruling party was accorded special facilities by it ; and

(b) if so, the remedial steps proposed to be taken in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Some complaints alleging partiality to the party in power were received from persons belonging to some of the other political parties. On investigation these were found to be without any basis.

(b) Does not arise.

Meeting of National Integration Council

2920. **Shri Bharat Sing Chauhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Committee of the National Integration Council was held in New Delhi on the 22nd May, 1971 under the Chairmanship of Prime Minister ; and

(b) if so, the decision taken thereat, the concrete steps taken thereafter and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कोटा में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2921. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा में सरकार का विचार कब तक एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : कौटा में स्वचालित एक्सचेन्ज स्थापित करने की योजना बना ली गई है। मौजूदा अनुमान के अनुसार आशा है कि इस एक्सचेंज को 1975-76 तक चालू करना संभव हो सकेगा।

टिटेनियम धातु निकालने के लिये मोनजाइट रेल से इल्पेनाइट कण पृथक करने के लिए संयंत्र

2922. **श्री देवेन्द्र सिंह गारखा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के भूवैज्ञानिकों ने महानदी नदी के मुहाने से चिलका झील के दक्षिणी छोर तक फैले पूर्वी तट पर बहुमूल्य मोनजाइट रेत के अस्तित्व का पता लगाया है ;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग एक ऐसा संयंत्र लगायेगा जिसमें मोनजाइट रेत से इल्मेनाइट कणों को अलग किया जायेगा तथा फिर टिटोनियम धातु निकालने का स्रोत बनाने के लिये उन्हें सकेन्द्रित किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संयंत्र की स्थापना में कितना समय लगेगा ?

परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री, प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा पुरी के समुद्रतट के साथ-साथ जो सर्वेक्षण किया गया है उससे यह पता लगा है कि वहां की रेत में बहुत कम मात्रा में मोनाजाइट विद्यमान है ;

(ख) उड़ीसा के गंजम जिले से छत्रपुर के समुद्र तट पर पाई जाने वाली खनिजयुक्त रेत से इल्मेनाइट निकालने की संभावनाओं का अध्ययन परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले एक सरकारी उपक्रम मैसर्स इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इल्मेनाइट से टाइटेनियम स्पंज तैयार करने की सम्भावना का अध्ययन भी वह कम्पनी कर रही है।

(ग) जो प्रारम्भिक अध्ययन आजकल किये जा रहे हैं उनकी समाप्ति तक नई योजनाओं को हाथ में लेने के बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता।

आकाशवाणी द्वारा खेती के संबंध में प्रसारण

2923. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के प्रवक्ता अपने कृषि प्रसारणों के द्वारा किसानों को प्रत्येक राज्य में फसलों की बुआई, उपयोग किये जाने वाले उर्वरक की किस्म तथा उसकी उपलब्धता के सम्बन्ध में विशिष्ट मन्त्रणा देते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी मंत्रणा देकर इन प्रसारणों को अधिक सोद्देशीय बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) इन कार्यक्रमों के साथ कितने कृषि विशेषज्ञों को सम्बद्ध किया जाता है और प्रसारणों की फलोत्पादकता को स्वयं सुनिश्चित करने हेतु क्या आकाशवाणी द्वारा कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी के उन सभी केन्द्रों से, जो कृषि कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, सलाहकार पेनल सम्बद्ध है जिनमें 4 से 6 तक कृषि विशेषज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र में अभियान चलाए जाते हैं उस क्षेत्र में राज्य सरकार के विशेषज्ञों तथा प्रगतिशील किसानों को भी इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध किया जाता है। इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन श्रोताओं के पत्रों के आधार पर तथा आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान संगठन द्वारा किया जाता है।

कपास ओंटने के कारखानों के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना

2924. **श्री के० लकप्पा :**
श्री नुग्घल्ली शिवप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपास ओंटने के सभी कारखाने के निरीक्षण हेतु तथा ओंटने के समय रूई के रेशों को हानि होने से बचाने के लिये उनकी मशीनों में आवश्यक सुधार की सलाह देने हेतु एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि निश्चित की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

इंडिया गेट के निकट दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों द्वारा एक दम्पति का पीटा जाना

2925. **श्री विक्रमचंद्र महाजन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जून, 1971 को इंडिया गेट, नई दिल्ली में घुड़सवार पुलिस के सिपाहियों ने एक दम्पत्ति को पीटा था ; और

(ख) यदि हां, अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) बताया जाता है कि 6 जून, 1971 को दिल्ली के तीन पुलिस कर्मचारियों ने जिनमें दो घुड़वार पुलिस के थे, इंडिया गेट के निकट एक दम्पति को पीटा था।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 342/379/323 के अन्तर्गत पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया। सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। मामले की जांच ठीक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की देखरेख में की जा रही है।

"आनंद असाही" मीटरों का दक्षिण वियतनाम को निर्यात

2927. **नुगघल्ली शिवप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दक्षिण वियतनाम को "आनन्द असाही" मीटरों का निर्यात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सरकारी निर्यात आंकड़े ब्रांडवार न रखे जाकर वस्तुवार रखे जाते हैं। तथापि, ऐसा पता चला है कि इस विशिष्ट ब्रांड के पानी के मीटर के निर्माताओं ने दक्षिण वितयनाम को 12.74 लाख रु० मूल्य के 28,875 मीटरों की पूर्ति के लिए आदेश प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें से 1970-71 में 2.34 लाख रु० मूल्य के निर्यात किये भी जा चुके हैं।

वर्ष 1970-71 की विकास दर

2928. **श्री नुगधल्ली शिवप्पा** :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 के लिये 6.5 प्रतिशत की सम्भावित विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). वार्षिक योजना 1970-71 में 5.5 प्रतिशत विकास दर की परिकल्पना की गई है। 1970-71 में प्राप्त विकास दर के निश्चित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि ऐसे संकेत हैं कि 1969-70 में प्राप्त विकास दर को इस वर्ष भी प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि की विकास दर संतोषजनक रही है।

1970–71 में औद्योगिक उत्पादन में कुछ कमी रही है। इसका मुख्य कारण कृषि-आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल, इस्पात, अलौह धातुओं तथा ऊर्जा में कमी और औद्योगिक सम्बन्धों का बिगड़ जाना है।

(ग) चौथी योजना के शेष वर्षों में विकास दर को बढ़ाने हेतु औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। चौथी योजना का पुनर्मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

रूई ओटने के कारखानों का आधुनिकीकरण

2929. **श्री नुग्धल्ली शिवप्पा :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विद्यमान रूई ओटने के कारखानों के राज्यवार नाम तथा संख्या क्या है ;

(ख) क्या उक्त कारखानों में उपयुक्त मशीनें पुरानी हैं तथा उनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या इन कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित मशीनरी भारत में ही उपलब्ध है या कि उसका आयात करना पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मंत्रालय में इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में रूई ओटने के कारखानों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है:—

राज्य	कार्य कर रही रूई ओटने की फैक्टरियों की संख्या
आसाम	13
आन्ध्र प्रदेश	47
गुजरात	428
मध्य प्रदेश	252
महाराष्ट्र	779
मैसूर	517
पंजाब (भूतपूर्व)	41
राजस्थान	19
तमिलनाडु	103
त्रिपुरा	2
पश्चिम बंगाल	5
अखिल भारतीय योग :	2211

रूई औटने के इन कारखानों के नामों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) विश्वास किया जाता है कि बहुत सी फैक्टरियों में लगाई हुई रूई औटने की मशीनें पुरानी हैं लेकिन ऐसी सूचना मिली है कि रोलर, चाकू जैसे चालू पुर्जों के समय-समय पर बदलने से वे संतोषजनक कार्य कर रही हैं ।

(ग) सिंगल रोलर तथा डबल रोलर वाले रूई औटने के कारखाने देश में उपलब्ध हैं । बहरहाल, रूई औटने के आरा कारखानों का आयात करना पड़ता है ।

Price of Tobacco

2930. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of tobacco exported by India during the last two years ;

(b) the international price of tobacco per kilogram in America, Britain and West Germany ; and

(c) the price of tobacco per kilogram accruing to the tobacco growers in India?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Indian Tobacco worth Rs. 33.32 crores and Rs. 31.59 crores was axported during the years 1969 and 1970 respectively.

(b) & (c). There are a number of grades of tobacco and as such it is not possible to give precise information.

Direct Dialling System in Mandsaur (Madhya Pradesh)

2931. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the places in Mandsaur District in Madhya Pradesh which are linked with Delhi, Bhopal, Indore, Bombay, Jaipur, Udaipur and Ahmedabad by direct dialing system;

(b) whether Government have any scheme under contemplation to introduce direct dialing system from the remaining places also; and

(c) if so, the main features thereof?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c). None of the stations in Mandsaur District is linked with Delhi, Bhopal, Indore, Bombay, Jaipur, Udaipur and Ahmedabad by direct dialling system. The trunk traffic to these cities is very small at present to justify direct dialling.

Public Call Office in Mandsaur District (Madhya Pradesh)

2932. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) the names of places in Mandsaur District where Public Call Offices are proposed to be set up by Government during the current year;

(b) whether these places include Nahargarh and Nagavi also;

(c) whether the people have several times demanded the setting up of Public Call Offices at the said places; and

(d) the considerations which are generally taken into account for making available such facility at a place?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Nil

(b) Question does not arise.

(c) Demands have been received for opening public call offices at Nahargarh and Nagavi, (Correct name Nagri).

(d) Normally telephone facility is provided at a place if the proposal works out to be remunerative.

In case of loss, telephone facility can be provided on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the loss to the department.

However, telephone facility can be provided on loss basis if a place falls in one of the following categories of stations:—

(1) District Headquarters

(2) Sub-Divisional Headquarters

(3) Tehsil Headquarters

(4) Sub-Tehsil Headquarters

(5) Places with population of 20,000 os more and places in urban areas with a population of 10,000 or more.

(6) Places situated beyond 40 Kms from the nearest telephone exchange—Limited number of Public Call Offices can be opened at such places.

(7) Limited number of Public Call Offices at

(a) Pilgrim/Tourist centres,

(b) Irrigation and projects sites and Townships.

क्रमबद्ध एजेंसी के माध्यम से अरण्डी और मूंगफली की खली का निर्यात

2933. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कुल कितनी और कितने मूल्य की अरण्डी और मूंगफली की खली का निर्यात हुआ;

(ख) क्या इसका निर्यात भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से होता है और यदि हां, तो उसका क्या नाम हैं;

(ग) गैर-सरकारी कम्पनियों की वस्तुओं का निर्यात अपनी मार्फत करने और उसकी स्वीकृति के लिये एजेंसी ब्यौरेवार क्या पद्धति अपनाती है;

(घ) विदेशी खरीदारों के दावों का निपटारा और उनसे भुगतान की प्राप्तियों का आधार क्या है; और

(ङ) क्या इस निर्यात व्यापार में आने के लिये नई कम्पनियों को अनुमति नहीं दी दी जाती है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अरंडी की खली और उसका चूरा अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है और इस प्रकार उन के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मूंगफली के चूरे का निर्यात निम्नोक्त प्रकार हुआ है:–

मूंगफली निस्सारण

अवधि	मात्रा (हजार मे० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1968-69	682	4195
1969-70	510	3272
1970-71	483	3279

(ख) अरंडी की खली का निर्यात किसी भी अभिकरण के माध्यम से मार्गीकृत नहीं है। मूंगफली की खली (एक्सपैलर किस्म) के निर्यात पर रोक है। मूंगफली निस्सारण का निर्यात मूंगफली निस्सारण निर्यात विकास संघ के माध्यम से मार्गीकृत है जो इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुमोदित है।

(ग) बाजारों के विस्तार तथा विविधता को प्राप्त करने के खयाल से मूंगफली निस्सारण निर्यात विकास संघ ने एक अनुशासन संहिता बनाई है।

(घ) विदेशी खरीदारों से भुगतान की प्राप्तियां और दावों का निबटान सामान्य बैंकिंग माध्यमों से होता है और यह अलग-अलग सदस्यों पर छोड़ दिया गया है।

(ङ) निर्यात व्यापार में नई पार्टियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते कि वे निर्यात से पूर्व मूंगफली निस्सारण निर्यात विकास संघ के सदस्य बन जायें और संघ द्वारा बनाई गई अनुशासन संहिता का पालन करें।

काजू निगम में अशासकीय व्यक्तियों का नामांकन

2934. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा काजू निगम में अशासकीय व्यक्तियों को रखने का इस बीच चयन कर लिया गया है तथा उनका नामांकन कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके क्या नाम हैं;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अशासकीय सदस्यों को कब तक नामांकित किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) श्री सी० एम० स्टीफेन संसद सदस्य ही ऐसे एकमात्र गैर-सरकारी व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय काजू निगम के निदेशक बोर्ड के लिए चुना तथा नामांकित गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Opening of Public Call Office in Pacheri Bari, Rajasthan

2935. **Shri S. N. Singh : Will** the Minister of **Commuhication** be pleased to state :

(a) whether a Public Call Office has not so far been opened in Pacheri Bari, Jhunjhunu District, Rajasthan inspite of the fact hat sanction in this regard was given long ago ; and

(b) if so, when it is proposed to be opened?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The proposal to open a public call office at Pacheri Bari District Jhunjhunu, Rajasthan has not been sanctioned as yet.

(b) Question does not arise.

गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन

2936. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य के भावनगर और अमरेली जिलों के गांव सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधाओं से वंचित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) किसी स्थान पर टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था सामान्यत: योजना के लाभकर होने पर ही की जाती है। किन्तु अविकसित क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान करने के लिये विभाग ने एक नीति बनाई है जिसके अनुसार प्रशासनिक महत्व, जनसंख्या और सामान्य दूरसंचार लाइनों से दूरी के आधार पर कुछ वर्गों के स्थानों से टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा सकती है। एक सीमित संख्या में तीर्थस्थानों, पर्यटन केन्द्रों, कृषि और सिंचाई परियोजना स्थलों और टाऊनशिप में भी घाटे के आधार पर टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने पर विचार किया जाता है।

यदि कोई स्थान उपर्युक्त में से किसी के भी अन्तर्गत न आये और टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव से घाटा दिखाई दे तो इसमें दिलचस्पी रखने वाली किसी पार्टी के विभाग को होने वाले घाटे की पूर्ति करने की गारंटी करने पर किराये और गारंटी के आधार पर भी यह सुविधा प्रदान की जा सकती है।

उपर्युक्त नीति के अनुसार भावनगर और अमरेली जिले में घाटे के आधार पर जिन स्थानों पर टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था की जा सकती है, उन सभी स्थानों पर यह सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) उपर्युक्त नीति के अनुसार जिन स्थानों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए मांगें प्राप्त हुई हैं, वहां यह सुविधा प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही हैं।

गुलाबों के मूल्य के बारे में चण्डीगढ़ प्रशासन और राज्य व्यापार निगम के बीच विवाद

2937. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किए जाने वाले गुलाबों के मूल्यों के बारे में चण्डीगढ़ प्रशासन और राज्य व्यापार निगम के बीच विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) गुलाब का विदेशी बाजार भारत के हाथों से निकलने से पूर्व सरकार किस प्रकार इस विवाद को सुलझायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). चण्डीगढ़ प्रशासन से राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदे गये गुलाबों की कीमत के संबंध में चण्डीगढ़ प्रशासन तथा राज्य व्यापार निगम के बीच कुछ विचार-विमर्श हुआ है। गुलाबों के निर्यात का मौसम नवम्बर से फरवरी तक होता है। परस्पर स्वीकार्य कीमत तय करने की दृष्टि से और विचार-विमर्श आगामी मोसम के आरम्भ होने से पूर्व उपयुक्त समय पर किये जाएंगे।

Telegraph Sub-Division in Champaran District, Bihar

2938. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) whether in Champaran District of Bihar expansion of Telephone services is contemplated ;

(b) whether a separate Telegraph Sub-Division in the said District is also contemplated ; and

(a) if so, by what time?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) (a) No specific programme for Expansion of telephone service in Champaran district is contemplated.

(b) There is no case for sanction of a separate telegraph sub-division in Champaran District at present.

(c) Question does not arise.

आत्महत्या जांच आयोग की नियुक्ति

2939. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आत्महत्या के मामलों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए एक आत्महत्या जांच समिति नियुक्त की है; और

(ख) प्रतिवर्ष जल कर मरने वाली महिलाओं की कितनी संख्या है और देश में घरेलू झगड़ों के कारण होने वाली आत्महत्याओं की क्या दर है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 1968 वर्ष में आत्महत्या के 40,688 मामले हुए जिनमें 24464 पुरुष तथा 16224 महिलाएं थीं। 2124 मामलों (पुरुष व महिला दोनों) में आत्महत्या स्वयं को आग लगाकर की गई; पुरुष और महिलाओं के पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जटनी, उड़िसा स्थित इंजीनियरिंग और लाइन कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

2940. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि उड़ीसा में जटनी सर्किल स्थित इंजीनियरिंग तथा लाईन कर्मचारियों के लिये अभी तक आवास की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के हेतु लिये गये दो रेलवे क्वार्टरों की वर्षों से मरम्मतें नहीं की जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप ये क्वार्टर रहने लायक नहीं है; और

(ग) क्या सरकार डाक और तार विभाग के कर्मचारियों और जटनी स्थित लाईन कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्या करने के बारे में विचार कर रही हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां, इस समय जटनी में विभागीय क्वार्टर उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल लाइन कर्मचारियों के लिए तीन रेलवे क्वार्टर किराये पर लिये गए हैं।

(ख) रेलवे के ये क्वार्टर दो नहीं, तीन हैं और इनके रख-रखाव का काम रेलवे प्रशासन करता है। अभी तक सर्कल प्राधिकारियों को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है और वे रहने लायक नहीं है।

(ग) जटनी में डाक-तार कर्मचारियों के लिए 12 क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है और उनका निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है।

जटनी टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन

2941. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में जटनी स्थित टेलीफोन एक्सचेन्ज का अपना कोई भवन नहीं है जबकि इसके लिये वहां पर भूमि है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शीघ्र ही टेलीफोन केन्द्र के लिये भवन निर्माण करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) डाक-तार विभाग ने टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में भर्तियां

2942. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को जम्मू तथा काश्मीर स अधिकाधिक संख्या में लोगों को भर्ती करने के निर्देश दिये हैं (दिनांक 24 मई, 1971 के स्टेटसमेन में प्रकाशित एक समाचार) ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार का आशय यह है कि केन्द्रीय बल जैसे, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस आदि को अपने अधिकारियों की भर्ति आखिल भारतीय आधार पर करनी चाहिये ताकि इन बलों को राष्ट्रीय स्वरूप सुनिश्चित हो सके; और इस उद्देश्य से सरकार ने इन बलों के कार्यभारी प्राधिकारियों को जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों इत्यादि जैसे उन क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए, जहां से अतीत में पर्याप्त भर्ती नहीं की गई है, देश के सभी भागों से भर्ती सुनिश्चित करने के अनुदेश दिये हैं।

Decline in Export of Onions

2943. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether export of onions from India has gone down:

(b) if so, the reasons therefor and the extent to which the export of onions have gone down during the last three years;

(c) whether any survey has been conducted or proposed to be conducted by Government to find out the quality of onious required by the importing countries; and

(d) if so, the result of the survey?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A.C. George) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

(c) & (d). No such study has been conducted by the Government although the private trade have been exploring the possibilities of export to new markets. As regards such a study proposed to be conducted in future, the matter will be examined as and when a necessity for the same is felt.

झूमरी तलैया के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

2944. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के झुमरी तलैया में सुविधाओं सहित अन्तरराम उपचार का कोई सरकारी अस्पताल नहीं होने के कारण झूमरी तलैया स्थित डाक तथा तार कर्मचारियों को अपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है;

(ख) क्या कोयला खान संगठन ने बिहार राज्य के हजारीबाग जिले में करमा में एक मेडिकल अस्पताल का संचालन किया है जो झूमरी तलैया टेलीफोन एक्सचेंज डाकघर और कोदुरमा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल निकट है;

(ग) क्या करमा मेडिकल अस्पताल के अधिकारी झुमरी तलैया के डाक तथा तार कर्मचारियों और कोडमरा के रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधायें देने से इंकार करते हैं क्योंकि यह डाक तथा तार कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये मान्यता प्राप्त अस्पताल नहीं है; और

(घ) डाक तथा तार कर्मचारियों और झूमरी तलैया में स्थित उनके परिवार के सदस्यों और उत्तरी रेलवे स्टेशन में कार्य कर रहे रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये करमा मेडिकल कालेज को मान्यता दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) डाक-तार कर्मचारियों का उपचार करने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भुगतान करने पर उन रोगियों का भी उपचार किया जाता है जो इसके हकदार नहीं हैं।

(घ) डाक-तार कर्मचारियों और उनके परिवारों के उपचार के लिए करमा मेडिकल अस्पताल को मान्यता देने के प्रश्न पर श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के परामर्श से सक्रिय विचार किया जा रहा है। इस मामले में अन्तिम निर्णय यथाशीघ्र लिया जायगा।

बोकारो स्टील सिटी अस्पताल में डाक तथा तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देना

2945. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री 7 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8873 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल के महा डाकपाल ने चिकित्सा के लिए आवश्यक निधि की मंजूरी देकर बोकारो स्टील सिटी अस्पताल में डाक तथा तार कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए उपयुक्त डाक्टरी चिकित्सा सुविधा के प्रबन्ध करने हेतु डाक व तार बोर्ड से पहले ही सिफारिश की है;

(ख) क्या जब कभी भी डाक तथा तार विभाग के किसी अधिकारी ने बोकारो स्टील सिटी का दौरा किया तभी सेवा संघों ने इस मामले के बारे में अभ्यावेदन दिया है और अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला है; और

(ग) अस्पताल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए डाक्टरी चिकित्सा सुविधाओं और प्रतिपूर्ति की सुविधाओं का प्रबन्ध नहीं करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ग). बिहार के पोस्टमास्टर जनरल ने पहले ही ऐसे अनुदेश जारी कर दिए हैं कि डाक-तार कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सा के प्रयोजन के लिए बोकारो स्टील सिटी अस्पताल को मान्यता प्राप्त अस्पताल माना जाए और जिन मामलों में आवश्यक हो अस्पताल में दाखिल होकर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए निर्धारित जमानत की 200 रुपये की राशि का अदायगी के लिए उन्हें अग्रिम अदायगी की जाए। इस प्रकार अब बोकारो में डाक-तार कर्मचारियों को चिकित्सा की प्रतिपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

बरमो में डाक-तार कर्मचारियों का डाक्टरी इलाज

2946. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरमों में अंतरंग इलाज को सुविधा वाले सरकारी अस्पताल के उपलब्ध न होने के कारण बरमों में (बिहार राज्य में हजारीबाग जिला) रहने वाले डाक-तार कर्मचारियों को अपना और अपने परिवारों के सदस्यों का इलाज कराने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कोयला खान संगठनों द्वारा बरमों के निकट फुशरो अस्पताल के अधिकारी डाक-तार कर्मचारियों का और उनके परिवारों के सदस्यों का इलाज नहीं करते हैं क्योंकि वह अस्पताल डाक-तार कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के इलाज हेतु मान्यता प्राप्त अस्पताल नहीं है;

(ग) क्या डाक-तार कर्मचारी विभाग के ए० एम० ए० नियमों के अनुसार डाक्टरी इलाज कराने के पात्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार श्रम मंत्रालय के अधीन फुश अस्पताल में डाक-तार कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए इलाज की सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) डाक-तार कर्मचारियों का उपचार करने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भुगतान करने पर उन रोगियों का भी उपचार किया जाता है जो इसके हकदार नहीं हैं।

(ग) जी हां ।

(घ) डाक-तार कर्मचारियों और उनके परिवारों के उपचार के लिए फुशरो अस्पताल को मान्यता देने के प्रश्न पर श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के परामर्श से सक्रिय विचार किया जा रहा है । इस मामले में अन्तिम निर्णय यथा शीघ्र लिया जाएगा ।

New Post Office in Garhwal District (U. P.)

2947. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new Post Offices set up in the Garhwal District in Uttar Pradesh during the year 1970-71;

(b) the number of new Post Offices proposed to be set up there during the years 1971-72; and

(c) the number of Post Offices proposed to be provided with Telegraph facilities during the current year?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) 9.

(b) 10.

(c) 9.

Declaration of Garhwal District as Backward Area

2948. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Garhwal District of Uttar Pradesh is the most backward District;

(b) if so, whether Government propose to declare the said District as backward area ; and

(c) if not, be the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). U. P. Government have already identified Garhwal District as a backward area of Uttar Pradesh.

(c) Does not arise.

आकाशवाणी से वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारित करना

2949. **श्री एस० ए० मुरूगन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आकाशवाणी केन्द्रों की कितनी संख्या है जहां वाणिज्यिक विज्ञापन आरम्भ किए गये हैं; और

(ख) इन विज्ञापनों से प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्रों को कितनी आय हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 18.

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इनमें से प्रत्येक केन्द्र को हुई आय दी हुई है ।

विवरण

केन्द्र चालू होने की तारीख	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपये
बम्बई-पूना-नागपूर 1-11-1967	19,07,222	54,79,913	69,69,556	82,21,768
कलकत्ता 15-10-68	–	27,42,635	65,37,087	69,45,473
दिल्ली 1-4-69	–	–	51,79,319	54,76,289
मद्रास-तिरूचि 13-4-69	–	–	43,58,409	47,43,520
चण्डीगढ़-जलन्धर 4-10-70	–	–	–	13,91,952
बंगलौर-धारवाड़ 18-10-70	–	–	–	10,75,791
अहमदाबाद-राजकोट 29-11-70	–	–	–	8,74,916
कानपुर-लखनऊ-इलाहाबाद 27-12-70	–	–	–	7,71,829
हैदराबाद-विजयवाड़ा 21-3-71	–	–	–	71,150
कुल जोड़ :	19,07,222	82,22,548	2,30,44,371	2,95,72,688

नोट:—सभी आंकड़ों का अभी मिलान होना है ।

विदेश व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बारे में योजना मंत्री का वक्तव्य

2950. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने 16 मई, 1971 को कोयम्बतूर (तामिलनाडु) में कहा है कि सरकार के समाजवादी लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए देश में आयात तथा निर्यात व्यापार को चरणवार कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्र ही राष्टीयकरण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस विशिष्ट संदर्भ में चरणवार कार्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है; और

(ग) राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आयोजना मंत्री ने एक व्यक्तव्य दिया था जिसका व्यापक तौर पर यही आधार था।

(ख) इसका अभिप्राय यह है कि सरकार की योजना क्रमानुसार राष्ट्रीयकरण करने की है ।

(ग) राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य के लिये दृढ़ता से कार्य किया जायेगा । फिर भी यह बात समझी जा सकती है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकती ।

संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पद

2951. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों के 2 या 3 पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) उन पदों पर नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आयोग में सदस्यों की दो रिक्तियां हैं । इस महीने के अन्दर दोनों रिक्तियों की भरे जाने की सम्भावना हैं ।

(ख) पहली रिक्ति 9 जनवरी, 1970 तथा दूसरी 3 मार्च, 1971 को हुई ।

(ग) आयोग के सदस्यों के प्रवरण के लिए मुख्यतः अनिवार्य आवश्यकता होती है कि आयोग में अनुभव और प्रतिभा की समीचीन विविधता होनी चाहिए ताकि उन विभिन्न समस्याओं को शीघ्रता एवं यथोचित रूप से निपटाया जा सके, जिन्हें आयोग द्वारा निपटाये जाने की आशा होती है । सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव वाले ख्याति प्राप्त व्यक्ति ही प्रवरित होते हैं, जो आयोग के लिए उपयोगी होंगे । विभिन्न प्रस्तावों के परामर्श तथा जांच करने और उन व्यक्तियों, जो प्रवरित किये जाते हैं कि सहमति प्राप्त करने में भी समय लग जाता है। और वे प्रवरित व्यक्ति आयोग में कार्यभार ग्रहण करने में और अधिक समय ले लेते हैं। इन परिस्थितियों में ऐसी रिक्तियों को भरने में कुछ विलम्ब होना अपरिहार्य है ।

परमाणु संयत्रों के पर्यवेक्षण के लिए निगम

2952. **श्री पी० ए० स्वामिनाथन्** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयत्रों के कार्य-करण की व्यवस्था करने और निर्माण की देखभाल करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन एक निगम की स्थापना करने की कोई योजना सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। परमाणु बिजली घरों की व्यवस्था के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत दो यूनिट काम कर रहे हैं, एक का नाम है– विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग, जो बिजलीघरों के अभिकल्पन एवं सनिर्माण का कार्य करता है, तथा दूसरे का नाम है—परमाणु विद्युत प्राधिकरण, जो बिजली घरों के संचालन की व्यवस्था करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र कार्मिक संघ मान्यता विधेयक और आंध्र प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति देना

2953. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकारों ने क्रमशः महाराष्ट्र कार्मिक संघ मान्यता विधेयक और आंध्र प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के लिये भारत सरकार की स्वीकृति और राष्ट्रपति की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या उक्त विधेयकों से ऐसी व्यवस्था तथा सिद्धांत समाहित हैं जो श्रम मंत्री के साथ हाल में हुए केन्द्रीय कार्मिक संघों और मालिकों के संगठनों के सम्मेलनों में विवाद के विषय थे ; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में टुकड़ों-टुकड़ों में विधान बनाने की अनुमति न देने का निर्णय दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). महाराष्ट्र कार्मिक संघ एवं अनुचित श्रम प्रथा पर रोक लगाने की मान्यता का विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्राप्त हुआ है। इस पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध आयोग विधयेक के अनुमोदन का अनुरोध किया था। उनसे इस संबंध में केन्द्रीय विधान अधिनियमन करने तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया था। हाल के ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत के दौरान विवादास्पद विधेयकों का विशेषतः सन्दर्भ नहीं आया था।

वाराणसी में आकाशवाणी केन्द्र

2954. **श्री राजदेव सिंह** :
श्री सुधाकर पांडे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के आकाशवाणी केन्द्र को इलाहबाद के आकाशवाणी केन्द्र के स्तर के समान बनाने के लिए क्या कर्यवाही किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : चौथी योजना के दौरान वाराणसी के सहायक केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर पूर्णरूपेण केन्द्र का दर्जा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए स्टूडियो नगर में स्थापित किए जाएंगे।

वाराणसी क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ता की दशा

2955. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि टेलिफोन की लगातार खराबी के कारण वाराणसी क्षेत्र के टेलीफोन उपभोक्ताओं की स्थिति शोचनीय हो गयी है ;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान तार के स्थान पर किसी अन्य धातु से बने तार को लगाने का काम प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) वाराणसी से कुछ स्थानों को ट्रंककाल भेजने में विलम्ब होता है । वाराणसी ट्रंक एक्सचेंज का 36 स्थानों से संबंध स्थापित है । जो स्थान सहधुरीय प्रणालियों, विद्युत प्रणालियों और खुले तार मार्गों द्वारा अल्यूमीनियम/तांबे से झले तारों से जुड़े हुए हैं, उनका काम ठीक चल रहा है । वाराणसी को बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ से जोड़ने वाले मार्गों पर तांबे के तार की बार-बार चोरी होने के कारण कठिनाई अनुभव होती है ।

(ख) तथा (ग). ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां इसका असर होता है, मौजूदा तांबे के तार को अल्यूमीनियम के तारों से बदलने के लिए प्राक्कलनों की मंजूरी दी जा चुकी है । अल्यूमीनियम के 1,20,000 किलोमीटर लम्बाई के तार के लिए आर्डर दिए गए हैं । सप्लाई के प्राप्त होने पर उपर्युक्त मार्गों को अल्यूमीनियम के तार का आवंटन कर दिया जाएगा ।

बढ़िया कपड़े और धागे की कीमत का निर्धारण

2956. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़िया कपड़े और सूत की कीमत नियत करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) मूल्य निश्चित करने तथा कपड़े के विपणन के संबंध में वर्तमान पद्धति क्या है और इस संबंध में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) नियंत्रित कपड़े की कीमतें निर्धारित करने के लिए कार्यविधि, भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 खंड 1, दिनांक 15-5-69 में प्रकाशित वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 1(15)टैक्स-1/66-टैक्स (ए) दिनांक 15-5-69 में विहित की गई है । नियंत्रित कपड़े का विपणन सामान्य वाणिज्यिक माध्यमों द्वारा किया जाता है । नियंत्रित कपड़ों की कीमतों में, जो 2 मई, 1968 से निर्धारित की गयी थीं, वृद्धि करने का प्रश्न, औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो को भेजा गया है और उनके प्रतिवेदन की प्राप्ति पर ही इस विषय पर विचार किया जायगा ।

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

2957. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय का कोई निर्णय किया है कि यदि नये क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के बारे में जब भी कभी जनता से कोई प्रस्ताव आये तो उन डाकघरों को चलाने की लागत को पूरा करने के लिए नावापसी अंशदान मांगा जाये;

(ख) नावापसी अंशदान की राशि का निर्धारण और उसकी वसूली किन नियमों पर की जाती है; और

(ग) क्या इन निर्धारित नियमों का कोई अपवाद भी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर कुछ विभागीय मानदंडों की पूर्ति होने पर खोले जाते हैं जैसे कि प्रस्तावित डाकघर की निकटतम मौजूद डाकघर से दूरी, उसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की जनसंख्या और प्रस्तावित डाकघर से होने वाली न्यूनतम अनुमानित आय । इसके अतिरिक्त उन पर होने वाला घाटा कुछ निर्धारित सीमाओं के अन्दर होना चाहिए । इनमें दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों से डाकघर खोलने के लिए गैर-वापसी अंशदान की वसूली तभी की जाती है, जब प्रस्तावित डाकघर के सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक घाटे पर चलने की सम्भावना हो । नये डाकघर खोलने के लिए अपनाई गई नीति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) यदि किसी डाकघर का विभागीय मानदंडों के अनुसार औचित्य हो और केवल उसके विभाग द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक घाटे पर चलने की सम्भावना हो, तो गैर-वापसी अंशदान निर्धारित सीमा से अधिक घाटे की राशि के बराबर होगा । यदि इस तरह का डाकघर खोलने से मूल डाकघर को भी 500 रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक घाटा हो तो मूल डाकघर को इस 500 रुपये से अधिक होने वाले अतिरिक्त घाटे को भी गैर-वापसी अंशदान के रूप में वसूल कर लिया जाता है ।

जिन मामलों में विभागीय मानदंडों के अनुसार डाकघर खोलने का औचित्य न हो, वहां निर्धारित सीमा के भीतर घाटे का लाभ न देकर घाटे की पूरी राशि गैर-वापसी अंशदान के रूप में वसूल की जाती है । ऐसे मामलों में मूल डाकघर को भी जो घाटा होता है, उसके लिए निर्धारित 500 रुपये की छूट न देकर उसकी पूरी राशि भी गैर-वापसी अंशदान के तौर पर वसूल की जाती है ।

तथापि गैर-वापसी अंशदान की राशि डाकघर की वास्तविक लागत तक ही सीमित है और यदि डाकघर से कोई लाभ हो तो गैर-वापसी अंशदान की गणना करते समय इसे मूल डाकघर के घाटे से संतुलित कर लिया जाता है ।

(ग) इन निर्धारित नियमों में इसके अतिरिक्त कोई अपवाद नहीं है कि इस सम्बन्ध में सरकार का विवेक निर्णय अन्तिम होगा ।

विवरण

नये डाक घर खोलने के लिए सामान्य शर्तें

देहाती क्षेत्रों में—

I. **लाभकर या आत्मनिर्भर वर्ग के डाकघर**

ऐसे डाकघर जिनके लाभकर या आत्मनिर्भर होने की आशा हो अर्थात् जिनकी अनुमानित आय उन पर होने वाली अनुमानित लागत से अधिक या उसके समान होने की आशा हो, जनसंख्या या दूरी की किसी तरह की पाबन्दी के बिना खोले जा सकते हैं।

II. **वापस न किये जाने वाले अंशदान के आधार पर खोले जाने वाला डाकघर**

ऐसे डाकघर जिनके लिए उनमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी वापस न किये जाने वाले अंशदान की अदायगी के लिए तैयार हो, जनसंख्या या दूरी की किसी भी तरह की पाबन्दी के बिना खोले जा सकते हैं।

III. **2,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में डाकघर खोलने की शर्तें**

(i) घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी तीन मील से कम नहीं होनी चाहिए।

IV. **2,000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले परस्पर सम्बद्ध ग्राम समूह**

(i) इस प्रकार एक समूह में रखे जाने वाले गांव प्रस्तावित डाकघर से दो मील की दूरी के भीतर होने चाहिए।

(ii) घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी तीन मील से कम नहीं होनी चाहिए।

V. **2,000 से कम जनसंख्या वाले ग्राम या ग्राम-समूह**

(i) जहां जनसंख्या के छितरे होने के कारण और गांवों के अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण दो मील की दूरी के भीतर 2,000 की जनसंख्या का समूह बनने की संभावना न होने के कारण किसी क्षेत्र को पिछड़े हुए क्षेत्र की अनुसूची में शामिल न किया जा सका हो वहां सर्कल अध्यक्ष के विवेक पर डाकघर खोले जा सकते हैं।

(ii) घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी तीन मील से कम नही होनी चाहिए।

VI. प्रशासनिक यूनिटों जैसे कि तहसील, तालुका, थाना आदि के मुख्यालय गांव

घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

VII. ऐसे गांव जो सामुदायिक परियोजनाओं या राष्ट्रीय विकास सेवा खंडों के मुख्यालय हों अथवा जहां जिला बोर्डों या स्थानीय बोर्डों द्वारा स्कूल चलाये जा रहे हों या जहां राज्य सरकारों व्दारा मान्यता प्राप्त या सहायत्ता प्राप्त स्कूल स्थित्त हों

(i) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी दो मील से कम न हो ।

(ii) (क) यदि दो मील की दूरी के भीतर जनसंख्या 2,000 या इससे अधिक हो तो घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ख) यदि दो मील की दूरी के भीतर जनसंख्या 2,000 से कम हो तो घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

VIII. डाक सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्रों के तौर पर अनुसूचित क्षेत्र

(i) घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 1,000 रुपये जो कि सर्किल अध्यक्ष की शक्तियों के अधीन है और 2,500 रुपये जो कि महानिदेशक की शक्तियों के अधीन है, से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ii) इस सम्बन्ध में जनसंख्या की कोई पाबंदी लागू नहीं होती ।

(iii) डाकघर किस स्थान पर खोले जाएंगे इस बात का निर्णय स्थानीय प्राधिकारियों की सलाह से किया जाएगा ।

सामान्य शर्तें

(i) उपर्युक्त सभी आठ वर्गों में नये डाकघर इस शर्त पर खोले जा सकते हैं कि नया डाकघर खोले जाने के फलस्वरूप मूल डाकघर को एक सीमा से अधिक घाटा न हो । इस समय देहाती क्षेत्रों के मूल डाकघरों के लिए ऐसा घाटा 500 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ii) किसी भी डाकघर को खोलने से उससे अनुमानित आय इतनी होनी चाहिए कि उसे खोलने पर आने वाली लागत का 25 प्रतिशत पूरा हो सके ।

टिप्पणी : मूल डाकघर एक प्रधान, उप या शाखा डाकघर है । इसके द्वारा प्रस्तावित नया डाकघर खोले जाने वाले ग्राम या ग्राम-समूह का डाक संबंधी काम होता है । लेखा कार्यालय ऐसे प्रधान या उप डाकघर को कहते हैं जिसके लेखे में शाखा डाकघर का धन संबंधी लेन-देन दर्ज किया जाता है ।

(2) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी की शर्त जहां कहीं भी लागू होती हो, उसमें महा-निदेशक अपने विवेक पर ढील दे सकते हैं, यदि प्रस्तावित डाकघर और मौजूदा निकटतम डाकघर के बीच कोई प्राकृतिक रुकावट पड़ती हो जैसे कि बिना पुल की नदी या पहाड़ी या जंगल ।

शहरी क्षेत्रों में—

शहरी क्षेत्रों में डाकघर तभी खोले जाने चाहिए जब वे आत्मनिर्भर या लाभकर हों और विभागीय उप डाकघर खोलने के मामले में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनमें प्रति दिन 5 घंटे से कम काम न हो।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार करने में त्रुटियां

2958. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार करने में हुई त्रुटियां सरकार के ध्यान में लाई गई हैं; और

(ख) त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को, खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार करने में किसी विशिष्ट 'त्रुटि' के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मार्गीकृत आयातों के प्रवर्तन के संबंध में समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। इनमें से कुछ निम्नोक्त हैं:—

(1) कि नई मार्गीकृत मदों के आयात के लिए मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिए, जिससे कि राज्य अभिकरण सर्वोत्तम उपलब्ध स्रोतों से माल का आयात कर सकें;

(2) कि मार्गीकृत करने के बाद कम से कम छः महीनों के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं को नई मार्गीकृत मदों के आयात की अनुमति दी जाए; और

(3) कि गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा आयात बन्द करने से पूर्व समीकरण भंडार बनाये जाने चाहिए ।

(ख) सुझाव यथा आवश्यक तथा यथा साध्य समझी जाने वाली कार्यवाही के लिए नोट कर लिए गये हैं।

हथकरघों का बिना बिका माल

2959. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हथकरघों का कितना माल बिना बिके पड़ा हुआ है और उसकी कीमत क्या है और इसमें से कितना माल एक वर्ष से अधिक समय से पड़ा हुआ है; और

(ख) माल के इस प्रकार इकट्ठा होने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). चूंकि ऐसी किसी विशिष्ट संस्था का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके पास हस्तशिल्प के बिना बिके माल का स्टाक है । अत: इस प्रश्न का अभिप्राय देश-भर के बिना बिके स्टाक से हो जाता है। इन आंकड़ों को एकत्र करना संभव नहीं है और यदि इन आंकड़ों को एकत्र करने का प्रयत्न भी किया जाए तो इसमें लगने वाला प्रयत्न तथा श्रम, इस जानकारी के एकत्र किये जाने से प्राप्त लाभ के अनुरूप न होगा । हस्तशिल्प की वस्तुओं का बिना बिका स्टाक उत्पादन तथा विपणन के सभी स्तरों पर अर्थात कुल देश में फैले शिल्पियों के पास, व्यापार में बिचौलियों के पास तथा निर्यातकों के पास हो सकते हैं।

Incidents of Telephone Wire Cutting in Morena District (Madhya Pradesh)

2960. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of incidents of cutting of telephone wires that took place in Morena District of Madhya Pradesh during the last three years;

(b) the total estimated loss suffered by Government thereby;

(c) the number of culprits arrested: and

(d) the action taken against them?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) 152.

(b) Copper wire worth Rs. 1.62 lakhs has been lost.

(c) 12 culprits have been arrested in connection with 3 cases.

(d) In one case culprits have been acquitted. Two cases are pending in Court.

केरल में विकास कार्य के बारे में गठित की गई चन्द्रभानु समिति का प्रतिवेदन

2961. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में किए जाने वाले विकास के बारे में गठित की गई चन्द्रभानु समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है किन्तु केरल सरकार का कथन है कि उन्हें 26 अप्रेल, 1971 को कासारगोड़ क्षेत्र के विकास के बारे में चन्द्रभानु समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) केरल सरकार के अनुसार समिति की मुख्य सिफारिशें, केरल के कासारगोड़ क्षेत्र में संचार, सिंचाई, बिजली, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम, आवास, पर्यटन इत्यादि, विकास कार्यक्रमों को अपने में समाविष्ट करती हैं। राज्य सरकार द्वारा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए अभी समिति की रिपोर्ट की परीक्षा की जानी है कि जिन विभिन्न कार्यक्रमों की समिति द्वारा सिफारिश की गई है उनके कुल वित्तीय परिणाम क्या होंगे ? और ये कार्यक्रम किस हद तक, यदि कोई हो तो, केरल की चौथी पंचवर्षीय योजना में पहले से ही शामिल किए जा चुके हैं तथा इनमें से किन कार्यक्रमों को केरल की बाद में बनने वाली योजनाओं में शामिल किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Number of Central Government Employees

2962. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Prime Minister** be pleased to state

(a) the total number of employees working under the Central Government at present ; and

(b) the number of Gazetted as well as non-Gazetted employees among them, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Upto-date figures of the total number of Central Government employees are not available. However, as on 31st March, 1969, the total number of Central Government employees was 28.074 lakhs (26.018 lakhs regular and 1.986 lakhs non-regular).

(b) Of the regulare Central Government employees mentioned at (a) above, 49,821 were Gazetted and the remaining 25,58,962 were non-Gazetted.

State Governments using Hindi for Correspondence with Central Government

2963. **Shri B. R. Shukla** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of the States which use Hindi in Devnagari script in their correspondence with the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : The States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra and Union territory of Delhi Administration have adopted Hindi for communication with the Central Government.

गुजरांलिया शंकर मिश्र गांव (गोरखपुर) में ब्रांच डाकखाने का निर्माण

2965. **प्रो० एस० एल० सक्सेना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि गुजरांलिया शंकर मिश्र ग्राम के ब्रांच डाकखाना जो इस समय गोरखपुर जिले के नायकोट डाकखाने के अधीन है और जिसके बारे में नवम्बर, 1970 में गोरखपुर डाकखाना अधीक्षक तथा उत्तर प्रदेश के महा डाकपाल को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, के निर्माण के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : गुजरांलिया शंकर मिश्र ग्राम में डाकघर खोलने के संबंध में गोरखपुर के डाकघर अधीक्षक और उत्तर प्रदेश के पोस्टमास्टर जनरल को जो प्रार्थनापत्र नवम्बर, 1970 में दिया गया बताया जाता है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ है। अब लखनऊ के पोस्टमास्टर–जनरल ने इस प्रस्ताव को जांच के लिए हाथ में ले लिया है। गुजरांलिया शंकर मिश्र ग्राम में डाकघर खोला जाना इसके विभागीय मानखंडों पर पूरे उतरने पर निर्भर करेगा।

भारती माल का रूस को पुनः निर्यात

2966. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रूस ने भारत से कितनी बार ऐसी निर्मित वस्तुओं का आयात किया जिनकी उस देश में खपत नहीं होती और उसने फिर से उन्हें स्वतंत्र बाजारों में निर्यात कर दिया, जिससे हमारे देश को मूल्यवान विदेश मुद्रा से बंधित रहना पड़ा ;

(ख) इस प्रकार की तृतीय देश बिक्रियों के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ; और

(ग) इन मामलों में रूस के माध्यम से निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) रूस द्वारा भारतीय माल का अन्य देशों को पुर्ननिर्यात करने के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय

2967. **राजमाता कृष्णाकुमारी** (जोधपुर) : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाव और पश्चिम बंगाल की तुलना में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है ; और

(ख) राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय को उपरोक्त राज्यों की समरूप स्थिति में लाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल की तुलना में राजस्थान की वर्तमान मूल्यों के आधार पर 1967–68 की प्रति व्यक्ति आय निम्न प्रकार है। 1967–68 ही अन्तिम वर्ष है जिसके सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध है:—

वर्तमान मूल्यों के आधार पर 1967–68 की प्रति व्यक्ति आय रुपयों में

	(रुपये)
राजस्थान	492
गुजरात	529
हरियाणा	699
महाराष्ट्र	676
पंजाब	828
पश्चिम बंगाल	533

(ख) भारत में राष्ट्रीय आयोजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ऐसा है जिसे ध्यान में रखकर समग्र रूप से देश की न केवल प्रति व्यक्ति आय ही बढ़ायी जानी है अपितु यह बात भी सुनिश्चित् की जानी है कि लाभों का समान वितरण हो । निजी क्षेत्र के निवेश तथा चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसे राजस्थान सहित समग्र देश के लाभ के लिए बनाया गया है, के केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित क्षेत्रो के निवेश के अतिरिक्त राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए जो 302 करोड रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया है वह राज्य की अर्थ–व्यवस्था के प्रत्यक्ष सुधार के लिए है । इसके अतिरिक्त राजस्थान के लिए ग्राम निर्माण कार्यक्रम (10 जिलों में), लघु कृषक विकास अभिकरण (3 जिलों में), सीमान्त किसानों एवं खेतीहर मजदूरों से संबंधित परियोजनाओं (2 जिलों में), बारानी खेती की परियोजनाओं (3 जिलो में) तथा सम्पूर्ण देश के लिए ग्राम रोजगार से संबंधित तूफानी (क्रैश) स्कीम, जिसे भारत सरकार ने चला रखा है, के अन्तर्गत भी उदारता-पूर्वक आवंटन किया गया है । साथ ही, इस राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 16 जिलों को नए उद्योगों की स्थापना हेतु वित्त–व्यवस्था के लिए चुना गया है । इस प्रकार की वित्त–व्यवस्था रियायती व्याजदरों पर सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती है । इस राज्य के ऐसे ही दो जिले राज सहायता (सबसिडी) के लिए चुने जा रहे हैं इस प्रकार की राज सहायता (सबसिडी) ऐसी नई औद्योगिक इकाइयों के कुल पूंजीगत निवेश के 10 प्रतिशत के बराबर दी जाती है, जिनकी स्थिर–पूंजी 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होती ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मांगे गये एल्युमीनियम के अत्यधिक मूल्य के बारे में अभ्यावेदन

2968. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कचण्डवर्ज मेन्यूफैक्चरर्ज एसोसियेशन का एक शिष्टमण्डल हाल ही में उनसे मिला था और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा एल्युमिनियम के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि की मांग के विरुद्ध उन्हें अपना अभ्यावेदन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय बिजली-माल विनिर्माता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल, खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्धारित एल्युमिनियम के आबंटन मूल्य जो कि उनकी राय में अधिक था, के विरोध में अभिवेदन करने के लिए हाल ही में विदेश व्यापार मंत्री से मिला।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम से परामर्श करके इस शिकायत पर विचार किया जा रहा है।

Communal Riots in Moradabad (U. P.)

2969. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether communal disturbances broke out in Moradabad (Uttar Pradesh) during the recent mid-term polls to Lok Sabha; and

(b) if so, the number of persons killed and property damaged as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information received from the State Government, nine persons were killed. Information regarding the extent of damage to property is awaited.

गुजरात राज्य के सचिवालय में कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी

2970. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान गुजरात सरकार का विचार गुजरात राज्य के सचिवालय से सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें किन्हीं वैकल्पिक पदों पर लगाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गुजरात में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार के सचिवालय से कर्मचारियों की सामान्य छंटनी करने का कोई विचार नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

चाय (इन्स्टांट टी) का निर्यात

2971. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "इन्स्टांट टी" मार्का तथा श्रेणी वाली चाय का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) देश में 'इंसटेन्ट चाय' का उत्पादन फिलहाल दो फैक्टरियों में किया जा रहा है। उनके उत्पादन का निर्यात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन तथा कुछ कम परिणाम में स्विटजरलैंड तथा पश्चिम जर्मनी को किया जा रहा है। वर्ष 1970 में देश ने 'इंसटेन्ट चाय' के निर्यात से 1.05 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित किए।

राजस्थान के कोटा तथा झालावाड़ जिलों के बीच टेलीफोन संबंध स्थापित करना

2972. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिलों के मुख्य शहरों और तहसील मुख्यालयों के बीच टेलीफोन संबंध स्थापित करने का सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिलों के मुख्य शहरों और तहसील मुख्यालयों के बीच टेलीफोन संबंध पहले से ही स्थापित हैं।

(ख) मुख्य शहरों और तहसील मुख्यालयों का जिन स्थानों से टेलीफोन संबंध स्थापित है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कोटा जिला

शहर का नाम	**जिस स्थान से टेलीफोन संबंध स्थापित है**
इन्द्रगढ़	सुमेरगंज मंडी
कोटा	जयपुर, दिल्ली, आगरा, अजमेर और रतलाम
बारां	कोटा
छाबड़ा	बारां
रामगंज	कोटा

तहसील मुख्यालय का नाम	**जिस स्थान से टेलीफोन संबंध स्थापित है**
पीपलदा	सुमेरगंज मंडी
मंगरोल	बारां
दिगोड	कोटा
किशनगंज	बारां
शाहाबाद	बारां
संगोद	कोटा
अतरू	बारां
चिपबरोद	छाबड़ा

झालावाड़ जिला

शहर का नाम	जिस स्थान से टेलीफोन संबंध स्थापित है
झालावाड़	कोटा
झालारपटम	झालावाड़
भवानी मंडी	कोटा
सुनेल	भवानी मंडी

तहसील मुख्यालय का नाम	जिस स्थान से टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित है
खानपुर	झालावाड़
पचपहाड़	भवानी मंडी
पिरवा	झालावाड़
गंधार	चौमहाला

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया भवन परियोजना से सम्बन्धित धनराशि का कथित दुरुपयोग

2973. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री शशि भूषण :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या सरकार ने प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के जनरल मैनेजर तथा इसकी भवन परियोजना जिसके निर्माण के लिए सरकार ने 55 लाख रुपये का ऋण दिया था, के ठेकेदारों और स्थायितयों के विरुद्ध धनराशि के दुरूपयोग की शिकायतों की जांच करने का निर्णय कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षक अधिकारियों द्वारा शिकायतों की जांच की जा रही है ।

केरल के नगरों में स्वचालित डायल प्रणाली का लागू किया जाना

2975. **श्रीमती भार्गवीन्त_कप्पन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य के नगरों में स्वचालित डायल प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने नगरों में और इस प्रणाली के कब तक लागू होने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) कुल 9 शहरों में से 6 में यह प्रणाली पहले ही चालू है । शेष तीन शहरों अर्थात् कन्नानोर, त्रिचुर और पालघाट में एक्सचेन्जें 1975 तक चालू कर दी जाएंगी ।

Issue of Import and Export Licences

2976. **Shri S. N. Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) the names of concerns which were issued import and export licences during the years 1969-70 and 1970-71 and whether a list thereof will be laid on the Table ; and

(b) the number of such concerns which have been issued more than one import/export licence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George): (a) and (b). Particulars of all the import and export licences, including, *inter alia*, names of the concerns to whom licences are issued, are being published regularly in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", copies of which are available in the Parliament Library.

Appointment of Hindi Advisor to Government

2977. **Shri Yamuna Prasad Mandal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the rules governing the appointment of Hindi Advisor and what are his functions and duties ;

(b) whether the tenure of his service is being extended in spite of the fact that his performance has not been satisfactory; and

(c) the circumstances under which his term is being extended and the steps being taken by Government to speed up the implementation of the Official Language Act?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) A temporary post of the Hindi Advisor to the Government of India was initially created for a period of three years and Shri Ramdhari Sinha Dinkar, former member of Rajya Sabha and Vice-Chancellor of Bhagalpur University was appointed to this post with effect from the 14th June, 1965. He was allowed a fixed salary of Rs. 2,000 p.m. besides free furnished accommodation. He was exempted from the operation of the Central Civil Services (Conduct Rules, 1964). The post was extended for a further period of three years *i. e.* upto 13th June, 1971 and Shri Dinkar continued to hold the post.

Hindi Advisor had been ;

(i) whole time Vice-Chairman of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Home Affairs.

(ii) member-secretary of the Kendriya Hindi Samiti set up under the Chairmanship of the Prime Minister.

(iii) Chairman of the Co-ordination Committee of Joint Secretaries dealing with Hindi.

(iv) member of the Hindi Salahkar Samities of the Ministries of Education, Law, and Information and Broadcasting.

The functions of the Hindi Advisor were mainly advisory. He had from time to time made a number of useful suggestions for progressively increasing the use of Hindi for official purpose and given advice in formulating the courses of study under the Hindi Teaching Scheme.

(b) The tenure of the post of the Hindi Advisor has not been extended beyond 13th June, 1971. Shri Dinkar's performance was, however, considered satisfactory.

(c) Steps taken by Government to ensure compliance of the provisions of the Official Languages Act are given in Chapter II (Assessment and Remedial Measures) of the Annual Assessment Report for 1969-70 copies of which have been laid before Lok Sabha/Rajya Sabha on 17th/18th June, 1971.

Visit by Pakistani Nationals to India on valid Passports

2978. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals who came to India on valid passports and stayed in Gujarat during the period from 1st January, 1968 to date;

(b) the number of Pakistani nationals who went back to Pakistan during the aforesaid period before the expiry of the period of their visas;

(c) the number of persons among them who were forced to leave for Pakistan duriug the aforesaid period before the expiry of the period of their visas;

(c) the number of persons among them who were forced to leave for Pakistan during the aforesaid period on account of their having gone underground; and

(d) the number of persons among them for whom look-out notices have been issued and the approximate number of those who are at present underground?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) 8,573 from 1st January, 1968 to 30th April, 1971.

(b) 8,060.

(c) None.

(d) None.

Amount of Government Assistance to News Agencies

2979. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the amount of assistance received by the News Agencies like the Press Trust of India, Samachar Bharati and Hindustan Samachar from Government during the financial years 1969-70 and 1970-71, separately; and

(b) the amount of assistance applied for by each of them for this period?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) and (b). The information is being collected ana will be laid on the Table of the House at a later date.

Punishment Awarded to Pak Nationals

2980. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question Nc. 3973 on the 9th December, 1970 and state :

(a) the number of persons awarded punishment out of 11719 and 526 Pakistanis against whom suits had been filed;

(b) the number of cases which have not been decided so far; and

(c) the number of persons found guilty and the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs. (Shri Mohsin): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने के आधार में परिवर्तन करने की श्रीलंका सरकार की कथित एक पक्षीय कार्यवाही

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरूचिरापल्ली) : श्रीमन, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने के आधार में परिवर्तन करने की श्रीलंका सरकार की कथित एक पक्षीय कार्यवाही, जिससे भारतीय मूलक व्यक्तियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भारत सरकार ने अखबारों में ये खबरें देखी हैं कि श्रीलंका के हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव ने 1967 के भारत-श्रीलंका करार (क्रियान्वयन) अधिनियम में एक संशोधन स्वीकार किया है जिसमें श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने की गति को भारत प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की संख्या से जोड़ दिया है न कि सिर्फ उनके श्रीलंका में भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से। 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अनुसार श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने और देश-प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को 15 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है और, जहां तक संभव होगा, ये दोनों कार्य नागरिकता प्रदान किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और देश-प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की संख्या के सापेक्ष अनुपात में होंगे। 1967 के भारत-श्रीलंका करार (क्रियान्वयन) अधिनियम में श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से जोड़ा गया, न कि उनके वास्तविक देश-प्रत्यावर्तन की संख्या से।

वर्तमान संशोधन को प्रस्तुत करते हुए श्रीलंका की प्रधान मंत्री ने कहा है कि श्रीलंका 1964 के भारत-श्रीलंका करार को "भाव और भाषा, दोनों में" क्रियान्वित करना चाहती है। यह संशोधन श्रीलंका के 1967 के आंतरिक विधान के लिए है, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के लिए नहीं। दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि 1964 के भारत-श्रीलंका करार को उसकी भाव और भाषा के अनुरूप पूरी तरह क्रियान्वित किया जाएगा।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : क्या सरकार को इस बात का पता है कि स्वयं श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने भारत-श्रीलंका करार (क्रियान्वयन) अधिनियम 1967 में एक गंभीर संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके अधीन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को दो से पांच वर्ष तक की कड़ी सजा दी जायगी। मैं इस संशोधन से होने वाले परिणामों के बारे में जानना चाहता हूं। यह भारतमूलक व्यक्तियों के साथ सरासर ज्यादती है जो कई पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और जिन्होंने अपना खून पसीना देकर श्रीलंका के विकास में सहयोग दिया है। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर 1964 का शास्त्री-श्रीमावो समझौता किया गया था और किस प्रकार 1966 में 1964 के समझौते को क्रियान्वित करने में दोनों सरकारों के अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। किन्तु अब श्रीलंका सरकार एक-पक्षीय कार्यवाही करके अधिनियम में संशोधन ला रही है।

यह समस्या बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या से कम नहीं हैं। श्रीलंका की सरकार इन व्यक्तियों को वहां से हटाकर भारत भेजना चाहती है किन्तु 1 लाख व्यक्ति यहां क्या करेंगे? क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964 से लेकर, जबकि 5,25,000 राज्यविहीन लोगों के प्रत्यावर्तन की बात को माना गया था, अब तक क्या कार्यवाही की गई है? सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है हालांकि सरकार ने उस समय वचन दिया था कि इसे केन्द्र सरकार का विषय समझा जाएगा किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया। विदेश मंत्री अथवा प्रधान मंत्री इस बात का उत्तर दें कि सरकार श्रीलंका की सरकार के साथ इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है। हम चाहते हैं कि पड़ौसी देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हों, किन्तु ऐसे रवैये मित्रता को निभा नहीं सकते।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह बड़ी कठिन तथा पेंचीदा समस्या है किन्तु उन्होंने अनावश्यक ही इसे अत्यधिक निराशापूर्ण स्थिति का रूप दे दिया है। श्रीलंका के हाऊस आफ रिप्रेजेन्टेटिव ने एक संशोधन स्वीकार किया है किन्तु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि श्रीलंका सरकार ने अपनी वचन-बद्धता से हटने का प्रयत्न किया है। यह संशोधन तो उन्होंने केवल अपने आन्तरिक कानून को 1964 के समझौते के अनुसार बनाने के लिए स्वीकृत किया है। 1967 के भारत-श्रीलंका करार (क्रियान्वयन) अधिनियम में श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से जोड़ा गया है न कि उनके स्वदेश प्रत्यावर्तन की संख्या से।

श्रीलंका से वापस आने वाले लोगों के आने में जो कठिनाइयां हैं उसके बारे में हमने तमिलनाडु सरकार से परामर्श करके विस्तृत प्रबन्ध कर लिए हैं और उनके पुनर्वास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग वापस आएंगे उनकी ठीक तरह से देखभाल होनी चाहिए तथा उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए।

श्री सेझियान कुम्बकोणम : मैं सरकार की इस बात से सहमत हूं कि हमें श्रीलंका के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस समस्या का हल भी मित्रतापूर्ण तथा मानवीय आधार पर होना चाहिए किन्तु मुझे खेद है कि 1964 का शास्त्री-श्रीमावो करार पंडित जवाहरलाल नेहरु की विचारधारा से भिन्न था। उन्होंने तथाकथित नागरिकता विहीन व्यक्तियों के सिद्धान्त को कभी स्वीकार नहीं किया और वे मानते थे कि श्रीलंका में रहने वाले व्यक्तियों की समस्या श्रीलंका की है। 1964 के करार में यह व्यवस्था थी कि 15 वर्षों में 5.25 लाख व्यक्ति भारत में प्रत्यावर्तित किए जाएंगे और 3 लाख व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जाएगी किन्तु भारत आने वाले प्रत्यावर्तियों को सुविधाएं नहीं दी जाती। 1964 के करार में यह बात स्वीकार की गई थी कि प्रत्यावर्ती अपने साथ प्रति व्यक्ति कम से कम चार हजार रुपये और प्रति परिवार अधिकतम 75,000 रुपये जो कि विदेशी मुद्रा में होगा, ला सकता है किन्तु श्रीलंका की सरकार यह राशि सरलता से नहीं दे रही है।

अतः इस अधिनियम के संशोधन को स्वीकार करने से पहले भारत सरकार को यह देख लेना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को जो भारत वापस आना चाहते हैं, पूरी सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही बागान में काम करने वाले व्यक्तियों के मन में यह आशंका है कि उन्हें भी नौकरी से हटाकर भारत में प्रत्यावर्तन के लिए मजबूर किया जाएगा। यदि उन्हें अचानक ही प्रत्यावर्तन के लिए कहा जाता है तो उन पर बहुत मुसीबत आ जाएगी। इस पहलू को मानवीय आधार पर सुलझाया जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं माननीय सदस्य को इस बारे में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक अधिनियम में संशोधन का प्रश्न है, उससे करार की भावना में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ेगा। दोनों देश अपनी वचनबद्धता पर कायम हैं। कठिनाइयां अवश्य हैं किन्तु अब उन पर काबू पाया जा रहा है तथा करार के कार्यान्वियन की गति को तेज कर दिया गया है। जहां तक आवश्यक सुविधाओं का प्रश्न है हम यह सुविधाएं पूरी तरह से दे रहे हैं। श्रीलंका की वर्तमान सरकार भी योजना के कार्यान्वियन के प्रति सचेत है और जहां तक प्रत्यावर्तियों द्वारा अपने साथ धन लाने का प्रश्न है, उस पर भी श्रीलंका की सरकार पूरा सहयोग दे रही है और दोनों सरकारों में समझने की भावना पूरी है।

विदेश मंत्री की कुछ देशों की यात्रा के बारे म
RE : VISIT OF MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS TO CERTAIN COUNTRIES

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय हाल ही में विदेश यात्रा करके लौटे हैं। इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले शस्त्रास्त्रों की सप्लाई पर चर्चा की जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए ताकि सदन उस पर चर्चा कर सके । यदि आप नियम संख्या 377 के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देंगे तो मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में हम स्पष्टीकरण नहीं मांग सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसके सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण सूचना दी जाए तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यदि सदन चाहता है कि मैं वक्तव्य दूं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले शस्त्रास्त्रों के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना की अनुमति मैं दे चुका हूं । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जितने चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं, दूसरे, विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में भी चर्चा होनी है । विदेशी मामलों से सम्बद्ध प्रश्न उस समय भी उठाए जा सकते हैं किन्तु फिर भी मैं कुछ संक्षिप्त संगत प्रश्न उठाने की अनुमति देता हूं यद्यपि यह बात प्रक्रिया से हटकर है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : प्रत्येक दल से एक सदस्य को प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाए

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा क्यों न की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम अनुसार नहीं है । विदेशी मामलों पर चर्चा करने का समय हम पहले ही नियत कर चुके हैं ।

शिलांग के यू० कायरवोह का रीलुम के सम्पादक के विरुध्द विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE EDITOR OF U KYRWOH KA RILUM, SHILLONG

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : अध्यक्ष महोदय, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 222 के अन्तर्गत 'यू० कायरवोह का रिलुम' के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध 12 जून 1971 के उसके अंक में प्रकाशित एक समाचार के सम्बन्ध में जिसमें उपाध्यक्ष पर आक्षेप किया गया है, मैंने एक विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की सूचना दी थी । प्रकाशित समाचार इस प्रकार था कि श्री जी० जी० स्वैल को 750 रुपये प्रतिमाह वेतन पर बंगला देश के शरणार्थियों सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । जब मैंने श्री जी० जी० स्वैल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने समाचार का पूर्ण रूप से खंडन किया । प्रकाशित समाचार उपाध्यक्ष के पद तथा सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है अतः मेरा अनुरोध है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) ; Sir, I wish in the first instance, the Editor of the news paper might be addressed to know the views of the Editor, Printer and Publisher in the matter.

श्री सेझियान : यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा भी जाए तो वह इस पर स्वेच्छापूर्वक निर्णय नहीं ले सकेगी ।

समिति भी पहले सम्बद्ध व्यक्तियों से पूछताछ करेगी । ऐसी अफवाहों को रोका जाना चाहिए अन्यथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी जाँच की है। यह पत्र खासी भाषा में है और सिवाय उपाध्यक्ष महोदय के कोई भी सदस्य इस भाषा को नहीं जानता ।

सदन के किसी अन्य सदस्य की अपेक्षा उपाध्यक्ष के पद की विशिष्ट महत्ता है और मैं भी चाहता हूं कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए किन्तु फिर भी हमें प्रकिया अनुसार काम करना चाहिए । अत: यह आवश्यक है कि पहले समाचार पत्र के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक से पूछा जाए कि उन्हें इस मामले में क्या कहना हैं । उसके जवाब के बाद इस मामले में श्री सेझियान तथा उपाध्यक्ष महोदय के विचारानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

माननीय सदस्य : जी, हाँ । ठीक है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मैसूर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) "मैसूर राज्य के सम्बन्ध में; राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च 1971 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति:—

(एक) मैसूर लोक सेवा आयोग (परामर्श) (पहला संशोधन) विनियम, 1970 जो मैसूर राजपत्र, दिनाँक 10 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 412 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 494/71]**

(दो) मैसूर लोक सेवा आयोग (परामर्श) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1970 जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 427 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 495/71]**

(2) उपयुक्त अधिसूचनाओं को संसद के समक्ष रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक कृषि व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 496/71]

मैसूर तालुक बोर्ड (अधिकारियों का मार्गदर्शन प्रतियां प्रदान करना तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) नियम 1971

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं निम्नपत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्‌घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर ग्राम पंचायत और स्थानीय बोर्ड अधिनियम, 1959 की धारा 2469 के अन्तर्गत मैसूर तालुक बोर्ड (अधिकारियों का मार्गदर्शन प्रतियां प्रदान करना तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) नियम, 1971 की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 6 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या डी० पी० सी०/5/आर० पी० ए०/68 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 497/71]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी सँस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०** टी० 498/71]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969—70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969—70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०** 499/71]

(2) चाय बोर्ड के वर्ष 1969—70 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 500/71]

अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मैं अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2449 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जून, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में जनता को विद्युत ऊर्जा सप्लाई करने अथवा इस प्रकार की सप्लाई के प्रयोजनार्थ विद्युत उर्जा के उत्पादन, संग्रहण अथवा पारेषण से सम्बद्ध सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं.। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 502/71**]

वाराणसी में हुई रेल दुर्घटना के बारे में

RE. RAILWAY ACCIDENT AT VARANASI

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : मैं उत्तर रेलवे के वाराणसी स्टेशन पर गाड़ी संख्या 48 डाउन बम्बई–वाराणसी एक्सप्रैस तथा एक शंटिंग इंजन के बीच २२ जून 1971 को हुई परिबेक टक्कर के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 501/71**]

वाराणसी में हुई दुर्घटना के बारे मे वक्तव्य

STATEMENT *RE.* RAILWAY ACCIDENT AT VARANASI

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : २२–6–71 को लगभग 16.42 बजे जब गाड़ी नं० 48 डाउन बम्बई–वाराणसी एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के वाराणसी स्टेशन की लाइन नं० 4 में प्रवेश कर रही थी तो इसकी एक शंटिंग इंजिन से बगली टक्कर हो गयी। इस इंजन को गाड़ी नं० 10 डाउन देहरादून एक्सप्रेस को शंटिंग करनी थी, जो इस स्टेशन पर पहले से खड़ी थी।

बगली टक्कर के परिणामस्वरूप दो डिब्बे, अर्थात् 48 डाउन बम्बई–वाराणसी एक्सप्रेस के इंजन से तीसरे नम्बर पर लगा मद्रास से वाराणसी जाने वाला पहले और तीसरे दर्जे का मिला-जुला थ्रू डिब्बा और चौथे नम्बर पर लगा तीसरे दर्जे का एक डिब्बा क्षतिग्रस्त हो गया। सबसे बाद की उपलब्ध सूचना के अनुसार इस दुर्घटना में तीन व्यक्ति मारे गये और 15 घायल हुए, जिनमें से 13 को गंभीर चोटें पहुंची हैं।

दुर्घटना के तुरंत बाद पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी स्थित चिकित्सा यान को घायलों की चिकित्सा के लिए दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया। दुर्घटना-स्थल पर मरहम पट्टी करने के बाद घायल व्यक्तियों को वाराणसी के पूर्वोत्तर रेलवे मंडलीय अस्पताल ले जाया गया।

रेलवे बोर्ड के यांत्रिक सदस्य और उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक, मुख्य परिचालन अधीक्षक के साथ दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हो गये हैं। दानापुर के मण्डल अधीक्षक जो उस समय वाराणसी से 17 किलोमीटर दूर मुगलसराय में थे, और वाराणसी में तैनात वाराणसी मण्डल के रेल अधिकारी राहत और बचाव कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए तुरन्त घटना-स्थल के लिए रवाना हो गये।

उत्तरी क्षेत्र के रेल संरक्षा के अपर आयुक्त 24-6-71 को इस दुर्घटना की जांच करेंगे।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुसार मुझे राज्य सभा से प्राप्त यह संदेश देना है कि लोकसभा द्वारा 16 जून 1971 को पास किये गये संसद अधिकारियों के सबंलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक 1971 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अनुदानों की मांगें–गृह मंत्रालय, 1971-72

DEMANDS FOR GRANTS—MINISTRY OF HOME AFFAIRS 1971-72

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में चर्चा होगी। श्री शंकरराव सांवत अपना भाषण जारी रखें।

श्री शंकरराव सावंत (कोलाबा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी लोक तांत्रिक व्यवस्था में 1970-71 का वर्ष संकटपूर्ण वर्ष रहा है। 1947 में हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी और इसके तीन ही वर्ष पश्चात् अत: 1950 में हमने अपने संविधान के आमुख में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोक तन्त्रात्मक गणराज्य घोषित कर दिया था। सम्पूर्ण विश्व को संदेह था कि हम वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं अथवा नहीं परन्तु भारत में जिस शांतिपूर्ण तथा लोकतंत्रात्मक ढंग से चार आम चुनाव हुये उन्हें देखकर दुनिया चकित रह गई। 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस की स्थिति को गहरा धक्का लगा परन्तु फिर भी यह सब से बड़े दल के रूप में बनी रही तथा सरकार इसी की बनी। 1969 में कांग्रेस का विभाजन होने पर ऐसा लगा कि अब भारत में लोकतन्त्र का भविष्य अंधकारमय हो जायगा। परन्तु सन 1970 में जब मध्यावधि चुनावों की घोषणा की गई तो व्यावसायिक ज्योतिषियों के साथ-साथ व्यावसायिक राजनीतिज्ञों ने भी भारत में लोकतन्त्र के अन्धकारमय भविष्य की भविष्यवाणी की थी। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के सुयोग्य नेतृत्व में स्थिति पूर्णतया बदल गई और कांग्रेस ने न केवल लोक सभा में अपितु नौ अर्ध राज्यों में अपनी सरकारें स्थापित कर लीं। निर्वाचन के परिणामों से उल्लास तथा हर्ष की जो लहर प्रवाहित हुई उससे अनेक संयुक्त सरकारें ढह गईं। इस प्रकार अधिकांश राज्यों में जो राजनीतिक उलट-पुलट हुई है वह इतनी विध्वंसक बन गई कि कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू

करना पड़ा जिससे आश्चर्यचकित रह जाने वाले राजनीतिक अपनी सही हालत में आ सके और उनको सामान्यः स्थिति का पता लग सके ।

अब हमारे राजनीतिक क्षेत्र से मोर्चे की सरकारें, संविद सरकारें और मिली जुली सरकार धीरे-धीरे समाप्त हो रही है । मैं समझता हूं कि गत पांच वर्षों से हमारे देश में जो राजनीतिक असुरक्षा पैदा हुई है उसके प्रमुख कारण दो ही हैं; पहला साम्प्रदायिकतावाद और दूसरा नक्सलवाद ।

जहां तक साम्प्रदायिकतावाद का सम्बन्ध है यह कई दशाब्दियों से हमारी राजनीति के लिए अभिशाप बना हुआ है । गृह मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विस्तारपूर्वक ढंग से कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । मुझे विश्वास है कि यदि इन प्रस्तावों को परिश्रम-पूर्वक और ईमानदारी से लागू किया जाये, तो निश्चय ही साम्प्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है । इसे समाप्त करने के लिए एक आवश्यक बात भी है कि साम्प्रदायिकता उत्तेजक लेखन कार्य और भाषणों के विषय में विधान पेश किया जाये । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों को प्रतिवेदन के पृष्ठ 34 के अनुसार कार्यवाही शीघ्रता से की जानी चाहिये ।

दूसरा खतरा नक्सलवाद का है और पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी संकट काफी बढ़ा हुआ है । यह निश्चय ही लज्जा की बात है कि जनता को चुनावो में खड़े होने वाले उम्मीदवारों और उच्च अधिकारियों की, जिनमें न्यायाधीश तक भी शामिल होते हैं, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है । हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं और यदि कभी पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें न्यायालयों में दोषमुक्त कर दिया जाता है क्योंकि उनके विरुद्ध बयान देने के लिए किसी में साहस नहीं होता । मैं समझता हूं कि इस घृणित स्थिति के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें स्वयं ही उत्तादायी हैं । अब यदि एक बार फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो फिर यह केन्द्र सरकार का दायित्व होगा कि वहां सार्वजनिक जीवन को जो खतरा उत्पन्न हो गया है, वहां जो विधिविहीनता की स्थिति फैली हुई है, उसे वह समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाये ।

अब नागरिक सुरक्षा की समस्या को ही लीजिये । इस समय नागरिक सुरक्षा बल की कुल संख्या 2.5 लाख है जब कि 4.50 लाख की संख्या का सुरक्षा बल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । यह अच्छी बात नहीं है । सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक सुरक्षा बल को सुव्यवस्थित किया जाये, निश्चित रूप से कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये जिससे नागरिक सुरक्षा बल की संख्या में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि की जा सके । देश की वर्तमान स्थिति और विशेषतया पड़ौसी देशों के साथ हमारे संबंधों को दृष्टिगत रखते हुये, सेवा करना हमारे लिए और भी आवश्यक हो गया है ।

अन्तर्राज्यीय विवादों का न्यायिक और शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा कराना भी गृह मंत्रालय का ही उत्तरदायित्व है । हरियाणा तथा पंजाब और असम, मणिपुर तथा मेघालय के बीच होने वाले विभिन्न विवादों को गृह मंत्रालय ने सुलझाया है और कुछ अभी सुलझाये जाने वाली है परन्तु महाराष्ट्र मैसूर विवाद जो कि गत 15 वर्षों से चला आ रहा है, उसे सुलझाने के बारे में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । 1967 में महाजन रिपोर्ट तैयार हो गई थी परन्तु इसे सभा पटल पर रखने

में ही तीन वर्ष का समय लग गया । गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में भी इसका कोई समाधान अभी तक नहीं सुझाया गया है । उसमें इस संबंध में केवल एक ही पंक्ति लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि विवाद को सुलझाने के प्रयास किये गये थे, परन्तु उसमें सफलता अभी नहीं मिली है । अतः हम इस संबंध में यह जानना चाहते हैं कि यह प्रयत्न कब तक जारी रहेंगे ? मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें कुछ साहस से काम लेकर, महाराष्ट्र-मैसूर विवाद को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाने का एसा सफल प्रयत्न करना चाहिये जो कि संपूर्ण देश के लिए एक उदाहरण बन सके ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Mr. Speaker, Sir, India is a country of villages. The law aud order situation of the villages is not good. During the last elections, the weaker section of our society, *i. e.* the Harijans had to face several actrocities. They were beaten and shooted. Their houses were burnt. Every thing was done to prevent them from voting. This all happened in a Socialistic state. We have informed the Election Commissioner and Government of India about these actrocities but no action was taken uptil now. Even if at this stage some action is initiated by the Government against the miscreants, how the Government is going to compensate the people who have lost their limbs and are not able to work. The Government must do something to compensate these people. If similar attacks are continued, it will shake the very roots of democracy. If there is no democracy there will be no Parliament, no Legislative Assemblies. The Home Ministry must take some stern action to save democracy.

Mr. Speaker, Sir, it is being felt gradually that some basic changes are necessary in our Election system. If the Harijans are prevented to exercise their right to vote, we must find out some other means by which they can exercise their franchise. Mobile Polling Centres should be thrown at their disposal. During election, the service of the state Government employees are utilized by the election Commission. The employees of some state Governments do not carry the instructions of the Election Commission as they owe allegiance to their state Governments. During Election such employees should be put directly under the Election Commission and in case they defy the Orders of Commission, stern action should be taken against them. The Police and C. R. P, should also be at the disposal of Election Commission.

Recently Municipal Elections were held in U. P. Several unfair means were adopted in these elections. People casted bogous votes. Until and unless this goondaism is not curbed, no honest man would like to contest election.

Today we are determined to fight poverty and usher an era of socialism but so long as this red-tapism is there, it is very difficult to achive these ends. The people who are to implement our policies of socialism, must their faith in socialism. The Government machinery must be set in order for bring socialism.

Mr. Speaker ; The Demands for grants regarding Ministry of Home are being discussed. Kindly confine your comments to the subject.

Shri Chandrika Prasad : That is what I am trying to say. The main issue is that of spending the national money in best ways to eleminate poverty.

There is a circular to give some relaxation to political sufferers for employment, for allotment of land, but these orders are not being adhered too. The old age pension which is being provided to freedom fighters is too less. It should be minimum 100 rupee

per month. In case the state Governments can not bear this expenditure, Centre Government should come to their rescue and its provision should be made in these demands.

Hindi is being ignored. It is not getting its due place in administration. Hindi being the national language has been reduced only to the standard of a link language. The Hindi speaking states are not advancing as compared to the states which have been dominated by English speaking people. Hindi is not getting its due because of some political pressures. The Home Ministry should take note of this situation.

The Central Government is having several forces such as C. R. P., B. S. P. and Industrial Security Force. I wish that a recruiting centre of these forces should be opened in East U. P. so Hindi speaking unemployed youngmen can join these forces.

We always claim to help the weaker sections of the society. But how far this claim has been translated into action is clear from the example I am going to give. It is a question of employment of 40 thousand people of Balia district, who are enganged fishing in Surha lake, when there is water in it. But when there is no water in it, the land under the lake is occupied by others. This question is hanging fire for the last 23 years.

The rights of these fishermen should be protected. In the same way the border disputes between various states are pending since long. I request the Home Minister to solve all such problems expeditiously. With these words I support the demands of this Ministry of Home Affairs.

डॉ० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं गृह मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे देश में जासूसी और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिए अपने सभी अभिकर्णों को सतर्क कर देना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए सरकार को निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत उसे प्राप्त सभी शक्तियों को काम में लाना चाहिए । साथ ही उसे विधि आयोग से एक विस्तृत विधेयक तैयार करने के लिए कहना चाहिए जिसके अन्तर्गत देश में देशद्रोह और जासूसी करने वालों से प्रभावकारी रूप से निपटा जा सके । सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत भी सरकार को ऐसे लोगों से निपटने की शक्ति प्राप्त नहीं है । उदाहरणार्थ, बंगलौर का एक साप्ताहिक 'नशेमन' और 'संगम' नामक पटना का एक पत्र बंगला देश के प्रश्न पर पाकिस्तान के समर्थन में और भारत सरकार की नीति के विरोध में लेख प्रकाशित कर रहे हैं । कुछ भूतपूर्व सरकारी अधिकारियों ने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें गोपनीय जानकारी दे दी गई है । सरकार ऐसे पत्रों और लोगों के विरूद्ध कड़ी एवं तुरन्त कार्यवाही करने में असमर्थ रही है ।

राजनीतिक दलों निर्वाचन में खड़े होने वाले उम्मीदवारों और अनुसंधान कर्त्ताओं द्वारा विदेशी धन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है । इससे हमारी दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है और हमारे देश की प्रभुसत्ता की नींव कमजोर पड़ती है। सरकार को एक ऐसा कानून भी बनाना चाहिए जिससे विदेशी धन को प्राप्त करने और उसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लग सके । उसमें ऐसा उपबन्ध होना चाहिए कि प्रत्येक संसदीय संस्था अथवा राजनीतिक संगठन अथवा शिक्षा संस्था या व्यक्ति विशेष को विदेशी धन प्राप्त करने से पूर्व इसके लिए सरकार से अनुमती प्राप्त करनी होगी। क्योंकि ऐसे धन से देश की अखंडता को खतरा पैदा होता है ।

हम प्रायः यत्र-तत्र साम्प्रदायिक दंगों की बात सुनते हैं। केन्द्रीय सरकार को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह अनुदेश दे देना चाहिए कि साम्प्रदायिक दंगों अथवा समाज विरोधी तत्वों के प्रदर्शनों को सख्ती से दबाया जाये। साथ ही मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे प्रदर्शनों या समाज विरोधी तत्वों की भीड़ पर नियंत्रण के लिए एक पुलिस विशेष तैयार की जानी चाहिए जैसा कि कुछ अन्य देशों में किया जाता है। ऐसे प्रदर्शनों पर पुलिस द्वारा गोली नहीं चलायी जानी चाहिए और उनकी हत्यायें नहीं की जानी चाहिए। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अकेली पुलिस साम्प्रदायिक दंगो को समाप्त नहीं कर सकती। साम्प्रदायिक एकता के लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ही निजी स्वार्थों के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं जिसमें साम्प्रदायिक एकता भंग हो जाती है और साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं।

भारत से विदेश को होने वाले प्रतिभा-पलायन की ओर भी मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक अध्ययन के अनुसार 1960 से 1967 तक लगभग 20,000 इंजीनियर, 10,000 डॉक्टर और 8000 वैज्ञानिक विदेश गये। इनमें से बहुत ही कम भारत वापस आये। विदेश जाने के इच्छुक या वहां गये प्रतिभा सम्पन्न लोगों को मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि उनका पहला कर्त्तव्य अपनी मातृभूमी की सेवा करना है न कि विदेश जाकर धन-दौलत कमाना। साथ ही गृह मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि हमें अपने डॉक्टरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को अधिक वेतन देना चाहिए और उनके दर्जे और सम्मान पर भी ध्यान देना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए भी कि हम अपने प्रतिभा-सम्पन्न को देशवासियों को उतना नहीं दे सकते जितना वे विदेशों में कमाते हैं। मैं इस स्थिति के पक्ष में नहीं हूँ कि जो व्यक्ति विदेश में 3000 रुपये कमायें उसे यहां केवल 300 रुपये या 400 रुपये पर ही गुजारा करना पड़े।

भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों और विशेष अधिकारों का प्रश्न लम्बे समय से अधर में लटका हुआ है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसी सभा में इस सम्बन्ध में कोई विधेयक लाया जाये या कोई घोषणा की जाये ताकि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाकर हम यह कह सकें कि हम अपने वायदों को पूरा करने की दिशा में आगे बढे हैं।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, अत्याचार व्याप्त है और उसमें कार्य कुशलता का अभाव है। हां, उसमें कुछ ईमानदार व्यक्ति भी हैं, किन्तु बहुत थोड़े। पुलिस में वेतनमान कम होने के कारण उसमें ऊंचे दर्जे के लोग नहीं आते हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उर्दू देश की लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। अतः उसके विकास के लिए एक उर्दू बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। उर्दू के पढ़ने के इच्छुक लोगों और उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जहां यह भाषा अधिक प्रचलित है वहां कानून, नियम और विनियम उर्दू की भाषा में उपलब्ध कराये जाने चाहिए। अन्त में मेरा यह अनुरोध है कि दलबदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसी सत्र में ही कानून बनाया जाना चाहिए। इससे हमारे दल की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस दल के वक्ताओं की सूची में से अधिकांश सभा में उपस्थित नहीं हैं। जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें सभा में उपस्थित रहना चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : अध्यक्ष महोदय मैं गृह मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं। तेलंगाना की समस्या पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्ष से उलझी पड़ी है। गृह मंत्रालय इस समस्या का समाधान करने में रुचि नहीं ले रहा है।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair* }

माननीय प्रधान मंत्री ने डा० केन्ना रेड्डी को तेलंगाना की समस्या के समाधान के प्रश्न पर विचार-विमर्श के लिए बुलाया था। वह आये थे किन्तु समस्या का समाधान न हो सका। मुझे ऐसा लगा कि आन्ध्र प्रदेश के कुछ कांग्रेसी सदस्य ही यह नहीं चाहते कि तेलंगाना की समस्या हल हो। ऐसे सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे केन्द्रीय सरकार के हाथ मजबूत करें। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तेलंगाना के अलग राज्य बन जाने मात्र से देश की अखडता को खतरा पैदा नहीं होगा। यदि मेघालय, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्य के पूरे राज्य का स्तर दिया जा सकता है तो तेलंगाना को भी पूर्ण राज्य बनाया जा सकता है। वर्ष 1956 में फजल अली आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इसे आन्ध्र प्रदेश के साथ न मिलाया जाये और उसे एक पृथक राज्य बनाया जाये। उसने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आत्म–निर्भर है। इतने पर भी तेलंगाना को एक पृथक राज्य क्यों नहीं बनाया जाता है? मैं पहले भी यह बता चुका हूँ कि हम एक अलग राज्य चाहते हैं भारत से अलग होना नहीं चाहते। तेलंगाना प्रजा समिति के सभी सदस्य इस बात के लिए बड़े उत्सुक हैं कि तेलंगाना की समस्या सुलझ जाये। किन्तु सरकार इस समस्या को सुलझाने को उतनी उत्सुक नहीं प्रतीत होती। एक ओर तो सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाती है, दूसरी ओर हमसे वह बातचीत नहीं करना चाहती। इससे हमारी स्थिति बड़ी ही विषम बन जाती है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इसके समाधान के लिए तत्काल कदम उठाये जायें। मुझे पूर्ण आशा है कि डॉ० चेन्ना रेड्डी आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री आदि सम्बन्धित पक्षों को उनके समस्या के समाधान के लिए शीघ्र ही बुलाया जायेगा।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मनीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय! मैं प्रधान मंत्री का इस बात के लिये आभारी हूं कि उन्होंने मनीपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा देने का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करता हूं। हम अपनी मातृभूमि की महानता के गीत गाते रहे हैं। उनकी महानता के लिये हमें उपयुक्त व्यवस्था भी करनी होगी तथा देश की समस्याओं को हल करना होगा। अतः गृह मंत्रालय को बहुत सी दिशाओं से स्वेच्छापूर्वक पूर्ण सहयोग मिलना चाहिये। इस संबंध में पुलिस का कार्य भी सामने आता है।

देश की स्थिति में सुधार न होने के कारण बहुत से उपाय करने पड़े हैं तथा पुलिस को वहां रखना पड़ा है। देश के पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या बहुत समय से बनी हुई है जिनकी उत्पत्ति विभिन्न कारणों से हुई है। हमारे पड़ौसी देश चीन और पाकिस्तान ने भी हमारे लिये समस्याएं

उत्पन्न कर रखी हैं। सदन को ज्ञात है कि पाकिस्तान बंगला देश के माध्यम से बहुत ही विनाशकारी कदम उठाने का प्रयास कर रहा है।

पाकिस्तानी सेना हमारे देश के मीजो पहाड़ियों, मनीपुर, नागालेंड और आसाम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के नवयुवकों को हमारे देश के शत्रु बनाने का प्रयत्न कर रही है। बंगला देश का भाग्य क्या होगा इस संबंध में हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा ही होगा। किन्तु इतना अवश्य है कि उसके पूर्वी क्षेत्र पर बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि पाकिस्तानी जनता को ऐसा अवसर नहीं देना चाहिये कि वह विभिन्न स्रोतों से हमारे देश की जनता में देश के प्रति शत्रुता पैदा करने में अथवा पूर्वी क्षेत्र को भारत माता से पृथक करने की चेष्टा कर सकें।

पाकिस्तान तथा चीन के प्रभाव में आकर इन क्षेत्रों के कुछ युवकों ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लिया था किन्तु यह संतोष की बात है कि उनमें गिरफ्तार किये गये कुछ युवकों ने इन गतिविधियों के लिये पश्चाताप किया है तथा उनका भ्रम दूर हो गया है। अतः उनके हृदय परिवर्तन के यह शुभ अवसर हैं।

मनीपुर, नागालैंड तथा अन्य ऐसे ही क्षेत्रों में सरकार को उग्रवादियों के हृदय परिवर्तन के लिये सूचना और प्रसारण आदि के व्दारा कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि महात्मा गांधी की विचार-धारा का अनुसरण करने वाली कांग्रेस पार्टी हृदय परिवर्तन में विश्वास रखती है। मैं कानून और व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस के योगदान को भी कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। किन्तु उग्रवादियों के प्रति सरकार की नीति में परिवर्तन अवश्य आना चाहिये।

मै यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय विषमता समाप्त की जानी चाहिये। उद्योग, शिक्षा अथवा सेवाओं के क्षेत्र में विद्यमान क्षेत्रीय विषमता की समस्या आज भले ही छोटी प्रतीत होती है किन्तु कुछ समय पश्चात् यह समस्या गम्भीर रूप धारण कर सकती है। यदि उस समस्या का समय पर हल नहीं किया गया तो इससे सम्पूर्ण देश के लिये अन्य अनेक गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न हो जायेंगी। अतः इन क्षेत्रों की जनता के साथ त्याग होना चाहिये तथा उन्हें सेवाओं के सम्बन्ध में सुरक्षा मिलनी चाहिये। इनकी कठिनाइयों को समझते हुये इनको इस समय कुछ कुछ रियायत मिलनी चाहिये। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को कुछ सुरक्षा अवश्य प्रदान की गई हैं किन्तु केवल इतना पर्याप्त नहीं है। मनीपुर की घाटी में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की रियायत प्रदान नहीं की गई है जिसका परिणाम यह है कि हमारा कोई भी युवक भारतीय प्रशासन सेवा में नहीं लिया गया है। केवल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के लोग ही पिछड़े हुए नहीं हैं हम भी बहुत पिछड़े हुये हैं।

अतः मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोधपूर्वक कहता हूं कि यह रियायत और सुरक्षा हमें भी प्रदान की जानी चाहिये। महोदय ! पूर्वी क्षेत्र को सबल बनाने के लिये अधिक से अधिक सांस्कृतिक एकता लाई जानी चाहिये। बंगला देश में हुई घटना से यह स्पष्ट होता है सांस्कृतिक बन्धन धर्मगत बन्धनों से अधिक मजबूत होते हैं।

देश के पूर्वी क्षेत्र में एकता लाने के लिये यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक बंधन मजबूत किये जायें तथा वहां के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों में परस्पर सद्भावना, और सहानुभूति उत्पन्न की जाये। बहुसंख्यकों की संस्कृति को अल्पसंख्यकों की संस्कृति पर लादने से यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। अतः यह प्रयास किया जाना चाहिये कि सभी छोटे बड़े वर्गों के लोगों की विचारधारा का पारस्परिक आदान प्रदान हो सके। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : Sir, I rise to support the demands of the Home Ministry. At the outset I would like to invite the attention of the hon. Minister to the new hopes of the weaker section of the society and request the Government to remove their difficulties as soon as possible.

I endorse this apprehensions of some hon. Members tnat the Urdu language will become a dead language if it is ignored by the Government. I, therefore suggest that a Board should be constituted for this purpose so that people may feel assured that proper attention is paid to all the languages of the country.

Sir, it is a matter of shame for us to allow the people to deal with the Harijans with cruelly even after twenty years of our independence. I request the Government to take immediate steps to foter the feelings of harmony among the people.

I am constrained to say that the National Integration Council could not make as much progress as was expected of it. The Ministry of Home Affairs undertook the study of the problem of communalism. They have also produced a Report on that. But they have only marshalled the facts and not gone into the communal politics behind all much riots. I suggest that these incidents should not be taken as the problem of law and order only but they should be investigated thoroughly, otherwise with these ineffectual steps Government can not bring integration in the country.

Government have also embarbed upon the study of newspapers with a view to identifying the Communal virus. But the procedure of this study is defective because study will begin after the riots have taken place. My suggestion in this regard, is that it should be examined that what was being published in the news papers before the communal riots foot place in a particular state or place. I think, this procedure would be proved more fruitful for bringing about national integration.

It appears from the project of the Integration Council that the Ministry of Home Affairs wants to study the minds of she Muslims, only. I request the hon. Minister that this study should not be confined to the Muslims only. Communal elements can be found in all the communities and all the society. Therefore, this study should be extended to all.

It has also been observed that several good suggestions were made in the meetingr of the council but the decisions of the council are not implemented.

It is also correct that the mind of the Government is not clean about the communal organisations. Several scholars in the country and out side have considered the R.S.S. organisation communal.

According to Shri Crag Bavaster, RSS is the idiological and organisational base of the Jan Sangh ; Mahatma Gandhi also stated that the outbook of the R.S.S. was com-

munal. I have repeatedly raised this issue in the House that the Government servants should not be allowed to become the members of R. S. S. when they are not allowed to become members of any political party.

I am aware of the fact that the hon. Minister is keenly interested in the policy of secularism but the attitude of the officers in the secretariat is quite different. Therefore. I request the hon. Minister that the circular in this connection issued by the Ministry of Home Affairs should be amended so that legal deficiency could be removed from it.

It should also be mentioned here that the Ministry of Home Affairs issued an order in connection with the abolition of privy purses but the information of derecognition was received by the states after many week. I would like to know the reasons for which the instructions issued by the Ministry are not received in time.

Before concluding I would like to point out that the people of Delhi are losing faith in the Delhi Police because the officers do not arrest the real anti-social elements. Every murder-case requires the C. B. I. enquiry so that suit can be filed in the court of law. The policemen are under-paid and the Government should realise their difficulties also. I hope the hon. Minister would consider all these points.

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय ! मैं श्री सरोज मुखर्जी के विचारों का समर्थन करता हूं । यदि मंत्रालय के 1970-71 के प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों का अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होगा कि मंत्रालय के पास सी० आर० पी० की 55 बटालियन हैं, औद्योगिक सुरक्षा बल की 7 बटालियन हैं और 6,02,767 होमगार्ड के कर्मचारी हैं । इसके अतिरिक्त राज्यों में भी पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है । इसी कारण पुलिस बजट 1950-51 में तीन करोड़ रुपयों से बढ़कर वर्ष 1970-71 में 77 करोड़ रुपयों का हो गया है। फिर भी इस वृद्धि का कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि भी हुई है । प्रतिवेदन के अनुसार 1969 में हुए 519 साम्प्रदायिक दंगे और 1670 में 521 हिंसात्मक गतिविधियां भी महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में फैल गई हैं । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब उनकी इन हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने, निजी थैलियों को समाप्त करने तथा विदेशियों और देश के व्यक्तियों व्दारा जनता के शोषण को रोकने में पूरी रूचि नहीं है तो वह इतनी भारी राशि की क्यों मांग कर रहे हैं । औद्योगिक श्रमिकों की न्याय संगत मांगों को पूरा करने की बजाय उनका दमन किया जाता है। त्रिपुरा में प्रेस के 150 कर्मचारियों के साथ यही व्यवहार किया गया। वहां सी० आर० पी० को तैनात किया गया जिसने हड़तालियों को बुरी तरह पीटा तथा हजारों कर्मचारियों को 'कारण बताओ' नोटिस दिये गये । मंत्री महोदय ने अभी तक इस बात का हमें आश्वासन भी नहीं दिया है कि त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र के लिये क्षेत्रिय परिषद् बनाई जायेगी। साथ ही त्रिपुरा राज्य विधान सभा के इस सर्वसम्मत संकल्प को भी स्वीकार नहीं किया गया है कि $2\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि को कर मुक्त किया जाये। गृह मंत्रालय सभी अच्छे प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है ।

त्रिपुरा में लगभग 10 लाख शरणार्थियों के आने से सभी सड़कें भर गई हैं तथा उनके ठहरने और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां केवल ५ लाख शरणार्थियों के लिए शिवरों की व्यवस्था है शेष सड़कों पर पड़े हैं । त्रिपुरा के लोगों की पाकिस्तानी सेना हत्या कर रही है और इस दृश्य को

स्वयं प्रधान मंत्री ने भी देखा है किन्तु उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में प्रेस सम्वाददाताओं के समक्ष कोई वक्तव्य नहीं दिया। इस प्रकार सरकार वहां की जनता को समाजवाद के नाम पर धोखा नहीं दे सकती।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : उपाध्यक्ष महोदय ! हिंसात्मक गतिविधियों को स्वयं प्रोत्साहन देने वालों ने भी सदन में बार-बार हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने की बात कही है। आंध्र प्रदेश में हुई घटनाओं का भी यहां उल्लेख किया गया है। जब पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में अनधिकृत रूप से भूमि को हथियाने का प्रोत्साहन दिया जाता है तो ऐसी गतिविधियां होनी स्वाभाविक है। वास्तव में राजनीतिक दल और विशेषकर साम्यवादी भोली भाली ग्रामीण जनता को बहकाकर अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। अब उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां आरम्भ कर दी हैं। सरकार इन गतिविधियों को दबाने के लिए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में उचित कार्यवाही कर रही है।

यदि आंध्र प्रदेश में सरकार हिंसा को समाप्त करने के लिए उचित कदम न उठाती तो वहां भी पश्चिम बंगाल की तरह हिंसा भड़क जाती। कहने का आशय यह है कि जहां भी इस प्रकार की गतिविधियां जन्म लें उनको पूरी तरह से कुचल देना चाहिये।

गृह मंत्रालय के बजट में वृद्धि होने का कारण यह है कि साम्यवादी दल ने अत्याचारों को और हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया है। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार को पुलिस आदि पर इतना अधिक व्यय करने की कोई आवश्यकता न होती।

जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बन्ध है हमने जनता के हित के लिए तथा पूरे देश के हित के लिये शांतिपूर्ण ढंग से बहुत से कार्य करने का निर्णय किया है। वास्तव में यह प्रश्न देश के किसी एक भाग का नहीं है। यह सम्पूर्ण देश की एकता का सवाल है। और देश ने यह दिखा दिया है कि उसमें एकता है। जहां तक क्षेत्रीय समस्याओं का प्रश्न है उनके लिए क्षेत्रीय समितियां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए जल सम्बन्धी विवाद है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि नदियों के जल का इस दृष्टि से उपयोग होना चाहिये कि उससे सम्पूर्ण देश को लाभ हो। किसी भाषा, क्षेत्र आदि के दृष्टिकोण से उसका उपयोग नहीं होना चाहिए।

ऐसा कहा जाता है कि तेलंगाना के विकास की उपेक्षा की गई है। किन्तु प्रश्न यह है कि जब डा० चेन्नारेड्डी और श्री वी० बी० राजू जैसे व्यक्ति सरकार में थे तब उन्होंने तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया। सरकार ने उनके किसी भी कार्य में बाधा उपस्थित नहीं की थी। पश्चिम गोदावरी जिले में केवल तीन तालुकों में विकास कार्य हुआ है तथा अभी पांच तालुक अविकसित हैं। किन्तु हम उन्हें केन्द्र और राज्य की सहायता से विकसित करने में लगे हैं। अतः किसी भी पिछड़े हुए क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्य करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मेरा निवेदन है कि 10 सदस्य वे हैं तथा 29 हम हैं और यदि हम परस्पर मिलकर तेलंगाना और अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास में जुट जायें तो अवश्य सफलता मिलेगी क्योंकि हम देश में भी तथा अपने क्षेत्र में भी एकता के इच्छुक हैं।

मेरा अनुरोध है कि हैदराबाद स्थित पुलिस अकादमी सेन्टर को वहीं रहने दिया जाये तथा उसे किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जाये क्योंकि अब उसके लिए वहां इमारत भी बन चुकी है ।

यह आरोप लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश में पुलिस मंत्री श्री वेंगलराव द्वारा हाल में 541 व्यक्तियों को गिरफ्तार करवाया गया है । यह सब गलत है । मैंने पता लगाया है कि केवल 40 या 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ व्यक्तियों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया था । केवल आंध्र प्रदेश में हमने निर्धन व्यक्तियों को लगभग 10 लाख एकड़ बंजर भूमि वितरित की है । अन्य किसी राज्य में ऐसा कार्य नहीं किया गया । भूमि के साथ-साथ उनको खेती करने के लिए धन भी देना चाहिए । मेरे क्षेत्र में हरिजनों को एक या दो एकड़ भूमि दी गई है । लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति उनका शोषण करना चाहते हैं । इन सब बातों को समाप्त करने के लिए सरकार को उन्हें साथ-साथ धन भी देना चाहिए । अब आंध्र प्रदेश सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रत्येक हरिजन को भूमि दी जायेगी तथा उनके मकानों में बिजली दी जायेगी । किन्तु राज्य सरकार के पास इस योजना को लागू करने के लिए धन नहीं है ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें तेलंगाना और आंध्र के आपसी विवाद को दिल्ली में नहीं लाया जाना चाहिए और 39 संसद सदस्यों को मिलकर सरकार से अधिक धन की मांग करनी चाहिए ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : महोदय ! प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में अपने पहले प्रतिवेदन में एक संस्थान नियुक्त करने की सिफारिश की थी, जो जनता की कठिनाइयों की जांच करके उन्हें जनता की विभिन्न शिकायतों को संसद तक पहुंचाता । उसने एक नमूने का विधेयक भी प्रस्तुत किया था । किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

गत लोक सभा में मैंने एक विधेयक पुन: स्थापित किया था जिसे जनमत प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया । जनता की मांग पर सरकार को एक विधेयक लाना पड़ा जिसे संयुक्त समिति को सौंपा गया । उसके पश्चात् लोक-सभा में उस विधेयक को पारित किया गया तथा राज्य को भेजा गया । इसी बीच लोक सभा भंग हो गई और वह विधेयक रद्द हो गया । अब मेरा अनुरोध है कि सरकार एक विधेयक लाये तथा उसमें प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच कोई अन्तर न रखा जाये । अत: उस विधेयक में मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध सभी आरोपों के सम्बन्ध में व्यवस्था होनी चाहिए ।

वर्ष 1967 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में काफी मतभेद हुआ था । भारतीय संसदीय संघ के तत्वावधान में एक विशेष गोष्ठी हुई थी । उसके पश्चात यह मामला प्रसिद्ध न्यायवेत्ताओं की एक तालिका को सौंपा गया था । तब यह निर्णय किया गया था कि राज्यपाल के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाने चाहिए ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के बारे में चर्चा करते समय मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत विभिन्न संस्कृतियों और परम्पराओं का संगम है । सभी क्षेत्रों का समान विकास करने और क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने तथा राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप न करने के लिए वर्तमान घटनाओं के सन्दर्भ में केन्द्र-

राज्य सम्बन्ध की समीक्षा करने की निरन्तर मांग की जाती रही है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत प्रावधान होने के बावजूद भी अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना क्यों नहीं की गई। राजमन्नार समिति के अनुसार संविधान सभा ने भी अन्तर्राज्यीय परिषद को केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना था। राजमन्नार समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस प्रकार की परिषद की तत्काल स्थापना की जोरदार सिफारिश की है।

अन्तर्राज्यीय परिषद का स्थान राष्ट्रीय विकास परिषद को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद में मंत्री, योजना आयोग के सदस्य और मुख्य मंत्री भरे पड़े हैं।

राज्य की स्वायत्तता में केन्द्र सरकार द्वारा गम्भीर हस्तक्षेप किया जाता रहा है। केन्द्र द्वारा गलत आर्थिक नीतियां अपनाये जाने के कारण मुद्रा-स्फीति और मंहगाई बढ़ती है और इससे राज्य की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विदेशी धन के आने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में एक पहलू का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। विदेशी धन के कारण हमारा सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट हो रहा है। भविष्य के लिए कानून बनाने से कोई भी लाभ नहीं होगा। हम यह मांग करते हैं कि चीनी बैंक की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की जाय और 1967 के दौरान विदेशी धन के प्रयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाय। अगर सरकार की आकांक्षा इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की है, तो संसद सदस्यों और पत्रकारों द्वारा विदेश-यात्रा पर रोक लगाने से कोई लाभ नहीं होगा।

समाचार पत्रों को संरक्षण दिया जाता है। उत्तर कोरिया के दूतावास द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों को पूरे पृष्ठ के विज्ञापन दिये गये। एक पार्टी विशेष को संरक्षण देने के लिए सोवियत साहित्य को न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। इस देश में भारतीय मुद्रा में संग्रह धन भी भारतीय राजनीति को भ्रष्ट करने का एक साधन है। इसलिए विदेशी दूतावासों द्वारा भारतीय मुद्रा में संग्रह धन को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं स्वतन्त्र पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप में यह कहना चाहता हूं कि प्रिवीपर्स के बारे में एक सम्मानजनक समझौता होना चाहिए और इस सम्बन्ध में रचनात्मक विचार विमर्श होना चाहिए।

इस बारे में श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ के वक्तव्य का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि– समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह पता चला है कि भूतपूर्व शासकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षणों को समाप्त करने के प्रयोजन से मूल अधिकारों में संशोधन करने सम्बन्धी एक विधेयक सरकार के विचाराधीन है। मूल अधिकारों को कम करने से बचाने के लिए शासक भी तत्पर है। इसलिए शासकों की ऐच्छिक अनुमति प्राप्त करने और समस्या का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

मूल अधिकारों के बिना लोकतन्त्र जीवित नहीं रह सकता और न उसका कोई अर्थ ही है। वे प्रगतिशील और विकासशील समाज के सुदृढ़ आधार है। अगर भूतपूर्व शासकों ने भारत में लोक-

तन्त्र की स्थापना में सहयोग दिया था, जैसा कि संविधान सभा ने भी स्वीकार किया था, तो अब लोकतन्त्र को सुदृढ़ करने में भी वे अपना दायित्व पूरा करेंगे ।

Shri Vekaria (Jhunagadh) ; I support the demands of the Ministry of Home Affairs, The Naxalite movement and communal disturbance is in the increase in country. If such incidents are checked, the expenditure on Police force, C. R. P. and equipments could be reduced considerably.

In our Election Manisfesto we had raised the slogan of abolition of poverty. The Naxalite movement can not be checked, unless we progress economically. We should make all our efforts to solve the problem of unemployment among educated as well as uneducated people.

The parties, which indulge in Naxalite movements or in communal riots, should clearly understand that the Government has to spend a lot of money on curbing such incidents and the ordinary people have to pay for much expenditure.

In spite of so many Intelligence Branches, the flow of foreign money could not be checked. The foreign money patronises several political parties and politicians. This foreign money is vitiating our political life. If Democracy is to survive, we shall have to check the flow of foreign money.

The country dispute between Kerala and Mysore as well as between Mysore and Maharashtra should be solved as early as posible, because such problems create tension between the people of these states. The dispute regarding Narmada waters between Gujarat and M. P. should be resolved at the earliest.

Dadra and Nagar Haveli are the areas, administered by the Centre. The people of Gujarat want that these areas should be merged with the State of Gujarat.

The tribal people of Dadra and Nagar Haveli, who are tilling the lands for years have not been granted ownership rights. The Naxalites and other leftist parties are trying to mislead them. Therefore, this problem needs to be resolved urgently.

Hindi is our official language, but no efforts have been made to propagate the knowledge of Hindi in southern states. I request that Hindi should be propogated in southern states.

The privy purses and privilege should be done away with urgently by amending the Constitution.

Shri M. G. Uikey (Mandla) : Mr. Deputy Speaker. Sir, I want to place before the house certain problems relating to the tribal people. I analysed the census data of eight villages. The tribal people were not shown as much in the census data and thus their population was reduced by 20% in a dozen villages.

The religion of tribal people should have been shown as tribal religion instead of Hindu religion.

{ डा० सरदीश राय पीठासीन हुए }
{ **Dr. Sardish Roy** *in the Chair* }

Now they are subject to the Hindu law in regard to marriage, divorce and property rights. In one tehsil of a district, 725 tribal people had to lose their land on account of Hindu Law. In Madhya Pradesh only there are nearly 32 lakhs of tribal people of Gond Caste, 27 lakhs of them speak Gondi dialect. But their dialect has not been recorded in the census data. Such a reduction in population is being carried out to reduce the number of seats in the Assembly and Parliament as well as in the various services.

The commissioner for scheduled castes and the scheduled tribes presents his Report to the President once a year and afterwards that report is placed before the Parliament, but the post of the Commissioner is lying vacant for the last twelve months.

Previously this department was under the control of the Ministry of Home Affairs which used to take effective measures, but now this work has been transferred to the Deptt. of Social welfare, which does not take effective measures as it has been staffed by officers deputed from various states, who do not take any action against their respective State Governments.

Adivasi people also work in the central projects like Beladila mines. Some people of other states, who also work there, appoint adivasi women as their maid servants and use them as their wives. These outside people desert those young ladies after they have given birth to a child. 360 women have been deserted in this manner. The collector of that area has ordered that adivasi maid servants should be got registered. The Central Government should look after the interest of adivasi women.

The tribal people had never been exploited to such an extent as they are being exploited today. If they continue to be exploited and harassed, the tribal people would also resort to a revolutionary movement.

In the recent years, some of the State Government have revised their policy with regard to liquor. The figures of incomes from liquor for the State of M. P. for the years 1960-61, 1965-66 and 1967-69 are Rs. 4,31,46,552, Rs. 7,65,20,998 & Rs. 10,84,73,270 and figures for the consumption of liquor for the corresponding years are 50,25,545 litres, 73,19,594 litres and 80,42,159 litres. The State Government helps the wine contractor to earn huge income from the sale of wine. The adivasi people are compelled by police officers lo drink and purchase wine, otherwise they have to pay fine.

Even the 25% of funds allocated for the welfare of tribal people are not utilised for the genuine purpose. Three-fourty of the funds goes to the pocket of the officers. The tribal people are not educated and thus they are unable to get the guilty officers punished. The Central Government should try to check their exploitation in regard to daily wages etc.

The Central Government has set up many colonies for the tribal people. I saw seven such colonies in Sarguja district. The persons doing shift cultivation have been rehabilitated there. An amount of Rs. 2 lakh per colony was granted by the Central Government, but no facility has been provided there even after twenty years. I request the Ministry of Home Affairs to appoint a commission to go into these activities.

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्र गढ़) : गृह मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा अत्याधिक महत्वपूर्ण है; क्योंकि देश की जनता की सम्पत्ति, जीवन और राष्ट्र की एकता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी गृह मन्त्रालय की है। आज के हिंसक वातावरण और सभी बुराइयों के लिए गृह मन्त्रालय ही जिम्मेदार है। सभी क्षेत्रों में अलग राज्यों के लिए मांग की जाती है और साम्प्रदायिक शक्तियाँ अपना सिर उठा रही हैं। गृह मन्त्रालय इन प्रवृत्तियों को रोकने में विफल रहा है।

भारत की अधिकांश समस्यायें इस कारण उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण मामलों के लिए कोई भी मानदण्ड या सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया गया है। श्री फजल अली के नेतृत्व में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने सुझाव दिया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा, संस्कृति, प्रशासनिक सुविधा आर्थिक सुदृढ़ता और अन्य विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उसी आयोग के एक बहुत अधिक योग्य सदस्य श्री के० एम० पणिक्कर ने बहुत जोरदार शब्दों में सिफारिश की थी कि, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को अगर हम देश मान ले, तो आबादी की दृष्टि से यह विश्व का नवाँ देश होगा। मगर उन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अभी कुछ नये राज्यों की स्थापना की गई, परन्तु उसके लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया। राजनैतिक दबाव के आगे झुककर सरकार ने मांगो को स्वीकार कर लिया। विशाल हरियाणा, और तेलंगाना की मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। गोआ को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर नागालैण्ड की स्थापना हो सकती है, तो विदर्भ और भोजपुरी की क्यों नहीं। नये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने के लिए यह उपयुक्त समय है। अगर भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करके सारे देश को कुछ खण्डों में बांट दिया जाय, तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। मगर कोई सिद्धान्त तो होना चाहिए।

हरियाणा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया गया है। मेरे विचार में हमारी प्रधान मन्त्री इस देश की सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधान मंत्री हैं, परन्तु उन्होंने भी हरियाना के साथ न्याय नहीं किया। जब बंगाल अथवा पंजाब में सरकार गिरानी थी, तब भी हरियाना की सरकार को गिराया गया। देश में राज्यों के बीच सीमा विवाद हैं। हरियाना और पंजाब के बीच भी सीमा विवाद है। अब हिमाचल प्रदेश भी भूतपूर्व पंजाब राज्य की सम्पत्ति पर दावा करने लगा है, परन्तु ऐसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। शिमला और डलहौजी की स्थापना पंजाब और हरियाना के लोगों ने की थी, इन नगरों के ऊपर हिमाचल के अधिपत्य का कोई औचित्य नहीं है। महाराष्ट्र और मैसूर, मणीपुर और आसाम, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच सीमा विवादों को हल करने में गृह मन्त्रालय असफल रहा है। हरियाना और पंजाब के बीच विवाद हल करने के लिए प्रधान मन्त्री के निर्णय से स्थिति और खराब हो गई है। इस बारे में कोई भी मानदण्ड नहीं अपनाया गया........(**व्यवधान**) सरकार ने इस बहस पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया है। प्रधान मन्त्री जो गृह मन्त्री भी हैं, और गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री अधिकांश समय सदन में उपस्थित नहीं रहे हैं। विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों को आधा आधा समय दिया जाना चाहिये। देश विनाश की ओर अग्रसर है। सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाता। राज्यपाल का पद हास्यास्पद हो गया है। सरकार की नाक के नीचे दिल्ली के न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता को न्याय नहीं मिलता। दिल्ली की जनता को लोकतान्त्रिक अधिकार देने के लिये दिल्ली को

राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। दिल्ली और हरियाना का विलय किया जाना चाहिए। नई दिल्ली वाशिंगटन डी०सी० की तरह नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत क्षेत्र भारत सरकार की राजधानी बन सकती है।

श्री फजल अली आयोग की रिपोर्ट में श्री के०एम० पणिक्कर का मत भी दर्ज है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को इसलिए विभाजित नहीं किया जा रहा, क्योंकि यह राम और कृष्ण की जन्म भूमि है। पंजाब गुरु नानक की भूमि है, उसे भी विभाजित किया गया, जब 1947 में इस देश का विभाजन किया गया, तब भी यह राम और कृष्ण की जन्म भूमि थी।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : गृह मंत्रालय का कार्य अत्याधिक महत्वपूर्ण है। इसकी मांगो पर बहस करने के लिए समय बहुत ही कम है। जब अल्प संख्यक समुदायों, साम्प्रदायिक उपद्रवों, कानून और व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा, दल-बदल, प्रीविपर्स और विशेषाधिकारों, नदी जल विवादों, नशाबन्दी, राष्ट्र-भाषा आदि के बारे में चर्चा करनी हो, तो अधिक समय लगना अवश्यम्भावी है।

आम चुनाव के बाद सरकार को नव जीवन प्रधान मंत्री के साहस और दूर-दृष्टि के कारण ही प्राप्त हुआ है। हमारी प्रधान मन्त्री एक शक्तिशाली प्रधान मन्त्री है। 'गरीबी हटाओ' का नारा देना बहुत ही आसान है, परन्तु उसको क्रियान्वित करना टेड़ी खीर है। इसके साथ ही उन समस्याओं का हल भी जरूरी है, जिनका में पहले उल्लेख कर चुका हूं। सारे देश में सन्तोष और शाँति की भावना व्याप्त होनी चाहिए और यह काम गृह मन्त्रालय का ही है।

जो रिपोर्ट यहाँ देश की गई है, उसमें अनेक बातों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। मितव्ययता के कारण या संभवतः राज्य सरकारों को विरोधी दलों की कटु आलोचना से बचाने के लिए ऐसा किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के संसद सदस्यों ने यहाँ चिल्ला-चिल्लाकर यह कहा कि देश की अखण्डता और एकता की रक्षा की जानी चाहिए। अकेले आन्ध्र प्रदेश भी एकता की रक्षा करने का क्या अर्थ है। सारे देश के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश का नहीं है—प्रश्न है देश के विभिन्न क्षेत्रों में असन्तुलित विकास का और इसी कारण आन्दोलन चलाये जाते हैं। और विवाद पैदा होते हैं। प्रधान मन्त्री ने आठ-सूत्रीय कार्यक्रम तेलंगाना के विकास के लिए रखा और उसके दो वर्ष पश्चात् पेश होने वाली रिपोर्ट में कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य सरकार का काम है, केन्द्र का नहीं। जब राज्य सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, तो केन्द्रीय सरकार रिपोर्ट में उल्लेख ही क्या कर सकती है?

तेलंगाना समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में गम्भीर विचार विमर्श चल रहा है। हम सारे देश का आर्थिक विकास चाहते हैं, परन्तु साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि तेलंगाना को एक उपनिवेश बनाकर वहां की जनता का शोषण न किया जाय। हम यह चाहते हैं कि प्रधान मंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री, आन्ध्र के और तेलंगाना क्षेत्र के संसद सदस्य मिलकर कोई हल निकालें जिससे तेलंगाना की जनता संतुष्ट हो सके। हम प्रधान मंत्री के साथ है। तेलंगाना की जनता संतुष्ट होनी

चाहिए। देश के सामने एक ओर पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की समस्या है और दूसरी ओर विभिन्न आन्तरिक समस्याये हैं। प्रधान मन्त्री अपने वचनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे आशा है कि प्रधान मन्त्री शीघ्र ही तेलंगाना की जनता, वहां के प्रतिनिधियों, आंध्र के मुख्य मंत्री आदि के साथ विचार विमर्श करके एक शान्तिपूर्ण समाधान ढूंढ़ने में सफल होगी।

Shri Mohammad Tahir (Purnea) : Sir, it has been stated in Report of the Ministry of Home Affairs that the Government have, in consultation with the State Governments, taken various legislative and administrative steps to deal with the communal situation in the country. Now I want to know from the hon. Minister as to what legislature and administrative steps have been taken by them to deal with this situation.

Much emphasis was laid in the election manifesto on the protection of the rights and interests of all the minorities. Promises were also made for providing linguistic facilities at the primary stage of education to the minority groups. It was stated in the manifesto that Congress would strive to ensure full freedom to them to establish, manage and run educational and other institutions.

I am sorry to say that the new hopes and aspirations of the people stemmed from these pledges of the Congress Party have been frustrated by this Government. No mention has been made in the Report of the Ministry of Home on these points. National Integration Council was constituted to deal with the communal disturbances but the performance of the council is at manful. Besides, Civil Defence Act was passed in 1968 but the same has not been implemented uptil now.

A circular was issued by the then Minister of Home Affairs Shri Pant to the effect that Urdu language should get its proper status, and it should he allowed to be used as court language wherever it was considered regional language. It is surprising that no provisions have been made in the budget demands of this Ministry and in this report for the promotion of the Urdu language. I suggest that the promises made with all the minorities should be fulfilled by the Government otherwise they would lose faith in the Government.

I am sorry to say that no mention has been made in the budget speech regarding the communal disturbances, however, the President, in his address, mentioned Government's firm commitment to over come the communal tension. But these commitments are never implemented.

I would like to reiterate my demand regarding the railway concession given to the students of Islamic Institutions situated in Lucknow and other places. I request that this concession should be restored.

Constitution of Minority Council under the chairmanship of the Prime Minister is also necessary so that the interests of the minorities can be looked after by this machinary.

I also suggest that the Central Government should a Federal Force to curb the communal riots in the country. In view of the fact that several State Government have their hands in such activities it should be the duty of the Centre Government to deal with such riots.

The Ministry of Home Affairs should instil moral values in the Government employees. The tendency prevalant among the employees of the Central and State

Governments to aspire to raise their standard of living and to compare themselves with those who are getting fabulous salaries should be morally discarded. They should be educated to realise that there are other employees also who are comparatively low-paid. If it is done the cases of strikes would cetainly minimised.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Sir, I rise to support the demands of the Ministry of Home Affairs. Nobody can deny this fact that the maintenance of law and order in the country in the duty of the Central Government and that situation this is disturbed in the country. If there are any disturbances in any State Central Government can not be absolved with the plea that it should be dealt with by that State Government. I request that the centre should take strict action against such activities wherever they take place. Several hon. Members have raised this point that in certain areas railway passangers are not secured. It is said by the Government that it is the duty of the Railway Security Force to protect the passangers. My point, in this regard is that maintaining the law and order situation in the entire country should be the subject matter of the Centre.

Several charges of corruption are made against the officers and the Ministers of the States but no enquiry is undertaken by the Government against those persons.

I suggest that such complaints must be looked into and stringent action should be taken against the persons found guilty. I also propose that a machinary should be set up to deal with such complaints.

The retirement age in the central services should be reduced to 55 years as has been done by the Rajasthan Government so that the employment opportunities could be increased and the administrative efficiency could be achieved.

It has been observed that certain states do not enjoy proportionate representation in the central services because of their backwardness. I suggest that the procedure regarding the recruitments should be modified accordingly so that this imbalance can be removed.

In view of the clear verdict given by the people of the country to abolish the privy purses and privileges of the ex-rulers, Government should not indulge themselves in making further negotiations or agreements with the princes because the people would not tolerate it. I request the Prime Minister that the Constitution should be amended and the provisons of privy purses should be removed.

I also suggest that the reorganisation of states should be done on the scientific basis to avoid the further distribution of the country. Several States are very small and cannot meet their requirements. I request the Government that while doing reorganisation of states they should not be pressurised by any political element.

In view of the hardships faced by the people of Rajasthan I request the Government that a Bench of High Court should remain in Jaipur. This Branch has been removed from Jaipur with the plea that there should be a unified court while this criterion has not been applied to in the other states.

It is also suggested that in the formation of cabinet, whether in the Centre or in the States the proportion of the number of members must be maintained resulting in the stoppage of defections. With these words, I would like to conclude with the request that the Intelligence Department in the Ministry of Home Affairs should be strengthened.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय ! इस वाद विवाद में मैं कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा ।

जहाँ तक नक्सलवादियों सम्बन्धी समस्या का प्रश्न है उसके मूलभूत कारणों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है । नक्सलवादी कोई ऐसा गिरोह नहीं है जो केवल हिंसा और लूटपाट में विश्वास रखता हो । उनकी गतिविधियों के पीछे एक विचारधारा कार्य कर रही है 'माओ की जयजयकार' उनके नारे से स्पष्ट विदित होता है कि उनका अपने देश के प्रति कोई मोह नहीं है । वे साम्यवादी चीन की विचारधारा को स्वीकार करते हैं तथा देश पर चीनी आक्रमण का आहवान करते हैं। देश के युवकों को नक्सलवादी बनने से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि देश के सामाजिक-आर्थिक शोषण को समाप्त किया जाये । बिहार आदि राज्यों में तथा अदिवासी क्षेत्रों में जमीदार तथा अन्य लोग शोषण करते हैं तथा वहाँ की जनता पर अत्याचार करते हैं । गरीबी तथा आसामर्थ्य के कारण जनता इन लोगों का खुलकर भी मुकाबला नहीं कर सकती है । ऐसी स्थिति में यदि कोई नक्सलवादी इन जमीदारों पर बम फेंकता है तो जनता को संतोष होता है ।

अतः मेरा निवेदन है कि नक्सलवादियों की समस्या को समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि देश के सामाजिक और आर्थिक अन्याय को समाप्त किया जाये । इसके बिना नक्सलवादियों की समस्या को बलपूर्वक नही सुलझाया जा सकेगा ।

देश में दूसरी समस्या सांप्रदायिक और जातिगत तनाव की है । महात्मा गांधी की इस मातृभूमि में जब मुसलमान मारे जाते हैं तो मुसलमान दुःखी होते हैं तथा हिन्दुओं के मारे जाने पर हिन्दू दुःखी होते हैं । यह दुःख की बात है कि बहुत कम लोगों का दृष्टिकोण मानवीय है ।

इसके साथ ही किसी एक समुदाय को इस समस्या के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता इस सम्बन्ध में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केवल नई पीढ़ी ही इस समस्या को सुलझा सकती है जो इन साम्प्रदायिक भावनाओं से मुक्ती होगी । हम परम्परागत विचारधारा को समाप्त करने के लिये तथा नई पीढ़ी को इस विचार धारा से मुक्त कराने के लिये सभी ओर से मिलकर प्रयत्न करने होंगे ।

अध्यापक होने के नाते मेरा अनुभव है कि इतिहास की पुस्तक में हिन्दू और मुसलमानों के अलग अलग वीरों की कथाएं पढ़कर विद्यार्थियों के मन में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है । अतः इस भावना को रोकने के लिये शिक्षा का तरीका बदलना पड़ेगा तथा विनिमय विभागों को इसके लिये मिलकर प्रयास करना पड़ेगा ।

जहां तक जातिवाद का सम्बन्ध है यह बड़े खेद की बात है कि हरीजनों और आदिवासियों की बड़ी अपेक्षा की जाती है । उनकी हत्या होने पर अथवा उनकी स्त्रियों का शीलभंग किये जाने पर कही भी कोई महत्वपूर्ण चर्चा तक नहीं की जाती । अतः मेरा अनुरोध है कि हरिजनों तथा आदिवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये तथा देश में एक नया वातावरण तैयार किया जाना चाहिये ।

विभिन्न राज्यों में राज्यपाल बड़े भेदभाव पूर्ण नीति से कार्य करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि सरकार के भविष्य के बारे में सदन में विचार विमर्श किये जाने की अपेक्षा राजभवन में निर्णय लिया जाता है ।

दल बदलने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये किसी विधेयक के न लाये जाने के कारण दल बदलुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है तथा इससे राजनीतिक स्थिति में बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इसमें कोइ एक दल दोषी नहीं है वरन् सभी दल दोषी हैं। आचार्य नरेन्द्र देव को छोड़कर अन्त किसी सदस्य ने ऐसा नहीं किया जो दल बदलने के लिये पुनः चुनाव लड़ा हो । अतः मेरा निवेदन है कि सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दल मिलकर दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिये आचार संहिता बनाले इससे राजनीति में उत्थान होगा ।

राज्यपाल की नियुक्ति के समय केवल इस दृष्टिकोण को ही सम्मुख नहीं रखा जाता कि वह व्यक्ति निष्पक्ष विचारधारा में विश्वास रखता है। इस सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण यह भी रहता है कि किसी व्यक्ति में चुनाव लड़कर आने की सामर्थ्य नहीं होती किन्तु पुराना कार्यकर्ता होने के कारण उसे कहीं स्थान देना ही होता है। अतः ऐसे व्यक्ति सत्तारूढ़ दल के आभारी रहते हैं तथा उसका पक्ष लेते हैं। इसलिये राज्यपाल की नियुक्ति पर लोक सभा की सहमती निश्चित रूप से लेनी चाहिये।

अन्तर्राज्यीय विवादों पर जैसे कि हरियाणा और पंजाब के बीच तथा मैसूर और महाराष्ट्र के बीच राष्ट्रीय स्तर के दलों में मतभेद हो जाता है । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता कहां रह पाती है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन विवादों को राजनैतिक दृष्टिकोण के समक्ष रखकर निर्णय नहीं करना चाहिये किन्तु ऐसा तरीका निकालना चाहिये। सभी राज्यों को मान्य हो। अन्तर्राज्यीय विवादों को सीमा आयोग को सौंपा जाना चाहिये तथा सभी राष्ट्रीय स्तर के दलों से यह वचन ले लेना चाहिये कि इन विवादों को हल करने के लिये निश्चित सिद्धांतों को बनाने तथा उनके आधार पर कोई निर्णय किये जाने पर किसी की ओर से कोई आन्दोलन नहीं किया जाना चाहिये। इसके पश्चात् भी यदि कोई आन्दोलन अथवा हिंसात्मक गतिविधि सामने आती है तो सरकार को उनका निर्दयतापूर्वक दमन करने को दृढ़ संकल्प होना चाहिये चाहे उनमें सैकडों व्यक्ति ही क्यों न मारे जायें। यदि सरकार ने यह रवैया अपनाया तो देश से हिंसात्मक गतिविधियों और कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की समाप्ति हो जायेगी ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Sir, in view of the numerous formalities, much as distribution of liabilities and assets, institution of boundry commission, etc., arising out of the creation of new states. I would like to suggest that there should be no new state now. If the Government remain busy in these formalities the progress of the country will be hampered.

During the election days, I went to villages in my constituency and suggested the people that their should not be any demand for creation of Telangana because of the fact that then you would have to pay mory revenue. From these villages. I got the votes of the majority of the people. I admit that in the last Lok Sabha the number of the Members who were in favour of Telangana was large but according to the present situation it is quite clear that in the ensuing elections to the assembly their security would be forfeited.

It should also be mentioned here that through the eight point programme laid down by the Prime Minister Telangana has been benefitted though it is against the interest of Andhra Pradesh. Even then the people of Andhra Pradesh did not lunch any agitation (*Interruption*). I understand that the issue of Telangana is a political one and only those persons who could not gain position in the politics are creating disturbances there. Thus, the Prime Minister should not pay any heed towards them.

Shri M. Ram Gopal Reddy : He is interfering without any cause (*Interruptions*).

श्री सत्यनारायण राव (करीम नगर) : आपको हमारी भावना को समझना चाहिये । मैं सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं ।

Shri M. Ram Gopal Reddy : The other day Shri P. K. Deo suggested that Princes should have talks with the Prime Minister. The princes should take initiative in this matter. They should disown their titles and should refuse to take privy purses from tomorrow. They have got crores of rupees them. The Government should arrest these persons who are charging higher rate of interest.

Shri N. K. Sharma (Dausa) : Law and order situation in the country should be improved. The country is facing danger with two types of people. Firstly, from those who believe in left adventurism and seconoly, from right reactionrarists. Both of them are trying to come in power. The Government should impose ban on such types of people. Those parties should not be allowed to fight election who have no economic programmes. Those parties who want to endanger the integrity of the country should not be allowed to fight election.

The Government should take sterm action against the extremists in Calcutta.

The problem of Naxalites is not only a political problem, but economic problem also. Tho Government should impose ban on those people who want to change the Government by means of violence.

Home Ministry has done nothing to stop political defections. Defections started after 1967 general elections. This political corruption should be abolished for ever. All political parties are involved in it.

I hope the Bill to abolish Privy Purses will be introduced early.

These Maharajas are selling their thousands of acres of land. Government should immediately take steps in this matter otherwise they will transfer all their property. They enjoy so many facilities and an ordinary man cannot fight election against them.

High Court Bench should be established in Jaipur. It is necessary in the interest of justice. People of Jaipur have submitted a memorandum in this regard. It was stated by the Home Ministry that the decision on this matter would be taken after consulting the Chief Minister of Rajasthan.

I think by now the Home Ministry must have considered this issue. This is a just demand and has no connection with politics. Government should accept that demand.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : हमारे न्यायालय कानून के संरक्षक हैं। एक बहुत प्रसिद्ध भूतपूर्व न्यायाधिपति ने कहा है कि "सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिये अत्यावश्यक है।"

गत दस वर्षों से न्यायपालिका के स्तर में गिरावट आने से वकील बहुत चिन्तित हैं। भ्रष्टाचार में वृद्धि होने से जनता में भी घबराहट है।

अनेक मजिस्ट्रेटों का भ्रष्टाचार के आरोप में स्थानान्तरण किये जाने की मुझे खुशी है। ऐसा बहुत पहले ही किया जाना चाहिये था। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनेक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सेशन जज सक्षम अधिकारी हैं।

कई बार मेरे कनिष्ठ अधिकारी यह पूछते हैं कि एक मजिस्ट्रेट को 400 या 500 रुपये मिलते हैं उसमें वह एक एम्बेसेडर गाड़ी और बच्चों को ऐसे खर्चीले स्कूलों में कैसे भेज पाता है? अन्य साधनों के वगैर वे ऐसा नहीं कर सकते।

सेवा निवृत मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त सेशन जजों को उन्हीं न्यायालयों में प्रैक्टिस की अनुमति दी जाती है जहां उन्होंने कार्य किया होता है। उससे इस तथ्य का बोध होता है कि उनकी पहुंच भूतपूर्व साथियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ है। इसे रोका जाना चाहिये। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में एक महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कि जिन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है वहां वे प्रेक्टिस नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी जज भारत के किसी भी न्यायालय में प्रेक्टिस नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त सेशन जजों के लिये भी ऐसा ही प्रबन्ध होना चाहिये। इस बारे में जांच की जानी चाहिये कि क्या उन्हें स्थानीय उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस करने की आज्ञा दी जाये, किन्तु उन्हें उन न्यायालयों में प्रेक्टिस करने की अनुमति कदापि नहीं दी जानी चाहिये जिनमें उन्होंने एक बार काम किया है।

ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं की कुछ स्टेशन हाउस अधिकारी हजारों रुपये कमा रहे हैं। मुझे इस बात का पता नहीं उक्त सूचनाएं कहां तक सच हैं।

दिल्ली में खाद्य निरीक्षक इतना अधिक धन कमा रहे हैं कि वे अपने लड़कों को भोंरोच के कालेजों में शिक्षा के लिये भेजने में समर्थ हैं। गृह-मंत्रालय को इस बारे में जाँच करनी चाहिये। निर्दोष व्यक्ति, जो घूस देने में असमर्थ हैं, मारे जाते हैं और दोषी व्यक्ति घूस देकर छूट जाते हैं।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में श्री एम० सी० सीतलवाद की अध्यक्षता में विधि आयोग ने 1958 में ही उच्च न्यायालयों का उल्लेख करते हुए कहा था कि हम उच्च न्यायालय के सभी केन्द्रों में गये और हमने सभी स्थानों पर उच्च न्यायालय के न्यायतंत्र में हाल के वर्षों में की गई नियुक्तियों के बार में कटु एवं रहस्य उद्‌घाटन करने वाली आलोचना सुनी है। प्रायः सामान्य रूप से सामुहिक विचार यह है कि चयन असंतोष जनक ढंग से किये जाते हैं और उन पर कार्यभारी प्रभाव डाला जाता है।"

न्यायाधीश अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति का विरोध करते हैं लेकिन उन पर दबाव डाल कर ऐसा करने को मजबूर किया जाता है ।

संविधान के अनुच्छेद 217 में संशोधन करने की आवश्यकता है । इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार कार्य करेंगे और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त एक न्यायाधीश के मामले में वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार कार्य करेंगे । इस मामले में हमारा यह अनुभव हुआ है कि जैसे ही राज्यपाल इस मामले में लाये गये वैसे गुप्त रूप से इस मामले में मुख्य मंत्री भी आ गये, क्योंकि इस मामले में राज्यपाल केवल मात्र मुख्य मंत्रियों का प्रतिनिधि होता है । इस अनुच्छेद में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि न्यायपालिका के लिये की जाने वाली नियुक्तियों में राजनीतिक उद्देश्यों को न लाया जाये ।

न्यायाधीश के पद के लिये योग्य वकील उपलब्ध न होने के लिये सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सरकार ने न्यायाधीशों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की है । मेरे विचार से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी न्यायपालिका के वेतनों में वृद्धि नहीं की गई है । मेरे विचार से उच्च न्यायालय के जजों को 2000 रुपये से अधिक नहीं मिलता । इस तुच्छ वेतन के कारण आज सक्षम वकील भी उच्च न्याया-लय के पद को स्वीकार नहीं करेगा । यदि सरकार उनके वेतन बढ़ाना नहीं चाहती तो उन्हें कम से कम इतनी पेन्शन दी जानी चाहिये जो उनके वेतन के बराबर हो । ऐसा करने से सेवा निवृत्त जजों में बढ़ते हुए कदाचार को रोकने में सहायता मिलेगी ।

वकीलों ने शिकायत की है कि सेवा निवृत्ति के समय कुछ न्यायाधीश कुछ प्रसिद्ध वकीलों के प्रति इस आशा से झुके होते हैं कि जब वे उच्चतम न्यायालय में आयेंगे तो वे उन्हें वकील करने के लिये सहायता देंगे । अन्य न्यायाधीश यह जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में कनिष्ठ वकील के रूप में कार्य करने की भी उनमें क्षमता नहीं है, तो वे नौकरियों के लिये इधर उधर भागते हैं **(व्यवधान)**

इस बारे में यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये । विधि आयोग ने कहा कि हमें किसी भी जज को, जिसमें सर्वोच्य न्यायालय का जज भी शामिल है, सेवा निवृत्ति से पहले अथवा बाद में रोजगार देने का विश्वास नहीं दिलाना चाहिये ।

हमने राजनीति को आज इतना नीचे गिरा दिया है कि हम 'राजनीतिज्ञ' शब्द को गन्दा शब्द समझते हैं । हमें 'राजनीतिज्ञों' को जज शब्द को भी गन्दा शब्द नहीं बनाने देना चाहिय ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : We cannot have social justice and political changes unless we have a committed bureaucracy and a committed judiciary. We are not opposed to the Supreme Court on the other hand we want to strengthen their hands. This is possible only when the right to property ceased to be a fundamental right under the Constitution.

It requires basic change in the very structure of our judiciary so that justice may be available to the Common man. At present it is beyond the means of an ordinary man to go to a court of law for obtaining justice.

The heavy influx of refugees from Bangla Desh has created a serious problem for our country. There is no other alternative but to declare emergency to meet this situation because there is no other way to deal with certain elements here who are determined to incite Communal Violence in the Country. When the emergency is declared, all the communal organisations will be banned in the interest of the security of the nation. At the same time it is also necessary to enquire into the conduct of all officials who have been posted at places where Communal riots have taken place. There should be a ban on public servants joining organisations like Jamait-e-Islam and the R.S.S.

The funds of big Devsthans and Gurudwaras have been misused for political purposes. This misuse of money must be stopped.

There is a difficult situation in our Eastern sector because of the activities of Naxalitics and other extremist elements. It is better that we have a kind of Central Security Board for that region, Comprising Assam, Bengal and Orissa.

A voluntary force of young men who have come from East Bengal should also be established so that training may be given to them.

The practice of sending officials on foreign trips should be stopped. Similarly, the practice of inviting foreign adivasis to our country should also be discouraged.

The privy purses and the special privilegs of the former rulers should be abolished forthwith. If they are now abolished, the people would start agitation. They should be abolished in this very Session. We cannot wait further any more.

These big news paper proprietors have never cooperated with the Government at the time of emergency. They should be removed and we should have our own international agency. These big newspapers have done a great loss to the project of the country.

Shri M. C. Daga (Pali) : The people particularly of the rural areas are not happy with the Police Department. They have no faith in the Police. The Police Department never helps the villagers in setting even their small disputes. The Magistrates have several times passed strictures against the police but no action has been taken against them.

People do not get justice from the courts. It is very expensive to fight a case in a court of law. when the people do not get protection from the police and justice from the courts their interests cannot be safeguarded.

The court language in our Country is English. Judgments are also delivered in English. The Common people do not understand the proceedings and judgments. The result is the exploitation of the common people by the lawyers. Our laws should be in Indian languages and the court work should be done in these languages.

Even after 23 years of independence people do not get cheap justice.

We have all along been emphasising that the language of the laws should be as simple as possible so that a common man could follow them, but it has not been possible to do so. Corruption has reached its climax in the courts. It was decided at the time of the creation of Rajasthan State that Jaipur would be its capital and its High Court would be located at Jodhpur. There is no need of any change in that decision.

The procedure of investigation is defective. I am sorry to point out that there have been many incidents of murder in Pali but no investigation has been conducted.. The police overcome the people instead of providing them with a sense of security. It has been observed that justice is purchased. Only they can have justice who are in a position to enjoy eminent lawyers. We have to change our laws. No improvement has been effected in our Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code and the Sections of I.P.C. The Prosecution Inspection is a low-paid employee and he is always eager to accept bribe. In case a villager goes to a police station to lodge any complaint nobody listens to him. There has been no change in the behaviour of police even after 24 years of Independence. If we cannot expect justice from police as well as from courts then what is the course left to us for securing it. The poor farmers are arrested under sections 107, 109 and 110 and police term them as habitual offenders. In view of all this, it may be said that it is high time that improvements are effected in the present laws. The time taken to decide a case under Civil Procedure Code is too long. Besides, Government is securing court fees. How can a nation make progress if people of that country cannot expect justice. People have lost faith in police. In view of this, practical changes should be brought about in social values of life.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, I rise to oppose the Demands of the Ministry of Home Affairs. People had expected that poverty would be eradicated, democracy would be strengthened and corruption would be checked. But this Budget has belied the hopes of the people. It is observed from the budget presented to this House that capitalists continue to hold reing of the administration. The police has been given additional powers in the form of the Bill for the maintenance of internal security. In case Government wants to fulfil the promises given by it to the people during the last general elections, the present constitution must be amended only then the present set up, under which the capitalists enjoy overwhelming rights, would be changed and individual rights to property could be limited. Morover, the privy purses and privileges of the former rulers of Indian States cannot be abolished without amending the constitution. The problem of law and order has arisen only because Government do not represent the feelings of the masses.

The Government has not been able to curb the activities of the communal organisations, such as Jana Sangh, R.S.S., Jamait-e-Islami or Shiv Sena, which preach hatred among different communities. They should have taken stringent measures and banned them (*Interruptions*).

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Communist party is responsible for the political and other murder in this country (*Interruptions*) :

Mr. Chairman : Shastriji, please address the Chair.

Shri Ramavatar Shastri : It is true that Naxalities pose serious threat and the methods adopted by them cannot be approved in this country. But what is the reason behind it? The reason is that Government does not provide land to the tiller and the problem of labour are also not solved. They should grapple withthe real issues, otherwise, they would not be able to solve the problems.

I agree that the link language of the country is Hindi, but all other languages included in our schedule are also national languages and they should be treated at par.

Many cases of Central Government employees who had taken part in the strike same three or four years ago are still lying in courts. Those employees should be reinstated and

the cases against them withdrawn. The recommendations of Khosla Commission in respect of policemen should be implemented in full and their difficulties removed.

The retirement age of Government employees should be reduced from 58 to 55 years and the age for entry into service should be raised from 25 to 28 years.

The Government had promissed to consider a proposal to constitute a development Board for the development of North Bihar. As it is a backward area, Government should set up the aforesaid board for its speedy development.

Shri Ram Dhan (Lalganj) : I support the demands of the Ministry of Home Affairs. But it may be pointed out that adequate steps have not been taken for the progressive use of Hindi. The instructions given by the Home Ministry to different Ministers and departments are not being complied with. Even Hindi officers have not been appointed so far in all the Ministries. Similarly, no progress has been made in teaching Hindi to Government employees. The working of Hindi Teaching Scheme is not satisfactory. The figures shown in the report of the Home Ministry do not seem to be correct. There is great discrimination with regard to the procedures of journalists of English language and other Indian languages. The journalists of Indian languages are treated as untouchables. The Information Officers of the Ministry concerned translate the speeches of Prime Minister and other Ministers delivered by them in Hindi and that English versions is retranslated into Hindi and reported in press which means that we could not get the original reporting in Hindi itself. This is ridiculous English is not being replaced in the High Courts so that the common man may not follow the working of judiciary and the advocates may continue to befool them. We have not been able to improve the situation even after so many years of independence. I would also like to remained the Government that appropriate steps are not being taken to teach Urdu language in North Indian Government should do something in this regard also.

The figures of Harijans and scheduled Tribes have not been rightly reported in the Census Report.

The figuers in this respect are generally connected Government should look into it to ascertain the correct figures.

It has been stated in the Report that freedom fighters who have served imprisonment for five years in any jail would be entitled to pension. This condition should be waived. Every political sufferer who had served a prison sentence should be made eligible for pension. The amount of pension should be adequate to meet his requirements.

I would like to say that police is not playing its role in maintaining public security. Government should take urgent steps to put and end to the atrocities being committed on the scheduled castes and Scheduled Tribes. They may stop financial assistance being given to us to run small scale industries but we should not be forced to do certain jobs. We have observed that Harijans are implicated is many cases by the police, but Government have never bothered itself to take some effective steps in this direction. Harijans are not able to cast their votes freely even after 23 years of independence. They are prevented from going to polling booths. They have also to suffer humiliation and maltreatment at the hands of the public as well as the police. Governmeut should look into it.

The corruption should be rooted out of public life. We cannot make any progress so long as corruption is there. Communal organisation should be banned in order to

check communal riots. Some communal organisations plead that they are cultural organisations. But they take part in political activities. In view of this, such organisations should be banned immediately so that peace could be ensured.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : इस सभा में कुछ समय पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन दिये जाने के बारे चर्चा की गई थी । प्रस्तुत बजट में उनको पेन्शन देने हेतु 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियों के लिये लगभग 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वह बहुत ही शर्मनाक है । उन्होंने अपने देश के लिये सर्वस्व लुटा दिया और हम उतने में से कुछ को 25 या 40 रुपये प्रतिमास देते हैं ताकि वे जीवित रह सकें । यह 10 लाख रुपये की व्यवस्था भी अब की गई है। वर्ष 1969–70 में तो एक पैसे की व्यवस्था नहीं की गई थी । इतनी कम राशी की व्यवस्था करके हमें उन देशभक्तों का अपमान नहीं करना चाहिये । सरकार को उन्हें उचित पेन्शन और समुचित सम्मान देना चाहिये । प्रतिदिन जीवन निर्वाह व्यय बढ़ता जा रहा है और सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि भी की है परन्तु सेवा निवृत्ति सरकारी कर्मचारियो की पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की गई है । महंगाई में वृद्धि के अनुपात से उनकी पेंशन में भी वृद्धि की जानी चाहिये ।

हमारे देश में लोग पुलिस को संदेह की दृस्टि से देखते हैं । यह बहुत अनुचित बात है । सरकार को विचार करना चाहिये कि लोगों का पुलिस के प्रति यह दृष्टिकोण किस प्रकार बदला जा सकता है । पुलिस शासन का महत्वपूर्ण अंग है और जब तक लोगों का पुलिस पर विश्वास नहीं होता तब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । मैं मजदूर संघ का नेता होने के नाते महसूस करता हूं कि कर्मचारियों की स्थिति संतोषजनक नहीं है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनका महंगाई भत्ता तुरन्त बढ़ाया जाये जिस से वे संतुष्ट हों और अपना निर्वाह कर सकें ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : The law and order situation is deteriorating in the country day by day. No doubt it is a state subject but if the law and order situation deteriorates in the entire country, the Central Government cannot shirk its responsibility. A commission should be appointed to look into the causes of law and order problem. Railway Journey is quite unsafe now a days. There is complete anarchy in factories. Management of public sector undertakings is also be strong enough so that people may perform their duties without any fear or favour. The judicial system should also be improved to secure justice under the present system. There are very old cases pending in the courts and it is a well known maxim that justice delayed is justice denied. Government should find ways and means to give quick and cheap justice to the people.

The freedom fighters sacrificed their lives and had to undergo tortures at the hands of foreigners. The Government had made a provision that no help would be given to those political sufferers who served imprisonment for less than five years. This condition should be waived. It is the duty of the Government to rehabilitate all political sufferers as in the cases of military personnel who die or lose their limbs in war.

There has been considerable increase in the cost of living index but quantun of pension has not been increased. Government should not force the pensioners to resort to agitational approach, rather they should increase pensions *suo moto*.

The retirement age had been raised from 55 years to 58 years. Even after that, same of the higher officials are re-employed in public undertakings. Such officials do not take any interest in their work because they know that they will retire after a couple of years. In case Government do not want to part with their services, they should set up a board to utilise their knowledge and experience. But they should either be appointed in regular service or be re-employed on contract basis and should be made responsible for the achievements of certain results. They should be told that in case they proved failure they would not be paid their pension.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार अब गृह मंत्रालय प्रधान मंत्री के अधीन है । वह समस्त देश की संरक्षक हैं हम सब उन्ही के नाम से चुन कर आये हैं ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 24 जून, 1971/3 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 24th June. 1971/Asadha 3, 1893 (Saka).

NAI DUNIA PRESS, INDORE 340—9-71